अंक २ बुधवार

संख्या १६ ३० जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३४४३—३४९४]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३४९४—३५८२]

(मूल्य ४ आने)

520 PSD

लोक सभा

बुधवार, ३० जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टैलीफ़ून भांडारों का आयात

*२२८८. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५१-५२ में अपेक्षित टैलीफ़ून सम्बन्धी अत्यावश्यक भांडार स्थानीय स्त्रोतों से प्राप्त किये गये थे अथवा विदेशों से उनको आयात करना पड़ा था ?

(ख) यदि उनको आयात करना पड़ा था तो आयातों का मूल्य क्या था और माल भेजने वाले देश कौन से थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित भांडार स्थानीय स्त्रोतों से तथा विदेशों से आयात करके प्राप्त किये गये थे।

(ख) टैलीफ़ून निर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल का मूल्य ५·८५ लाख रुपया था और संयुक्तराष्ट्र ब्रिटेन से उनको प्राप्त किया गया था। टैलीफ़ून उपकरणों, आनुषंगिक भागों तथा संधारण पुरजों के आयात के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। और यथा समय सदन पटल पर रख दिये जायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : स्थानीय रूप से की गई ख़रीद का मूल्य क्या था ?

श्री राज बहादुर : डाक तथा तार विभाग के लिये अपेक्षित कुछ वस्तुओं के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। मैं इंडियन टैलीफ़ून इन्डस्ट्रीज़, बंगलौर के आंकड़े दे सकता हूं। वह ९,५९,१८३ रुपये के लगभग हैं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सब ख़रीद जी० डी० ऐस० डी० (रसद विभाग के महा नियंत्रक) के द्वारा की गई थी अथवा विभागीय रूप से की गई थी ?

श्री राज बहादुर : ख़रीद की यही सामान्य प्रणाली है।

श्री० एम० आर० कृष्ण : हैदराबाद राज्य से प्राप्त किये गये टैलीफ़ून उपकरणों का योग मूल्य क्या है। और मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने उनका मूल्य चुका दिया है ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, प्रश्न का सम्बन्ध केवल स्थानीय अथवा विदेशी बाज़ारों से की गई खरीद से है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या हमारी मांग के कुछ अंश की पूर्त्ति हमारे विभागीय भांडारों से भी हुई थी ?

श्री राज बहादुर : हमारी कुछ मांगें बंगलौर वाली फ़ैक्टरी तथा अन्य वर्कशापों से पूरी हुई थीं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं ज्ञात कर सकता हुं कि हमारी मांग की कितने प्रतिशत भाग की स्थानीय रूप से पूर्त्ति हो जाती है तथा कितना प्रतिशत हमको आयात करना पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : डायलों तथा कन्डैन्सरों के अतिरिक्त टैलीफ़ून यंत्र के अन्य सभी भाग स्थानीय रूप से बनाये जाते हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : तो क्या मैं यह समझ लूं कि जो भाग आयात किये जाते हैं वह केवल डायल और कन्डैन्सर ही होते हैं ?

श्री राज बहादुर : नहीं, नहीं, बहुत से अन्य भाग भी आयात किये जाते हैं ।

दूर-संचरण विषय
(शिष्ट मंडल)

*२२८९. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५१-५२ में अधिकारियों का कोई शिष्ट मंडल पाश्चात्य देशों में दूर-संचरण विषय का अध्ययन करने के लिए विदेशों को भेजा गया था ?

(ख) कितना व्यय हुआ तथा प्रशिक्षित हुए अधिकारियों की संख्या ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) व्यय—प्राय: ७७,३०० रुपये । अधिकारियों की संख्या—१६ प्रशिक्षित हुए ।

सरदार हुक्म सिंह : किन किन देशों की हमारे अधिकारी भेजे गये थे ?

श्री राज बहादुर : विभिन्न देशों को । उदाहरण के लिए, एक अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन भेजा गया था ; फिर ६ और संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन भेजे गये; एक स्वीडन को ; फिर ४ संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन को ; फिर ३ संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन को ; फिर एक संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन को और एक संयुक्त राज्य अमरीका को ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सारा व्यय हमीं को वहन करना पड़ा था अथवा क्या व्यय का कुछ भाग किसी अन्य विश्व संस्था ने दिया था ?

श्री राज बहादुर : मैं ने निवेदन किया कि हम ने जो व्यय किया है वह ७७,३०० रुपये के लगभग है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी विश्व संस्था ने कोई अंशदान किया था ?

श्री राज बहादुर : जी हां, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : वह संस्थायें कौन सी थीं ?

श्री राज बहादुर : संयुक्त राष्ट्रीय पारिषद्यता योजना के अन्तर्गत स्वीडन को भेजे गये एक अधिकारी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह व्यय किया था : आने जाने के किराये का आधा व्यय, ३०० संयुक्त राज्य डालर का मासिक निर्वाह भत्ता (सामान्य निर्वाह के लिए अपेक्षित तथा स्थानीय जीवन स्तर के अनुसार) ; अध्ययन करने वाले देश में कार्य के सम्बन्ध में यात्रा करने का व्यय, तथा अत्यावश्यक प्रविधिक पुस्तकों तथा प्रकाशनों को खरीदने के लिए कुछ सीमित धन राशि । अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में भी कुछ व्यय किया गया था । इस की सूची काफी लंबी है ।

प्रविधिक सहायता योजनायें

*२२९०. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष संचरण इंजीनियरिंग समस्याओं के किन्ही विशेषज्ञों की सेवायें सन् १९५१-५२ में प्रविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त हुई थीं ?

(ख) यदि हुई थीं, तो वह कौन थे, तथा उनकी सेवाओं को किस प्रकार काम में लाया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत संचरण इंजीनियरिंग के एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गई हैं।

(ख) श्री ए० बी० बीटी, टैलीप्रिन्टर अंजनिक, बृटिश डाक विभाग। इस अधिकारी की सेवायें भारत में टैलीप्रिन्टर संधारण कमकरों को प्रशिक्षित करने तथा टैलीप्रिन्टरों के संधारण का निरीक्षण करने तथा उनमें सुधार करने के लिए काम में लाई जा रही हैं।

सरदार हुक्म सिंह : अब तक इन विशेषज्ञों ने कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है ?

श्री राज बहादुर : मैं निश्चित संख्या नहीं बता सकता।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जो अन्य विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन से आने वाले थे क्या वह भी आ गये हैं ?

श्री राज बहादुर : हमें विशेषज्ञ दो योजनाओं के अन्तर्गत मिल रहे हैं। एक है प्रविधिक सहायता योजना। दूसरी योजना आई० सी० ए० ओ० योजना है जिस के अन्तर्गत हमने आई० सी० ए० ओ० से एक करार किया है। आई० सी० ए० ओ० योजना के अन्तर्गत हम वायुपथों के संचालन के परिव्यय लेखा के लिए एक विशेषज्ञ श्री होर्ड की सेवायें प्राप्त कर रहे हैं।

सरदार हुक्म सिंह : संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त इन विशेषज्ञों की नियुक्ति की अवधि क्या है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने निवेदन किया कि हमें इन विशेषज्ञों की सेवायें प्रविधिक सहायता योजना तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो रही हैं। परन्तु यह अवश्य है कि कोलम्बो योजना तथा आई० सी० ए० ओ० योजना में अन्तर्भूत शर्तें किन्हीं पूर्व निश्चित करारों अथवा प्रचलनों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

श्री एम० कृष्ण : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन विदेशी विशेषज्ञों के द्वारा दिये गये परामर्श भारत सरकार द्वारा वास्तव में स्वीकृत तथा कार्य परिणत कर दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : वह हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने आये हैं, और वह उनको प्रशिक्षित करते भी हैं।

बिहार क्षेत्र में डाक विभाग की शिकायतें

*२२९०-क. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार क्षेत्र में उन शिकायतों की संख्या क्या थी जिन में सन् १९५१-५२ वास्तविक मनीआर्डर पाने वालों को भुगतान नहीं हुआ था परन्तु विभाग के खातों में उन का भुगतान किया जाना दिखाया हुआ था ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या जिन के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ कि डाक विभाग के कर्मचारियों ने धोखे से भुगतान कर दिये थे ; तथा

(ग) इन में से कितने मामलों में अभियोग चलाया गया तथा कितने मामलों में दोषियों को सज़ा हुई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) ३११

(ख) ३७

(ग) अभियोग चलाया गया—१४ ।

दंड दिया गया—१ ।

न्यायालयों में दंडित—९ ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन मामलों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं जिन में विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री राज बहादुर : १४७ मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ऐसी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है ?

श्री राज बहादुर : मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

रमन समिति

*२२९१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सभी भारतीय रेलवेज को यह अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि रमन समिति की जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत कर लिया है उन को कार्यपरिणत किया जाये ?

(ख) यदि कर दिये गये हैं, तो कब यह अनुदेश जारी किये गये थे ?

(ग) प्रत्येक रेलवे प्रशासन ने इन को कितना कार्यपरिणत किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) १९५० में ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और जब तैयार हो जायेगी तो उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कि सिफारिशों को कार्यपरिणत नहीं किया जा रहा है, कार्मिक संघों तथा अन्य संस्थाओं से मंत्रालय को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सूचना एकत्रित की जा रही है और हम रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जब हमें सारी सूचना प्राप्त हो जायेगी तभी हम यह ज्ञात कर सकेंगे कि इन सिफ़ारिशों को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है अथवा कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन सिफ़ारिशों की कार्यान्वित के लिए मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्रबन्ध किये गये थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये थे । परन्तु यह तथ्य है कि निश्चित आदेश दिये गये थे और हमें यह आशा थी कि वह उनका पालन करेंगे ।

यात्रा व्यय रियायत वाउचर

*२२९२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **गृहकार्य** मंत्री २६ फ़रवरी, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रिविलेज टिकट आर्डर (विशेषाधिकार टिकट आदेश) सुविधा को पुनः जारी करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह निश्चय किया गया है कि विशेषाधिकार टिकट आदेश (प्रिविलेज टिकट आर्डर) सुविधा को फ़रवरी १९५३ के अन्त तक अस्थगित रखा जाये ।

खाद्यान्नों का लाना ले जाया जाना

*२२९३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों के अन्तः राज्य लाने ले जाने पर लगी रुकावटों को हटा लेने का है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि अनाजों के लाने ले जाने पर लगी अन्तः राज्य रुकावटों के परिणाम स्वरूप उन की कमी वाले क्षेत्रों में मूल्य अतिरेक वाले क्षेत्रों के मुक़ाबिले में कहीं अधिक है और इस कारण जनता में बहुत असंतोष है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य प्रश्न के क्षेत्र से परे जा रहे हैं।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य है कि अनाजों के लाने ले जाने पर लगी अन्तः राज्य रुकावठों के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में उन का मूल्य अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेरे विचार से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न अन्तः राज्य रुकावटों के सम्बन्ध में है, और उत्तर स्पष्ट है कि ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

वीयटनाम सरकार से चावल की प्रदाय

*२२९४. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि गत वर्ष वियटनाम सरकार ने ३०,००० टन चावल देने का प्रस्ताव किया था ?

(ख) भुगतान तथा विनिमय की शर्तें क्या थीं ?

(ग) भारत को कितना चावल मिला और बदले में क्या वस्तुएं भेजी गईं ?

(घ) क्या चावल की प्रदाय के सम्बन्ध में इस वर्ष वियटनाम सरकार से कुछ बातचीत चल रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). वियटनाम सरकार ने हमें यह सूचना दी थी कि वह ३०,००० टन चावल दे सकेगी परन्तु उससे कोई निश्चित शर्तें प्राप्त नहीं हो सकीं और इसलिये यह सौदा नहीं हुआ।

(घ) पिछले मई मास में वियटनाम सरकार ने १५,००० टन चावल देने का प्रस्ताव किया था और जिसे साधारण व्यापार प्रणाली से क्रय किया जा सकता था। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि उस चावल का मूल्य बहुत अधिक था।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया था और क्या मंत्रालय का ध्यान इस से आकर्शित हुआ था ?

श्री सतीश चन्द्र : मैंने निवेदन किया कि वियटनाम सरकार की ओर से एक प्रस्ताव किया गया था, परन्तु कुछ कारणों से यह सौदा नहीं हो सका।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अगले सौदों में नौपरिवहन का प्रबन्ध किया जायेगा और क्या चावल देने वाली सरकार हमारी सहायता करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल्पनिक होगा। भविष्य में होने वाले सौदों के बारे में कोई नहीं जानता है।

विदेशी धर्म प्रचारक

*२२९५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी धर्म प्रचारकों के भारत प्रवेश सम्बन्धी पुराने नियम बदल दिये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां तो नये नियम क्या हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० कटजू) : (क) और (ख). गृह कार्य मंत्रालय की कार्यवाहियों की सन् १९५१-५२ की रिपोर्ट जिस की प्रतियां इस सदन के सदस्यों को बितरित कर दी गई हैं के पैरा ३० की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उस में वर्णित नीति का अब पुनरीक्षण किया जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन संस्थाओं के नाम ज्ञात कर सकता हूं जो विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रवेश की सिफारिश करने के लिए अभिस्वीकृत हैं।

डा० काटजू : वह है भारत की राष्ट्रीय क्रिश्चियन परिषद् तथा भारत का कैथोलिक विषय सम्मेलन।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बिदेशी धर्म प्रचारकों के भारत प्रवेश पर कोई शर्तें तथा निर्बन्धन लगाये हुए हैं ?

डा० काटजू : इस में सदन का बहुत समय लगेगा। मैं आप से इस विषय सम्बन्धी सूचना का अध्ययन करने की प्रार्थना करूंगा। यह सूचना अनेकों पृष्टों में है और उसे पढ़ कर सुनाने में सदन का पूरा एक घन्टा व्यय हो जायेगा।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या पिछले पांच वर्षों में मिशनरियों (धर्म प्रचारकों) की संख्या कम हुई है या बढ़ी है, और बढ़ी है तो कितनी ?

डा० काटजू : में इस का नोटिस (पूर्वसूचना) चाहता हूं।

श्री पी० एन० राजभोज : मिशनरी शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार कितनी आर्थिक सहायता देती है।

डा० काटजू : इस का भी नोटिस चाहता हूं।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को विदित है कि भारत में एक बृहत पैमाने पर हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो सूचना देना है, प्राप्त करना नहीं।

चानोड रेलवे स्टेशन पर यात्री लेवी

*२२९६. **श्री एम० एम० गांधी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अब वैस्टर्न रेलवे के बड़ौदा जिला में विलीन जी० बी० एस० लायन पर दभोई ताल्लुका में स्थित चानोड स्टेशन पर उतरने वाले प्रत्येक यात्री से यात्री कर के रूप में आध आना लेवी लेने की प्रथा है ;

(ख) यदि है, तो क्या जी० वी० एस० लायन के वैस्टर्न रेलवे और बड़ौदा राज्य के बम्बई राज्य में विलीन हो जाने पर भी यह लेवी अब भी वसूल की जा रही है; तथा

(ग) विलीनीकरण के पश्चात से अब तक इस लेवी द्वारा एकत्रित हुई धन की राशि क्या है, तथा विलीनीकरण से पूर्व इस लेबी की संचित राशि क्या थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) और (ख) यह लेवी न केवल चानौड स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से ही वसूल की जाती है अपितु

उस स्टेशन से यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों पर भी लागू होती है।

(ग) विलीनीकरण की तिथि से अर्थात १-५-१९४९ से ३१-३-१९५२ तक एकत्रित हुई धन राशि ३३.४७६ रुपये १५ आने ३ पाई है। अप्रैल ११५२ से आज तक के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। विलीनीकरण से पूर्व ही एकत्रित हुई राशि के आंकड़े इस कारण ज्ञात नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि सामान्य नियमों के अनुसार अवधि समाप्त होने पर सभी संगत लेखों को नष्ट कर दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि लेवी लागू करने से पूर्व क्या स्थानीय परामर्शदात्री समिति से परामर्श किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री: यह लेवी सन् १९२४ में लागू की गई थी, अतः मुझे ज्ञात नहीं कि उस समय कोई स्थानीय परामर्श दात्री समिति थी।

चलता डाक-घर

*२२९७. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सन १९५१-५२ चलते डाक घरों पर कितना व्यय हुआ तथा उनसे कितनी आय हुई ;

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): व्यय: रु० १२२-१०-३ प्रति मास आय: रु० ४,५७२-५-० प्रति मास परन्तु यह अतिरिक्त आय नहीं है क्योंकि जो भी वस्तुएं इन डाक-घरों से भेजी गईं वह अन्यथा स्थायी डाक-घरों से भेजी जाती।

सेठ गोविन्द दास: यदि इस प्रकार का डाकखाना न खोला जाता तो जितनी आमदनी अभी हुई है, वह पूरी की पूरी होती, या इस में कुछ कमी होती ?

श्री राज बहादुर: हो सकता है कि कुछ कमी होती।

सेठ गोविन्द दास: जैसे कि अभी माननीय मंत्री ने अंक बतलाये उन के अनुसार आमदनी ज्यादा हुई है तो क्या इस प्रकार के और डाकखाने खोलने का विचार है और यदि है तो कहां ?

श्री राज बहादुर: यह हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर है। जब अच्छी होगी तो अधिक खोलने की इच्छा है इस में कोई सन्देह नहीं है।

सेठ गोविन्द दास: क्या इस वर्ष और भी ऐसे डाकखाने खोले जायेंगे ?

श्री राज बहादुर: इस चीज को विचाराधीन ही माना जा सकता है।

श्री वीर स्वामी: मैं ज्ञात कर सकता कि क्या चलते डाक-घर अन्य नगरों जैसे मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में चालू किये जायेंगे ?

श्री राज बहादुर: ऐसे डाक-घर मद्रास, नागपुर, दिल्ली और कानपुर में चालू कर दिये गये हैं।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि देहाती क्षेत्रों में भी चलते फिरते डाकखाने चालू करने का कोई विचार किया गया है ?

श्री राज बहादुर: इस के लिए हमने एक प्रयोग किया था परन्तु वह सफल नहीं हो सका और आशा यह की जाती है कि इस प्रयोग को एक बार फिर किया जाये। अगर वह सफल होगा तो इस को चालू किया जायेगा।

श्री पी० एन० राजभोज: सन् १९५२-५३ में मोबाइल पोस्ट आफिसेज (चलते डाक-घरों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है और उस के लिए कितना अधिक खर्चा होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मूल प्रश्न का सम्बन्ध है यह प्रश्न उस के क्षेत्र के बाहर है। मूल प्रश्न चलते डाक-घरों के सम्बन्ध में है। अगला प्रश्न।

रेलों का पुनर्वर्गीकरण

*२२९८. **श्री बाल्मीकी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलों के उत्तरी, उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी, ज़ोन बनाने से हुई वार्षिक बचत ; तथा

(ख) उन रेल कर्मचारियों की संख्या जिन को इन ज़ोनों के बनने के कारण अपने नियुक्ति स्थान से अन्य स्थानों को जाना पड़ा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) क्योंकि उत्तरी, उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी रेलवेज ने सम्पूर्ण एककों की भांति केवल १५ मई १९५२ से ही कार्य करना प्रारम्भ किया है अतः इन ज़ोनो के बनाये जाने के परिणामस्वरूप हुई बचत का अनुमान लगाना अभी समय से बहुत पूर्व की बात है।

(ख) १०८ (२० अधिकारी तथा ८८ श्रेणी ३ और ४ के एच्छिक कर्मचारी)।

श्री बाल्मीकी : इस प्रकार जो बचत होने की संभावना है, उस वचत से रेलवे के छोटे कर्मचारियों के स्तर को उठाने के लिए सरकार कहां तक खर्च करने का विचार रखती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : पहले तो क्या बचत होगी उसका ही अन्दाज नहीं है। जब उस का अन्दाज हो जाये तब इस बात पर विचार होगा।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गोरखपुर तथा दिल्ली में इन दोनों कार्यालयों के लिए नई इमारतें तथा कर्मचारियों के लिए निवास स्थान बनवाने में क्या कोई व्यय किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम को छोटा मोटा निर्माण कार्य कराना होगा। मेरे विचार से हमें बहुत अधिक धन राशि व्यय नहीं करनी पड़ेगी।

श्री ए० सी० गुहा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व ई० आई० रेलवे का आधे से अधिक भाग पूर्वी ज़ोन में सम्मिलित कर लिया गया है क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता स्थित ई० आई० तथा बी० एन० रेलवे के प्रधान कार्यालयों का अधिकांश कर्मचारीवर्ग अतिरेक हो जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, संभव है कि कर्मचारीवर्ग में कुछ अतिरेक हो जाय।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार उनकी सेवाओं को किस प्रकार काम में लाने की प्रस्थापना करती है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस ज़ोन सम्बन्धी प्रश्न पर बहुत अधिक वाद विवाद हो चुका है।

श्री ए० सी० गुहा : वह वाद विवाद ज़ोनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में हुआ था कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में नहीं। मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि सरकार कर्मचारी वर्ग की सेवा को किस प्रकार काम में लाने की प्रस्थापना करती है और वहां कितना कर्मचारी वर्ग अतिरेक हो जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें उन की सेवाओं को काम में लाना है क्योंकि सरकार ने कर्मचारी वर्ग को आश्वासन दिया है कि बिना उनकी स्वीकृति के उन की न छंटनी की जायेगी और न उन को स्थानान्तरित कि या जायेगा।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने कर्मचारियों को कलकत्ता से स्थानान्तरित किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी । मैं ने निवेदन कर दिया है कि केवल १०८ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री पी० एन० राजभोज: रिग्रूपिंग (पूनर्वर्गीकरण) के कारण कर्मचारियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है, क्या यह सच है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी नहीं, बढ़ी नहीं, घटने की उम्मेद है ।

श्री बाल्मीकी : किन सुधारों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इस योजना को अपने हाथ में लिया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, यह तो सही है, हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिस में इस चीज़ को ध्यान में न रखा जाये ।

भारत य कृषि अनुसंधान परिषद्

*२२९९. **श्री जांगड़े :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अनुसन्धानों तथा परीक्षणों के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को किसानों के लाभार्थ विक्रय, प्रदर्शन या बिना मूल्य वितरण या नमूने का काम देने के लिये अब तक विभिन्न राज्यों में भेजा जा चुका है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का अपना स्वयं का कोई अनुसन्धान केन्द्र नहीं है । यह परिषद् राज्य सरकारों के सहयोग से, जो कि प्राथमिक रूप से स्वीकृत अनुसन्धान परिणामों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, विभिन्न अनुसन्धान योजनाओं को आर्थिक सहायता देकर देश में अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित तथा व्यवस्थित करती हैं ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने गन्ने की रेड रॉट (लाल रोग) बीमारी के लिए जो एक दवाई निकाली है और खेती के लिए, विशेषकर चावल की खेती के कीड़े को नष्ट करने के लिए जो दवाइयां निकाली हैं, उन दवाइयों को अधिक मात्रा में किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई कारखाना जारी करने का विचार किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस के लिए मुझे नोटिस (पूर्वसूचना) चाहिये, लेकिन मैं सिर्फ़ यह कह सकता हूं कि जिन दवाइयों की, गैनेक्सीन वग़ैरा की, ज़रूरत होती है, उन को काफ़ी मात्रा में किसानों तक पहुंचाने की कोशिश स्टेट गवर्नमेन्टस (राज्य सरकारों) के मार्फ़त (द्वारा) की जाती है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि गेहूं की खेती में जो रस्ट (चैपा) वग़ैरा की बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने अनुसन्धान किया है, वह जहां गेहूं की खेती होती है वहां पर उस की पब्लिसिटी देने का क्या कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री सतीशचन्द्र : उस की पब्लिसिटी तो दी जाती है और उसको और ज्यादा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है और डैवलपमेंट प्रोजेक्टस (विकास परियोजनायें) और कम्यूनिटी प्रोजैक्टस (सामूहिक परियोजनायें) अब शुरू होने वाले हैं और आशा की जाती है कि उन के द्वारा यह काम और ज्यादा बढ़ेगा । हमारी ओर से बराबर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जहां तक अनुसन्धान के नतीज़ों को किसानों तक पहुंचाया जा सके, पहुंचाया जाये ।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन अनुसन्धानों के परिणामों को प्रकाशना देने की व्यवस्था हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त किन्हीं प्रादेशिक भाषाओं में भी की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रत्येक राज्य सरकार अपनी प्रादेशिक भाषा में कुछ न कुछ प्रकाशना सम्बन्धी कार्य करती ही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उड़ीसा स्थित चावल अनुसन्धान केन्द्र अपने अनुसन्धानों के परिणामों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशना दिये जाने के हेतु राज्य सरकारों को भेजता है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं एकाएकी नहीं बता सकता। सैंकड़ों योजनायें हैं और दर्जनों केन्द्रों में अनुसन्धानकार्य हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि गत वर्ष में इस कौंसिल (परिषद्) की कितनी बैठकें हुई और उनके जो निर्णय हुए उन पर सरकार ने क्या कोई रिपोर्ट छापी है ?

श्री सतीश चन्द्र : कौंसिल की रिपोर्ट समय समय पर छापी जाती है और उसकी प्रतियां लायब्रेरी में रखी हुई हैं ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के विभिन्न प्रयोगों और अनुसन्धानों को हिन्दी के कितने पत्रों में प्रकाशित किया जाता है ।

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अभी कहा कि परिषद् खुद अपनी एक मासिक पत्रिका हिन्दी में निकालती है जिस का नाम **'खेती'** है । वह हिन्दी में छपती है और दूसरे अखबारों और पत्रिकाओं द्वारा उन का प्रकाशन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

अनुसूचित जातियों के उम्मेदवार

*२३००. **श्री धूसिया :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कितने उम्मेदवारों से इन्टरव्यू (भेंट) किया गया ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में उन में से कितने सफल हुए ; तथा

(ग) प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिला उम्मेदवारों से इन्टरव्यू किया गया और उन में कितने सफल हुए ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). आयोग द्वारा दो विभिन्न प्रकार के उम्मेदवारों का इन्टरव्यू लिया गया ।

नियमित सेवाओं की रिक्तियां प्रतियोगीय परीक्षाओं तथा इन्टरव्यू द्वारा भरी जाती हैं । जहां तक इस प्रकार की सेवाओं का सम्बन्ध है, यह बताना कि कोई अमुक उम्मेदवार जिस का इन्टरव्यू हुआ हो सफल हुआ या नहीं, सरल है ।

जो पद नियमित प्रतियोगीय परीक्षाओं द्वारा नहीं भरे जाते हैं उन पर नियुक्तियां आयोग द्वारा सभी प्रार्थना पत्रों की जांच करने तथा उन उम्मेदवारों से, जो प्रत्यक्षतः उस पद के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, इन्टरव्यू (भेंट) करने के बाद की जाती हैं । इस प्रकार इन्टरव्यू किये गये

कुछ उम्मेदवार अनुपयुक्त पाये जाकर एक दम अस्वीकृत कर दिये गये हैं। शेष को योग्यता के अनुसार रखा जाता है और आयोग अपेक्षित संख्या के लिए सूची के प्रारम्भ के नामों की सिफारिश कर देता है उन उम्मेदवारों की संख्या बतलाने वाले विवरण तैयार किये जाते हैं जो :

(१) अनुपयुक्त समझे जा कर अस्वीकृत किये गये।

(२) उपयुक्त उम्मेदवारों की सूची में रख गये ; तथा

(३) जिन को अन्ततः नियुक्त किया गया।

यह विवरण जैसे ही तैयार हो जायेंगे सदन पटल पर रख दिये जायेंगे।

श्री धूसिया : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों को स्वयं अपनी जाति वालों से ही प्रतियोगिता करनी पड़ती है अथवा उन को सभी उम्मेदवारों से प्रतियोगिता करनी होती है ?

डा० काटजू : मेरे विचार से, यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो, उन को शेष सभी उम्मेदवारों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है।

श्री पी० एन० राजभोज : इन गरीब पिछड़ी हुई जाति के लोगों को केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की भर्ती करते समय क्या क्या सहूलियतें देती है ?

डा० काटजू : मैं इस सवाल का जवाब, मुझ माफ किया जाये, कोई चार पांच दफा दे चुका हूं। पहली सहूलियत जो उन जाति वालों के साथ सरकार दिखाती है वह यह है कि उन की उम्र तीन साल दूसरी जाति वालों से ज्यादा बढ़ा दी गई है। दूसरी सहूलियत यह है कि उन के लिए कुछ रिजर्वेशन्स (सुरक्षण) हैं, और तीसरी सहूलियत यह है कि मैं समझता हूं कि जब कमीशन (आयोग) उन का इन्टरव्यू करता है तो इस बात का जरूर लिहाज करता होगा कि अमुक उम्मेदवार हरिजन भाई है, और उन का इनवायरनमैंट (वातावरण), मुझे इस की ठीक ठीक हिन्दी नहीं मालूम, कुछ ऐसा है जो और लोगों से बदला हुआ है और उन के साथ थोड़ी रियायत करनी चाहिये। मेरी समझ में यह सब सहूलियतें होंगी, अब इन को कागज पर कहां तक लिखा जाय।

श्री गणपति राम : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि वह हरिजन उम्मेदवार जो कम्पीटीटिव इग्जामिनेशन्स (प्रतियोगीय परीक्षाओं) में चुने नहीं जा पाते, तो जो वेकैन्सीज (रिक्तियां) रह जाती हैं उन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (सीधीभर्ती) के द्वारा एजूकेशनल क्वालीफिकेशन्स (शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें) पर दे दिया जाता है ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं, इस के लिए आप मुझे नोटिस (पूर्वसूचना) देंगे तो मैं बतला सकूंगा।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं सन् १९४९-५० तथा १९५०-५१ में अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के लिए सुरक्षित पदों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं, तथा इन में से कितने पदों पर अनुसूचित जाति वाले उम्मेदवारों को नियुक्त किया गया ?

डा० काटजू : एक विवरण तैयार किया जा रहा है, उसे मैं सदन पटल पर रख दूंगा।

एक बन्दी की मृत्यु

*२३०१. **श्री दशरथ दब :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर षड्यंत्र केस में दंडित कितने बन्दी मिदनापुर जेल में रखे गये हैं, और उन को उन के राज्य से इतनी दूर क्यों रखा गया है ;

(ख) किन श्रेणियों में उन को रखा गया है ;

(ग) क्या उन में से एक की मृत्यु १८ अप्रैल, १९५२ को अपनी कोठरी में हो गई थी, और यदि हां, तो उस की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी ;

(घ) क्या उस की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए कोई पूर्णरूपेण जांच की गई थी, और यदि हां, तो उस जांच की क्या उपपत्तियां हैं ; तथा

(ङ) क्या कोई अन्य बन्दी भी रोगी हैं, और यदि हैं तो कितने हैं, किन रोगों से पीड़ित हैं तथा क्यों पीड़ित हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) मनीपुर की जेलों में जगह की कमी के कारण १६ बन्दियों को मिदनापुर जेल में भेजा गया था ।

(ख) दूसरी तथा तीसरी श्रेणी ।

(ग) जी हां, बन्दी की मृत्यु चर्बी के हृदय में पहुंच जाने के परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन रुक जाने के कारण हुई थी ।

(घ) मृत्यु होने वाले दिन ही एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने जांच की थी, उस का निर्णय यह था कि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु मात्र थी ।

(ङ) जी हां, मनीपुर साम्यवादी षड्यंत्र केस में दंड पाया हुआ एक बन्दी हैमिथानेसथेसिया रोग से पीड़ित हो गया था और उसे विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए मिदनापुर से कलकत्ता भेजा गया था । दो बन्दी दीर्घकालीन कोषबद्धता के कारण स्नायविक व्याधि रोग से पीड़ित हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन बन्दियों को उन कोठरियों में रखा गया था जिन को जेल जांच समिति ने अयोग्य घोषित कर दिया था ?

डा० काटजू : मुझे निश्चय ही नहीं मालूम है ।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या इस प्रकार का कोई प्रमाण था जिस से यह ज्ञात होता था कि मृतक व्यक्ति दुर्बल हृदय रोग से पीड़ित था ?

डा० काटजू : निश्चय ही ऐसा होगा ; मैं केवल सुझाव दे रहा हूं ; यह मामला तो शव परीक्षा करने अथवा अस्पताल के प्रभारी सर्जन द्वारा जांच किये जाने का है ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन बन्दियों के सम्बन्धियों को शव की जांच करने की अनुमति दी गई थी ?

डा० काटजू : जहां तक मृत व्यक्ति का सम्बन्ध था, मेरी सूचना यह है कि उस के सम्बन्धियों को तार दिये गये थे । यह मैं नहीं बता सकता कि वह आये या नहीं ।

जनाब अमजद अली : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री का अनुमान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक मामले में मृत्यु हृदय की गति रुक जाने से ही होती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कदाचित माननीय सदस्य ने प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसे सुना नहीं। उन्होंने यह कहा कि एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी और उसी जांच के आधार पर उन्हों ने यह कहा है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं रोगी बन्दियों के नाम जान सकता हूं ?

डा० काटजू : मृत व्यक्ति का नाम कुसम रबाई सिंह था। हृदय में चर्बी जमा हो के कारण उस की मृत्यु हुई थी। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मृत शरीर की शव परीक्षा सिविल सर्जन द्वारा की गई थी और उन्होंने यह प्रमाणपत्र दिया है कि मृत्यु हृदय में चर्बी जमा हो जाने के परिणामस्वरूप हृदय की गति रुक जाने के कारण हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : वह अन्य बन्दियों के नाम जानना चाहते हैं।

डा० काटजू : मुझे खेद है। दूसरा साम्यवादी बन्दी, जिसे रक्तरोग हो गया था, पी० काला सिंह है। उसे विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए तुरन्त ही अलीपुर के केन्द्रीय जेल को स्थानान्तरित कर दिया गया था। अन्य दो बन्दी, जो स्नायविक व्याधि रोग से पीड़ित हैं, महेंद्र सिंह और टिकेन्द्र सिंह हैं।

श्री बी० सी० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सिविल सर्जन उक्त जेल का सुपरिन्टेन्डेंट भी था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें। इन में ऐसे आरोप होते हैं जो समीचीन नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या जेल के लेख्यों से यह ज्ञात होता है कि मृत व्यक्ति निरन्तर हृदय रोग से पीड़ित रहा था और मृत्यु प्रायः सामान्य परिस्थितियों में ही हुई थी, अथवा क्या लेख्यों से यह ज्ञात होता है कि इस मामले में कुछ सन्देहजनक परिस्थितियां भी थीं ?

डा० काटजू : जैसा आप जानते हैं मृत्युएं जेल के बाहर भी होती हैं। लाखों व्यक्ति हृदय की गति रुक जाने के कारण मर जाते हैं। इस प्रकार के आरोप लगाने से, कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हृदय की गति रुक जाने से नहीं हुई थी, क्या लाभ है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन

*२३०३. **श्री मादिया गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी समय मैसूर सरकार ने बंगलौर मैसूर रेलवे लाइन को विद्युन्मय बनाने की कोई योजना बनाई थी ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना भी मैसूर रेलवे के केन्द्र को हस्तान्तरित किये जाने पर केन्द्र को हस्तान्तरित कर दी गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, परन्तु वह योजना मैसूर सरकार ने अग्रेतर विचार करने पर त्याग दी थी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

मादिया गौडा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार की नीति उन सभी स्थानों पर, जहां विद्युत शक्ति सस्ती है तथा यातायात अधिक है, रेलवे को विद्युन्मय करने की है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, यह ठीक है, विद्युत परिचालन की उत्तमता स्पष्ट है, परन्तु हमें अन्य बातों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रारंभिक व्यय बहुत अधिक होता है ।

मादिया गौडा : मैसूर तथा बंगलौर के मध्य रेल पथ को विद्युन्मय करने का क्या व्यय होगा ? यह दूरी केवल ८७ मील ही है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे खेद है कि म आंकड़े नहीं दे सकता हूं ।

श्री शिवनंजप्पा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैसूर राज्य रेलवे के भारतीय रेलवे में संविलीन होने से पूर्व मैसूर सरकार ने बार बार यह वायदा किया था कि मैसूर बंगलौर लाइन को विद्युन्मय कर दिया जायेगा, क्या सरकार इस वायदे को निकट भविष्य में ही कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : स्वयं मैसूर सरकार ने ही इस योजना को छोड़ दिया था। अतः इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि उस ने हम से उस योजना को ले लेने की प्रार्थना की हो।

श्री बासप्पा : क्या यह तथ्य है कि यदि मैसूर रेलवे का संविलय न हुआ होता तो मैसूर सरकार ने स्वयं ही इस प्रश्न को हल कर दिया होता ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने यह कहा कि स्वयं मैसूर सरकार ने ही इसे छोड़ दिया था । शायद उन्होंने उत्तर सुना नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर्स को कोई टी० ए० (यात्रा भत्ता) नहीं दिया जाता है जैसे कि गार्डों को दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे उत्पन्न होता है। यदि माननीय सदस्य कार्यवाही की ओर ध्यान दें तो अधिक उत्तम होगा।

परिपत्र

*२३०५. **श्री एस० जी० पारिख :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ऐसे परिपत्रों को जिन का प्रारम्भ 'प्रियवर' से और अन्त 'आपका शुभेच्छु' से होता है, बुक पोस्ट नहीं समझा जाता है अपितु उन को साधारण पत्र समझा जाता है और उन पर दो आना डाक महसूल लगता है।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां ।

श्री एस० जी० पारिख : क्या सरकार को विदित है कि अनेकों व्यवसायिक तथा वाणिज्यक समवायों तथा लिमिटेड कम्पनियों को अपने अंश धारियों को परिपत्र भेजने पड़ते हैं और इस कारण उन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : यह तथ्य है कि उन को परिपत्र भेजने पड़ते हैं परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हमारे कर्मचारियों को यह निश्चय करने में कि कौन सा पत्र व्यक्तिगत प्रकार का है तथा कौन सा बुक पोस्ट की परिभाषा के अन्तर्गत आता है, बहुत कठिनाई होती है इस कारण हम ऐसा करने में असमर्थ हैं ।

श्री एस० जी० पारिख : जब कि विषय व्यक्तिगत प्रकार का न हो और मुद्रित हो तो उसे व्यक्तिगत प्रकार का पत्र कैसे कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम तर्क वितर्क में जा रहे हैं और उस का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस मामले के सम्बन्ध में माननीय मंत्री से बातें की जा सकती हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि हस्ताक्षर भी साइक्लोस्टाइल्ड हो तब क्या होता है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : समूचे प्रश्न की जांच की जा रही है, और शीघ्र ही हम कोई निश्चय करेंगे।

खाद्य कृषि संस्था (एफ० ए० ओ०) की क्षेत्र आन्दोलन परिषद्यतायें

*२३०६. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन भारतीयों की संख्या जिन को कृषि तथा सम्बद्ध विषयों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए खाद्य तथा कृषि संस्था से परिषद्यतायें मिल रही हैं ; तथा

(ख) वह विशिष्ट प्रयोजन जिन के लिए वह दी गई हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : क्या सरकार मत्स्यग्रहण, टिड्डी विरोधी तथा भूमि परिमापन जैसे विशिष्ट विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को भेजती है ? इन विशिष्ट विषयों के लिए स्वीकृत परिषधताओं की संख्या बतलाने की कृपा करें ?

श्री सतीश चन्द्र : अब ४५ परिषधतायें स्वीकार की गई ह, और १८ की सुविधा का लाभ उठा लिया गया है। यह सूचना माननीय सदस्यों को दिये गये विवरण में दी गई है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह तथ्य है कि किसी विषय विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे गये व्यक्ति किन्हीं अन्य विभागों में नियुक्त कर दिये गये हैं जिन का उन के विषय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरा ऐसा विचार नहीं है। उन की सेवाओं को सर्वोत्तम रीति से काम में लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है। जो वह बता रहे हैं वह पुरानी प्रथा थी, परन्तु मुझे विश्वास है कि अब वह बन्द हो गई है।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किन स्थानों को यह विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र : उन में से कुछ को संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया है, चावल सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य करने के लिए कुछ को जापान भेजने का विचार है। कुछ तो भारत में ही खाद्य तथा कृषि संस्था के त्याग पर जो यह परिषधतायें देती हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत सूचना विवरण में दी गई है।

मनीपुर की यात्रा

*२३०७-क. **जनाब अमजद अली :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन व्यक्तियों के, जो मनीपुर के निवासी नहीं हैं, मनीपुर जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ; तथा

(ग) ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राजपथ

*२३०७-ख. **श्री अच्युतन :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों का कोई भाग त्रावनकोर-कोचीन में होकर जाता है, और यदि हां, तो उस की सम्पूर्ण लम्बाई कितनी है ; तथा

(ख) क्या उस राज्य में सन् १९५१ में राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत कोई कार्य किया गया है, और यदि किया गया है तो उस का परिव्यय क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, २४४ मील ;

(ख) जी हां, सन् १९५१-५२ में १·८९ लाख मूल निर्माण कार्यों पर और ७·०९ लाख मरम्मत आदि पर।

श्री अच्युतन : इन राष्ट्रीय राजपथों के विकास तथा मरम्मत आदि के लिए सन् १९५१ के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मरम्मत के लिए ६,१२,००० रुपये।

चीनी (अस्थायी आबकारी) निधि

*२३०८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई तथा चीनी (अस्थायी आबकारी) निधि के संचित अनुदान में से भारतीय केन्द्रीय गन्ना परिषद् द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई निधि में से अर्थ-साहाय्य प्राप्त विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जांच की गई है ;

(ख) यदि की गई है, तो क्या पैदावार तथा स्यूक्रोज़ प्रतिशतता में कोई निश्चित वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हुई है, तो योजना में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य में पैदावार तथा स्यूक्रोज की मात्रा में हुई वृद्धि की प्रतिशतता ; तथा

(घ) इस वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विभिन्न राज्यों ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां, सन् १९५०-५१ तक विभिन्न राज्यों के विकास क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार में हुई वृद्धि की प्रतिशतता इस प्रकार है :

राज्य का नाम	पैदावार में हुई वृद्धि की प्रतिशतता
(१). उत्तर प्रदेश	९६·०
(२). बिहार	११·७
(३). बम्बई	४·२
(४). मद्रास	३४·०

केवल विकास क्षेत्रों में उत्पन्न हुए गन्ने के स्यूक्रोज़ परिमाणों के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में पैदावार का वार्षिक अनुमान अव्यवस्थित न्यादर्श जांच के आधार पर किया

जाता है। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में अनुमान केवल देख कर ही किये जाते हैं।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पैदावार और स्यूक्रोज़ परिमाणों में हुई वृद्धि को निश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं ने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में पैदावार का अनुमान अव्यवस्थित न्यादर्श जांच के आधार पर किया जाता है, अन्य राज्यों में अनुमान केवल देख कर ही किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि पैदावार स्वयं को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया गया है।

श्री सतीश चन्द्र: सिंचाई सुविधाओं तथा उत्तम बीज देने के लिए बीज उत्पादक केन्द्रों का विकास, अच्छे खादों तथा कृषि-सारों का वितरण, रोगों तथा नाशक कीड़ों की रोकथाम तथा भूमि विकास सेवाओं की सुविधा।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि पैदावार में सम्पूर्ण वृद्धि कितनी हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं ने प्रतिशततायें बता दी हैं। वह पैदावार की प्रतिशत वृद्धि को बताती हैं।

श्री एस० एन० दास: क्या इस में वह सभी क्षेत्र आ गया है जहां गन्ना पैदा होता है ?

श्री सतीश चन्द्र: जी हां, श्रीमान्, विकास केन्द्र में पैदावार बहुत काफ़ी अधिक बढ़ गई है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र तथा विकास क्षेत्र का परस्पर अनुपात बता सकता हूं। उस से उन को प्रत्येक राज्य में हुई योग वृद्धि का अनुमान मिल सकेगा।

श्री एस० एन० दास: मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस योजना का, जिसे अभी विभिन्न राज्यों ने प्रारम्भ किया है, कुछ परिणाम निकला है जहां तक कि सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र का सम्बन्ध है ?

श्री सतीश चन्द्र: जैसा कि मैंने निवेदन किया श्रीमान् विकास क्षेत्रों में पैदावार में वृद्धि हुई है।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या सभी विभिन्न राज्यों में पैदावार में निश्चित वृद्धि हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र: श्रीमान्, विकास क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्रफल का ही तो भाग होता है। यदि विकास क्षेत्रों में कोई वृद्धि होती है, तो निश्चित ही सम्पूर्ण क्षेत्र में भी वृद्धि होती है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का प्रश्न केवल गन्ने के सम्बन्ध में है, अतः उत्तर भी इतने तक ही सीमित है।

श्री के० के० बसु: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या स्यूक्रोज़ का परिमाण भी केवल देख कर ही किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र: जी नहीं, श्रीमान्, केवल विकास क्षेत्रों के ही स्यूक्रोज़ परिमाण सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य समस्त देश के आंकड़े चाहते हों तो मैं वह उन को दे सकता हूं। सन् १९४७-४८ के ९.८५ प्रतिशत से बढ़कर वह सन् १९५०-५१ में १०.०५ प्रतिशत हो गया है।

श्री के० के० बसु: जैसा कि आप ने बताया मद्रास तथा अन्य राज्यों में अनुमान केवल देख कर ही लगाये गये थे,

मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या स्यूक्रोज़ के परिमाण का भी अनुमान केवल देख कर ही ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सम्पूर्ण प्रश्न को ही ग़लत समझा है।

श्री सारंगधर दास : क्या हम यह समझें कि स्यूक्रोज़ के जो आंकड़े दिये गये हैं वह स्यूक्रोज़ परिमाणों के हैं या गन्ने से प्राप्त होने वाले स्यूक्रोज़ के हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : ९.८५ से १०.०५ प्रतिशत तक की वृद्धि गन्ने से प्राप्त होने वाले स्यूक्रोज़ के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से हमसे गन्ने की स्यूक्रोज़ प्रतिशतता का उत्तम अनुमान मिल सकता है।

समाजार्थ शास्त्रीय उत्थान

*२३०९. **श्री संगण्णा** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि प्रत्येक राज्य में आदिवासियों के समाजार्थ शास्त्रीय उत्थान के लिए व्यय करने के हेतु कुछ अनुदान किन्हीं असरकारी संस्थाओं तथा समितियों को दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं तथा समितियों के नाम और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक संस्था या समिति को वित्तीय वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में दी गई अर्थ सहायता; तथा

(ग) इन अनुदानों के समुचित उपयोग के लिए किन सुरक्षणों को व्यवस्था की गई है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान श्री बी० एस० मूर्ति द्वारा १८ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८२ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री संगण्णा : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि गत चुनाव के अवसर पर इन गैर सरकारी संस्थायों तथा समितियों ने राजनीतिक प्रचार कार्य किया था और यदि विदित है, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० काटजू : मुझ पूर्वसूचना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आसाम को भी इस हेतु कुछ धन दिया गया है, और यदि दिया गया है तो किस समाज सुधारक संस्था को यह दिया गया है ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य को कदाचित कुछ मतिभ्रम मालूम होता है। विकास कार्यों के लिए अनुदान राज्य सरकारों को दिये जाते हैं और उन को समुचित रीति से व्यय करना तथा उन का समुचित लाभ उठाना उन का ही काम है। केवल यह सामान्य परामर्श दिया गया है कि राज्य सरकारें इस धन के कुछ भाग को समुचित रूप से व्यय करने के लिए उपयक्त असरकारी संस्थाओं आदि की सेवायें प्राप्त कर सकती है। और अधिक ब्यौरा मुझे ज्ञात नहीं है।

श्री आर० के० चौधरी : मैं यह ज्ञात करना चाहता था कि आसाम को कितना धन दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही यह बता चुके हैं कि सूचना एकत्रित की

जा रही है, और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

बड़गोपाल और दीघवाड़ा के मध्य एक स्टेशन का खोला जाना

*२३११. **पंडित डी० एन० तिवारी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ओ० टी० रेलवे (अब की उत्तर पूर्वी रेलवे) पर, बड़गोपाल और दीघवाड़ा रेलवे स्टेशनों के मध्य एक नया रेलवे स्टेशन के खोले जाने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

(ख) प्रस्थापना अब किस स्थिति पर है :

(ग) क्या सरकार को कार्य को जल्दी करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) नया स्टेशन कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) और (ख). जी हां। उत्तर पूर्वी रेलवे पर बड़गोपाल और दीघवाड़ा के बीच एक फ्लैग स्टेशन खोलने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है और कार्य आरम्भ हो गया है।

(ग) स्टेशन के जल्दी खोले जाने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) अक्तूबर मास के अन्त तक अर्थात् जब तक मानसून समाप्त हो, इस स्टेशन के चालू हो जाने की आशा की जाती है।

श्री आर० एन० सिंह: क्या ओ० टी० रेलवे पर चितबड़ा गांव स्टेशन और बक्सर के बीच कोई रेलवे लाइन बनाने की बात हुई थी और क्या उसके लिए नपाई भी हो गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री: याद तो नहीं है। लेकिन अगर नोटिस (पूर्वसूचना) दें तो पता हो सकता है।

भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता क़रार

*२३१२. **पंडित डी० ऐन० तिवारी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता क़रार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से प्राप्त होने वाले कृषिसारों के प्रयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): इन कृषिसारों के प्रयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली अनुमानित वृद्धि का प्रक्कलन १ १/२ तथा २ करोड़ के बीच किया गया है।

पंडित डी० एन० तिवारी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन कृषिसारों के प्रति बोरे का क्या मूल्य है और यह मूल्य भारतीय कृषिसारों के मूल्य के मुकाबले में कैसा है ?

श्री सतीश चन्द्र: प्रश्न का निर्देश उन कृषिसारों की ओर है जो भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता क़रार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा प्रदान किये जाने को है। क्योंकि इनका मूल्य अभी इसी समय दिया जाना है अतः कृषिसारों का कोई निश्चित नहीं किया गया है। इसका मूल्य उस डालर विधि में से दिया जाता है जो कि संयुक्त राज्य अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा खोला जाने वाला है। जिन देशों से इन कृषिसारों को आयात किया जायेगा वहां से वह प्रतियोगीय बाज़ार भाव पर खरीदे जायेंगे।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या इस अभी दिये गये उत्तर से इसे यह समझें कि हम को उस धन राशि का कोई अनुमान नहीं है जो हम इन कृषिसारों पर व्यय कर रहे हैं, और क्या ऐसी अवस्था में हम यह मान लें कि पैदावार में वृद्धि के जो आंकड़े हमने फैलाये हैं वह प्रायः जंत्र मंत्र जैसे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: मेरा विचार है श्रीमान् कि पैदावार की वृद्धि का मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । पैदावार में वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार विशेष के कृषिसारों के परिमाण विशेष के इस्तेमाल से होती है।

जहां तक मूल्यों का प्रश्न है प्रविधिक सहकारिता प्रशासन में यह क़रार हुआ है कि यह कृषिसार हमको संसारव्यापी मूल्य पर ही दिये जायेंगे । यह न केवल संयुक्त राज्य से ही खरीदे जायेंगे परन्तु इन को किन्हीं अन्य देशों जैसे हालैण्ड, जापान इत्यादि से ख़रीदे जा सकते हैं। यह हमको उसी बाज़ार मल्य पर मिलेंगे जो उस समय प्रचलित था ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् क्या सरकार की प्रस्थापना है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सिन्दरी में हम अपने कृषिसार स्वयं बना रहे हैं, इसलिये प्रविधिक सहकारिता करार में परिवर्त्तन कर दिया जाये और कुछ ऐसे साधन निकाले जायें जिस में कि कृषिसारों से आगामी काल में अधिक मितव्ययता से काम लिया जा सके।

श्री सतीश चन्द्र: अगले बर्ष की देश की कृषिसारों सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता ४,१८,००० टन है, और सिन्दरी में जो उत्पादन होगा उस का अनुमान दो लाख टन लगाया गया है । अतः हम को यह कमी पूरी करनी होगी । ८८,००० टन अमोनियम सल्फेट के अतिरिक्त, जिसे इस क़रार के अन्तर्गत आयात किया जा रहा है सरकार ने अन्य देशों से ८२,००० टन कृषिसार ख़रीदे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जिन कृषिसारों को हम संयुक्त राज्य से प्राप्त करने वाले हैं क्या उन की परीक्षा करली गई है।

श्री सतीश चन्द्र : अमोनियम सल्फेट तो इस देश में बहुतायत से काम में लाया जाता है। ८८,००० टन अमोनियम सल्फेट के अतिरिक्त २२,००० टन नये प्रकार के कृषिसार और भी आयात किये जा रहे हैं। यह मुख्यतया परीक्षात्मक कार्यों के लिये हैं। यदि प्रयोग असफल रहेंगे और यदि यह कृषिसार भारत की भूमि के लिये उपयुक्त नहीं होंगे तो उन के मूल्य का भुगतान किये जाने पर आग्रह नहीं किया जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार को विदित है कि भारत में इन रासायनिक कृषिसारों के अधिकाधिक स्टाक मौजूद हैं जो कि गत वर्ष सूखा पड़ने के कारण बेचे नहीं जा सके थे ।

श्री सतीश चन्द्र : मेरे विचार से श्रीमान् यह सूचना ठीक नहीं है । यह सम्भव है कि किसी क्षेत्र विशेष में कुछ स्टाक न बिका हो, परन्तु समस्त देश को देखते हुए और अधिक कृषिसारों की मांग है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या यह तथ्य है श्रीमान्, कि भारत में अनेकों कोक सयमों में अमोनियम सल्फ़ेट बनाया जा रहा है ।

श्री सतीश चन्द्र : बंगाल और बिहार के कोक संयत्रों से कोई २०,००० टन प्राप्त होता है। अगले वर्ष के लिये अपेक्षित हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय इस परिमात्रा को भी ध्यान में रखा गया है।

गारो पहाड़ियां तथा मिकिर पाहड़ियां

*२३१३. **श्री बेली राम दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि छोटे रेशे वाली कपास की बहुत अधिक मात्रा आसाम राज्य की गारो पहाड़ियां तथा मिकिर पहाड़ियां ज़िलों में उत्पन्न होती हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि लंब रेशे वाली कपास की, जिस का मूल्य अधिक मिलता है, अधिक मांग है; तथा

(ग) क्या इन उपरोक्त ज़िलों में लंब रेशे वाली कपास उगाने के लिये कोई कार्यवाही ी गई है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) गारो पहाड़ियों में उत्पन्न होन वाली प्रायः सारी कपास छोटे रेशे वाली होती है और उत्पादन प्रतिवर्ष ८००० से १२,००० गांठें प्रतिवर्ष होता है। मिकिर पहाड़ियों भें उत्पन्न होने वाली कपास छोटे और मध्यम रेशे की मिली जुली कपास होती है और उस का वार्षिक उत्पादन २५० से १,००० गांठों तक होता है। इन जिलों में पैदा होने वाली कपास समस्त भारत में पैदा होने वाली समस्त कपास का जिस का परिमाण ३६ लाख गांठ होता है बहुत थोड़ा भाग होती है।

(ख) जी हां

(ग) फ़रवरी १९४७ से भारतीय केन्द्रीय कपास समिति आसाम में पहाड़ी कपास की किस्म को सुधारने के लिये एक योजना को आर्थिक सहायता दे रही है। सन् १९४७-४८ के बाद से लंबे तथा मध्यम रेशे वाली कपास के सम्बन्ध में किये परीक्षण अब तक प्रायः असफल रहे हैं।

श्री बेली राम दास : क्या यह तथ्य है श्रीमान्, कि यातायात सुविधाओं के न होने के कारण गारो तथा मिकिर पहाड़ियों के कपास उगाने वाले अपनी कपास का समुचित मूल्य नहीं पा रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : गारो पहाड़ियों में उत्पन्न हुई अधिकांश कपास स्थानीय रूप से ऊन में मिश्रण कर के काम में लाई जाती है। अधिक दूरी तक उसे नहीं भेजा जाता है, और उत्पादन की परिमात्रा बहुत कम है।

जनाब अमजद अली : क्या मैं माननीय मंत्री की ग़लती को सुधार·····

श्री सरमा : मध्यम तथा लंबे रेशे वाली कपास उगाने को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, कई क़िस्मों का यहां परीक्षण किया गया था, और उन प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि एक या दो क़िस्मों के अतिरिक्त आसाम की जलवायु मध्यम और लंबे रेशे वाली कपासों की अधिकांश क़िस्मों के लिये अनुपयुक्त थी।

श्री आर० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि गारो पहाड़ियों से बहुत सी कपास रालो ब्रदर्स के द्वारा निर्यात की गई है और उनका कार्यालय गारो पहाड़ियों तथा मिकिर पहाड़ियों दोनों स्थानों पर है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक घटना विशेष की सूचना दे रहे हैं और यह बता रहे हैं

कि इस परिस्थिति के लिये अधिकांशतया राली ब्रदर्स ही उत्तरदायी हैं।

श्री सरमा: माननीय संभासचिव ने हमें बताया कि छोटे रेशे वाली कपास गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है और मध्यम रेशे वाली कपास मिकिर पहाड़ियों में उगाई जाती है। फिर हमें यह उत्तर मिला कि कोई संस्था विशेष गारो तथा मिकिर पहाड़ियों में लंबे रेशे वाली कपास के उगाने का प्रयोग करने को प्रोत्साहन दे रही थी, और वह प्रयोग असफल रह रहे हैं। मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या कार्यवाही की गई है और प्रयोग किस प्रकार असफल रहे हैं। क्या केवल काल्पनिक आधार पर ही यह समझ लिया गया है कि यहां की जलवायु अनुपयुक्त है या वास्तविक उत्पादन के बाद यह ज्ञात हुआ है कि जलवायु अनुपयुक्त है ?

अध्यक्ष महोदय: हमें इतने सब दौरों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र: भारतीय केन्द्रीय कपास समिति आसाम सरकार को, जो कि कदाचित् अपने कृषि विभाग के द्वारा इन प्रयोगों को करा रही है, आर्थिक सहायता दे रही है।

श्री सरमा: क्या कोई प्रयोग ···

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

दिल्ली-लखनऊ रेलवे ट्रेन

*२३१५. **श्री कृष्ण चन्द्र:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मथुरा ज़िले के राज्य विधान सभा के सदस्यों की ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में यह प्रार्थना की गई है कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली नई ट्रेन मथुरा आगरा हो कर निकाली जाये जिस से कि उन को लखनऊ जाने में सुविधा हो सके ; तथा

(ख) क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो क्या ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां, एक प्राप्त हुआ था।

(ख) उस सुझाव को स्वीकार करना वांछनीय नहीं समझा गया।

श्री कृष्ण चन्द्र: क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से यह मुनासिब नहीं समझा गया कि इस दरख़्वास्त को मंजूर किया जाये ?

श्री एल० बी० शास्त्री: यह गाड़ी ख़ास तौर पर इसलिये निकाली गई थी कि कोई तेज़ गाड़ी दिल्ली और लखनऊ के बीच चले। अगर माननीय सदस्य की राय मंजूर की जाये तो जिस दशा से यह गाड़ी चलाई गई थी वहीं ख़त्म हो जायेगी यानी मथुरा होकर जाने में और देर लगेगी और गाड़ी दिल्ली ज्यादा देर में पहुंचेगी।

श्री एस० एन० दास: जो उत्तर बिहार के यात्री इस ट्रेन से सफ़र करेंगे उन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के पहुंचने के बाद क्या लखनऊ से बिहार के लिए कोई तेज़ गाड़ी खोलने का इरादा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: क्या बिहार से लखनऊ आवेंगे उन के ख़्याल से ?

श्री एस० एन० दास: जो उत्तर बिहार को जायेंगे उन के ख़्याल से।

श्री एल० बी० शास्त्री: मेरे ख़्याल में पहले से ही ऐसी गाड़ियां हैं जिन से यह यात्री सुविधापूर्वक आ और जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह प्रश्न परामर्श दात्री समिति में उठाये जायें। यह सब व्यौरे की बातें हैं।

श्री फ़ीरोज़ गांधी: यह गाड़ी दिल्ली बहुत देर में पहुंचती है। क्या इस के दिल्ली पहुंचने का इन्तज़ाम हो सकता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी हां, यह आदेश दे दिया गया है और अगले टाइम टेबिल में ग़ालिबन (कदाचित्) आप यह पायेंगे कि यह एक घंटा जल्दी पहुंचेगी।

बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम

*२३१६. **श्री कजरोलकर** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमश: दी जाने वाली धन राशि और ३१ मार्च, १९५२ तक दोनों सरकारों द्वारा वास्तव में दी गई धन राशि ;

(ख) सन् १९४९ से ३१ मार्च, १९५२ तक निगम के वार्षिक वित्तीय परिणाम क्या रहे हैं ;

(ग) इन्हीं कालावधि में केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली यातायात तथा अन्य नवीन राज्य यातायात व्यवसायों के वित्तीय परिणाम ; तथा

(घ) बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम में केन्द्रीय सरका के कितने प्रतिनिधि हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २**]

श्री कजरोलकर: क्या सरकार राज्यों की यातायात सेवाओं को सहयोजित करने के लिए कोई केन्द्रीय यातायात पर्षद् स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमने एक सम्मेलन बुलाया है और सम्भव है कि हम उस सम्मेलन में इस प्रस्थापना पर भी विचार करें। उस सम्मेलन म राज्यों के मंत्री तथा विभिन्न राज्यों के यातायात आयुक्त भाग लेंगे।

श्री कजरोलकर: क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि उन बस मालिकों को, जो पहले इन सेवाओं को चला रहे थे, क्षतिपूर्ति देने में किन सिद्धान्तो का आश्रय लिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : देय क्षतिपूर्ति की दरें बम्बई मोटर गाड़ी नियमों, १९४० के नियम १२०-ख में दी गई हैं। इस के अतिरिक्त, जहां भी संभव हो सका है निगमों ने बस मालिकों से उनकी बसें खरीद ली हैं।

श्री कजरोलकर : क्या माननीय मंत्री सेवाओं के लिये जाने से पूर्व के तथा उस के बाद के तुलनात्मक आंकड़े बता सकते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्वसूचना की अपेक्षा होगी।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार सेवा की अवस्था में सुधार कर के दिल्ली यातायात सेवा की वित्तीय दशा को सुधारने की प्रस्थापना करती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी हां, हमने हाल ही में एक जांच की है। जांच समिति ने बहुत परिश्रम किया और अपनी रिपोर्ट दस दिन के भीतर ही दे दी। रिपोर्ट की इस समय जांच की जा रही है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आसाम में बाढ़ें

जनाब अमजद अली : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री २२ जुलाई, १९५२ को गृह कार्य मंत्री द्वारा आसाम में आई बाढ़ों के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य की ओर निर्देश करके उस विषय पर उन अग्रेतर तथ्यों की दृष्टि में जो सरकार को आसाम से प्राप्त हुए हों, एक और वक्तव्य देने को कृपा करेंगे ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान् क्या मैं आपकी अनुमति से आसाम में आई बाढ़ों के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न के विषय में माननीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के पश्चात हाल ही में प्राप्त हुई सूचना के आधार पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। प्रारम्भ करने से पूर्व मैं सदन की दृष्टि में यह बात लाने का अवसर लेता हूं कि जिस ५२ व्यक्ति की जन हानि का हाल गृह मंत्री के वक्तव्य में किया गया था वह उस से कहीं कम निकली। वास्तव में बाढ़ से हुई केवल दो मृत्युओं की सूचना मिली है। मैं निवेदन करूं कि यह ग़लती सूचना भेजने में कोई त्रुटि हो जाने के कारण हो गई। राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार समस्त राज्य में बाढ़ उतरती जा रही है। उत्तरी ट्रंक रोड पर यातायात अस्थायी रूप से चालू हो गया है। पुलों की मरम्मत का काम जारी है। आसाम ट्रंक रोड तथा तूरा, मणिकार्चर तथा गोलपाड़ा जैसी जिलों की आवश्यक सड़कों पर सड़क यातायात चालू हो गया है। आशा की जाती है कि आसाम ऐक्सस (पहुंच) रोड पर बशीरहाट तथा बिलासपाड़ा के बीच यातायात, अगस्त मास के प्रथम सप्ताह तक चालू हो जायेगा अन्य सभी सड़कों पर यातायात को चालू करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य सरकार को यातायात मंत्रालय से सूचित किया गया है कि वह अतिरिक्त अनुदानों के दिये जाने की प्रत्याशा में राष्ट्रीय राजभार्गों की मरम्मत का काम और तेज़ी से भी करे। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अंजनिक, तीन अधीक्षक अंजनिकों तथा एक सहायक मुख्य अजनिक को नियुक्त कर दिया है।

२. आसाम रेल कड़ी पर पश्चिम से चैंगमरी तक और पूर्व से फकीरग्राम तक रेल यातायात चालू हो गया है, चैंगमरी और फकीरग्राम के बीच कहीं कहीं यातायात चालू हो गया है, और इस भाग में तथा समस्त रेल कड़ी पर एक ओर से दूसरी ओर तक का यातायात धीरे धीरे अगस्त मास के अन्त तक खुल जायगा।

रंगिया आर रंगपाड़ा उत्तरी शाखा की खवा सर्विस की उपलब्धता पर अलीपुर द्वार गितल-दाहा ब्रांच पर कूच बिहार तथा गितल दाहा के बीच के अतिरिक्त सभी ब्रांच लाइनों पर यातायात चालू हो गया है।

३. आसाम के मुख्य मंत्री ने कोई ४ लाख रुपये के मूल्य की औषधियां, कृमिनाशक औषधियां तथा दुग्ध चूर्ण के दिये जाने की प्रार्थना की है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ५५,००० रुपये के मूल्य की वस्तुओं के भेजे जाने की पहले ही आज्ञा दे दी है। इसमें मलेरिया विरोधी औषधियां तथा दुग्ध चूर्ण मुख्य वस्तुएं हैं। इस सामान को भारतीय रैडक्रास सुसाइटी की पश्चिमी बंगाल शाखा के द्वारा गौहाटी स्थित लोक स्वास्थ्य के

सहायक संचालक को भेज दिया गया है। ४०,००० रुपये के मूल्य की औषधियों का एक और चालान, जिस में ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ़ा औषधियां, पुटाशियम परमगनेट तथा कुनीन है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार उसी अधिकारी को भारतीय रैडक्रास सुसाइटी की पश्चिमी बंगाल शाखा के द्वारा भेजा जा रहा है। भारत सरकार बिना मूल्य लिए आसाम सरकार को और भी औषधियां; जैसे कुनीन की टिकिया, मैपाक्रीन की टिकिया, बहु विटामिन टिकियां, सल्फामीज़ाथीन, पेनिसिलीन (साधारण), दुग्ध चूर्ण (मलाईदार) तथा दुग्ध चूर्ण (माल्टेड); भेजने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिये संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि से ५० टन मक्खन निकले दुग्ध का चूर्ण, सल्फाडायज़ीन की दस लाख टिकियां तथा पैल्युड्रीन की दस लाख टिकियां भेजने की प्रार्थना की गई है।

४. इस वर्ष प्रथम अर्द्धांश में, १३,२५२ टन चावल तथा ५३•३९७ टन गेहूं आसाम को आवंटित किया गया है। आसाम सरकार के पास १७,३२४ टन चावल और ४२७२ टन गेहूं का स्टाक मौजूद है। यह स्टाक १४ सप्ताह के लिए काफी है और आपाती परिस्थितियों के लिए भी काफी है। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह जितनी भी आपाती आवश्यकता हो उस के लिए अपने पास वाले स्टाक से अनाज दे दे और अन्ततः पूरा मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित स्टाक उस को पुनः दे दिया जायगा। जितने गेहूं की आवश्यकता होगी भारत सरकार उसे देने में समर्थ होगी, पर जहां तक चावल का सम्बन्ध है प्रदाय स्थिति तनिक विषम रहेगी। उस की सारी मांग को पूरा करना कदाचित संभव न हो सके।

५. आसाम के मुख्य मंत्री ने तार द्वारा ५००० मन चावल मुफ़्त बांटने के लिए और ५००० मन चावल १५ रुपये प्रति मन की रियायती दर पर दिये जाने की प्रार्थना की है। रियायती दर पर बेचे जाने के लिए की गई ५००० मन की मांग स्वीकार कर ली गई है, और जहां तक मुफ्त बांटे जाने के लिए मांगे गये अनाज का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया गया है कि सर्वप्रथम आसाम सरकार राज्यपाल की सहायता निधि से उस मांग को पूरा करे। क्योंकि इतना अनाज आसाम सरकार स्वयं अपने स्टाक से ही निकाल सकती है अतः इसे तुरन्त ही केन्द्र से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

६. साप्त ग्राम डाकखाने ने १८ जुलाई से कार्यारम्भ कर दिया है। शेखाघाट और सदिया पोस्ट आफ़िस के बीच डाक का लाना ले जाना जो बन्द हो गया था अब वह चालू हो गया है। पासीघाट डाकखाने को थोड़ी बहुत डाक भेजी जाने लगी है। सप्ताह में तीन बार डाक जाती और आती है। रंगिगा और रंग पाड़ा उत्तर के रेल डाक सेवा के केन्द्र अंशतः काम करने लगे हैं। जो सेक्शन पहले धुबरी और बेनगाई गांव के मध्य कार्य कर रहे थे अब उन का कार्यक्षेत्र बिजनी तक हो गया है। डाक छांटने का सैक्शन अब अमीन गांव और पाठशाला के मध्य कार्य कर रहा है। अलीपुर द्वार और गोहाटी के बीच कार्य करने वाला एक डाक छांटने का सैक्शन अब भी बन्द है। गारो पहाड़ियों में स्थित तूरा डाकखाने को जाने वाली तथा, गोलपाड़ा तथा मानूकचर के

के बीच चलने वाली मोटर सेवा अब पूरी तरह चालू हो गई है। घुबरी और बिजनी से आने वाली तथा इन को जाने वाली डाक जोगीघोपा और गोलपाड़ा होकर जाती है। अन्य भागों में, जैसे ब्रह्मपुत्र से दक्षिण की ओर, कचार तथा लुशाई के पहाड़ी ज़िलों में; डाक सेवा सामान्य रूप से कार्य कर रही है। आसाम क्षेत्र में तार संचरण सेवा पूर्णतया चालू हो गई है और दिन प्रतिदिन की बाधाओं के अतिरिक्त समस्त सेवा सामान्य रूप से कार्य कर रही है। इस के अतिरिक्त, १६ जुलाई १९५२ से बाढ़ सहायता कार्यों के सम्बन्ध में, असैनिक वायुयान बहुत सी उड़ानें कर रहे हैं, वह खाद्यान्न ले जा रहे हैं और निःसहाय व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों को ले जा रहे हैं। तमाम ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ठ ११, अनुबन्ध संख्या ३**]

७. २५ जुलाई, १९५२ तक ३,८१,५०० रुपये के कृषि ऋण; २,०५,१५० रुपये के सहायता अनुदान और ८६०० रुपये के जांच राहत अनुदान आसाम सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

८. गत दो वर्षों में आई बाढ़ों के मुक़ाबिले में डिब्रूगढ़ और सदिया में भूमि श्रम तथा कटाव अब भी थोड़ा बहुत हो रहा है, बाढ़ उतर जाने पर भूमि श्रम तथा कटाव के बढ़ जाने की संभावना है।

जनाब अमजद अली—उठे

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि वक्तव्य मांगे जाने पर यदि वह दिया जाता है तो इस सदन की प्रथा उस वक्तव्य के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने का नहीं है।

जनाब अमजद अली : मैं वक्तव्य में कही गई एक दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह और अधिक सूचना चाहें ....

जनाब अमजद अली : जी नहीं श्रीमान्। मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गौहाटी और कूचबिहार के मध्य खंबों पर लगे तारों को फिर से लगा दिया गया है?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : तार संचरण सेवा पूर्णतया चालू हो गई है।

श्री आर० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि सदिया के पानी में डूबे होने के कारण सदिया का मुख्य कार्यालय (हैड क्वार्टर) तेज़ू ले जाया गया है; यदि हां, तो क्या अब सदिया के निवासियों को तेज़ू से वापस आना संभव हो सका है?

श्री नन्दा : इस विषय सम्बन्धी कोई अग्रेतर सूचना नहीं है!

जनाब अमजद अली : आसाम में भविष्य में बाढ़ों की रोकथाम करने के लिए क्या कोई साधन ढूंढ निकालने की सरकार की कोई प्रस्थापना है?

श्री नन्दा : निश्चय ही।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्री टिकट निरीक्षक

*२३०२. **श्री फ्रैंक एन्थॉनी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे पर्षद् ने यात्री टिकट निरीक्षक के २६ पद निर्धारित श्रेणी क

में बी० एन० रेलवे को आवंटित किये हैं ;

(ख) क्या इस आवंटन को १ जनवरी, १९४७ से कार्यान्वित किया जाने को था;

(ग) रेलवे पर्षद् द्वारा अपने मूल आदेश के बदल दिये जाने के कारण;

(घ) क्या पहले ज़िला निरीक्षकों को यात्री टिकट निरीक्षक उत्संज्ञा देकर निर्धारित श्रेणी क में रख दिया गया था यद्यपि वह सभी निर्धारित श्रेणी क के वेतन क्रम से कहीं अधिक वेतन पा रहे थे ;

(ङ) क्या यह ज़िला निरीक्षक यद्यपि उनकी उत्संज्ञा यात्रा टिकट निरीक्षक कर दी गई है अपना पुराना निरीक्षण का कार्य ही कर रहे हैं और वास्तव में यात्रा टिकट निरीक्षकों का काम नहीं कर रहे हैं; तथा

(च) क्या संयुक्त परामर्शदात्री समिति इस बात पर सहमत हो गई है कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के निर्वाचन से लोगों को शिकायत हो गई है और अतः क्या उसने इस को ठीक करने का सुझाव दिया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) रेलवे पर्षद् ने यात्रा टिकट निरीक्षकों के निर्धारित वेतन क्रम के श्रेणी क के ३६ पद भूतपूर्व बी० ऐन० रेलवे को आवंटित किये थे। इन ३६ पदों में २६ पद वह भी सम्मिलित हैं जो पहले श्रेणी १ के यात्रा टिकट निरीक्षक कहलाते थे।

(ख) निर्धारित वेतन क्रम को चुनने वाले कर्मचारी १ जनवरी, १९४७ या १६ अगस्त, १९४७ से जिस तारीख को वह चुने, उस वेतन क्रम का वेतन प्राप्त करने के पात्र थे।

(ग) पहला आदेश बाद को बदल दिया गया था मुख्यतया इस कारण क्यों कि यह ज्ञात हुआ कि यात्रा टिकट निरीक्षकों के विभिन्न वेतन क्रमों में किया गया पहला आवंटन त्रुटि पूर्ण था।

(घ) जी हां, क्योंकि निर्धारित वेतन क्रमों की योजना में यात्रा टिकट निरीक्षकों की उत्संज्ञा मात्र ही रखी गई थी। अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दशा में निर्धारित वेतन क्रम १९३१ पूर्व के वेतन क्रमों से सामान्यतया कम हैं परन्तु १९३१ के पश्चात के वेतन क्रमों से अधिक हैं। १९३१ पूर्व के कर्मचारियों को १९३१ पूर्व के वेतन क्रमों को पसन्द करने की छूट थी।

(ङ) निर्धारित वेतन क्रमों के लागू किये जाने से ज़िला निरीक्षकों समेत यात्रा टिकट निरीक्षकों के कार्य में कोई परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

(च) केन्द्रीय वेतन आयोग को इस सिफ़ारिश को, कि यह वांछनीय होगा कि बीच के वेतन क्रमों में पदों की संख्या काफ़ी अधिक रखी जाये जिस से कि सब से नीचे वेतन क्रम में कार्य करने वालों के लिये बहुत अधिक रुकावटें न हों, ध्यान में रखते हुए संयुक्त परामर्शदात्री समिति ने ऊंचे वेतन क्रम में आवंटित पदों की संख्या के प्रश्न पर विचार किया था। उसने यात्रा टिकट निरीक्षकों के कुछ पदों के पुनः आवंटन का सुझाव दिया था, इन सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उन को भूतपूर्व बी० एन० रेलवे में कार्यान्वित किया है।

रेलवे सेवा के लिये सीधी भर्ती

*२३०४. **श्री एन० एस० नायर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के उच्च श्रेणी के कुछ पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये हैं, और यदि हां, तो कितने प्रतिशत; तथा

(ख) क्या सरकार की यह निश्चित नीति है कि कुछ प्रतिशत रेल कर्मचारियों को बाहर से सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किया जाये ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) बहुत कम मामलों के अतिरिक्त जिन में बीच के श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती का निश्चित रूप से प्रावधान था, उच्च वेतन क्रमों की सभी नौकरियां पदोन्नति द्वारा भरी गई थीं।

(ख) प्रश्न अभी विचाराधीन है।

अगरतला में सार्वजनिक सभायें

*२३०७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश प्राप्त हुए हैं कि अगरतला, त्रिपुरा के नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक सभायें करने की अनुमति न दी जाय; तथा

(ख) क्या दरबार ग्राउंड को जो अगरतला में साधारण तथा सार्वजनिक सभायें करने का परम्परागत स्थान है, केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक सभायें करने के लिये काम में लाये जाने की मनाही कर दी है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने इन में से किसी भी मामले के सम्बन्ध में कोई भी अनुदेश नहीं दिये हैं।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों को चलाने के लिये साधनों की परीक्षा करने की समिति

*२३१०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सचिवालय के कुछ वरिष्ठ सचिवों की एक समिति सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी भ्रष्टाचार, कुव्यवहार तथा उच्छृंखलता के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए उपायों तथा साधनों की खोज करने के लिए नियुक्त की गई थीं; तथा

(ख) उस समिति की क्या कुछ सिफ़ारिशें थीं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). अधिकारियों की एक अनौपचारिक समिति जिस में कुछ सचिव भी थे, कुछ समय पूर्व नियुक्त की गई थी; परन्तु उस समिति के निदेश पद उन बातों से, जिनका वर्णन माननीय सदस्य के प्रश्न में है, बहुत सीमित थे। समिति को केवल इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने की प्रणाली को सरल करना संभव तथा अपेक्षित था। क्योंकि इस मामले का आधार अधिकांश रूप से संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रमाणिक निर्वचन पर था, अतः समिति को बाध्य हो कर अपनी सिफ़ारिशों को अपेक्षित वैधानिक

परामर्श के अभाव के कारण, जो कि अभी प्राप्त हुआ है, निलम्बित रखना पड़ा ।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान श्री एम० एल० द्विवेदी के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६ के सम्बन्ध में ५ जून १९५२ को मेरे द्वारा दिये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

तम्बाकू की कृषि

*२३१०-क. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न प्रयोजनों के लिए भारत में उगाई जाने वाली तम्बाकू की विभिन्न किस्में;

(ख) वह किस्में जो हुक्के में पीने, खाने तथा नसवार बनाने के काम में आती है और उन राज्यों के नाम जहां वह उगाई जाती हैं ;

(ग) बीड़ी बनाने के काम में आने वाली किस्म और उस स्थान का नाम जहां वह उगाई जाती है;

(घ) भारत में प्रति वर्ष तम्बाकू की समस्त पैदावार और उस का अनुमानित मूल्य; तथा

(ङ) इस समय भारत में तम्बाकू की कृषि में काम आने वाला क्षेत्रफल तथा क्या यह क्षेत्रफल हाल के वर्षों में कम हो रहा है अथवा बढ़ रहा है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). उगाये जाने वाले तम्बाकू की विभिन्न किस्में, जिस प्रयोजनों से वह उगाई जाती हैं, तथा कहां उगाई जाती हैं बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४**

(घ) सन् १९५०-५१ की योग अनुमानित पैदावार ५६२० लाख पौंड थी; उसी वर्ष में उस का अनुमानित मूल्य मोटे तौर पर कोई १५८ करोड़ रुपये था ।

(ङ) गत तीन बर्षों में तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत यह क्षेत्र था :—

१९४९-५०	८६० हज़ार एकड़
१९५०-५१	८३९ हज़ार एकड़
१९५१-५२	७६१ हज़ार एकड़
	(द्वितीय अनुमान)

कमी का कारण अनुकूल अवस्थाओं के न होने तथा बुवाई के समय वर्षा की कमी बताई जाती है ।

श्री उम्मेद लाल पटनी की मृत्यु

*२३१४. **श्री भवनजी :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कच्छ के एक सबइन्स्पेक्टर पुलिस श्री उम्मेद लाल पटनी की, डकैट खान जो को, जो कि गत तीन वर्षों से कच्छ की जनता को आतंकित कर रहा था, पकड़ते समय १४ फरवरी १९५२ को या उस के लगभग डकैतों द्वारा चलाई गई गोली से मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या उस की विधवा तथा आश्रितों को कोई इनाम दिया गया तथा । अथवा कोई पेंशन दी गई; तथा

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के कारण ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) श्री पटनी के परिवार को कोई विशेष उपदान तथा विशेष पेंशन देने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भूतपूर्व सैनिक पेंशनर

*२३१७. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय, दिल्ली स्थित चक्रमी न्यायालय सहित, को संविधान के अनुच्छेद ३२ तथा २२६ के अन्तर्गत भारत संघ को आज्ञालेख जारी किये जाने, निर्देशन दिये जाने तथा आदेश दिये जाने के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या; तथा

(ख) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित मामलों की कुल संख्या में से उन मामलों की संख्या जिन में न्यायालय द्वारा भारत संघ के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) २६ जनवरी १९५० से ऐसी दो याचनायें उच्चतम न्यायालय को तथा चार दिल्ली स्थित चक्रमी न्यायालय सहित पूर्वी पंजाब न्यायालय को दी गई हैं ।

(ख) एक मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने भारत संघ के विरुद्ध नोटिस जारी किये हैं ।

वेव लैंग्थ निर्धारण योजना

*२३१८. **श्री तेलकीकर** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रत्येक देश को दी गई प्रसारण वेव लैंग्थ को निश्चित करने वाली निर्धारण योजना को स्वीकरण प्राप्त हो गया है; तथा

(ख) क्या इस परिवर्तन से वर्तमान रेडियो सैटों मे कोई गड़बड़ी होने की संभावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३९५० किलोसाइकिल/लों तक के चक्र संख्या यहीं तक विभिन्न देशों को दिये गये वास्तविक वेव लैंग्थ निर्धारित करने वाली योजनायें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निश्चित हो चुकी हैं । प्रसारण के लिये ३९५० तथा २७,५०० किलोसाइकिल/लों के मध्य की चक्र संख्या को काम में लाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से कोई योजनायें निश्चित नहीं हुई हैं ।

(ख) वर्तमान घरेलू रेडियो सैटों की उपयोगिता के इन नई योजनाओं से प्रभावित होने की प्रत्याशा नहीं है ।

आस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का प्रधान प्रदेष्टा

*२३१९. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि आस्ट्रेलिया स्थित पाकिस्तान का वर्तमान प्रधान प्रदेष्टा की दिल्ली के एक न्यायालय में चल रहे धोखेधड़ी के एक मामले में जरूरत है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या उस को भेजे गये समन बिना तामील हुये वापस लौटा दिये गये हैं ; तथा

(ग) ऐसी स्थिति में, क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान के प्राधिकारियों से बात की है, अथवा क्या इस मामले को मंत्रालय स्तर पर होने वाले आगामी भारत-पाकिस्तान सम्मेलनों की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया गया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). इन महाशय को एक धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त बताया गया था। सामान्य प्रथा के अनुसार मजिस्ट्रेट ने उस के विरुद्ध समन जारी कर दिये, और बाद को एक वारंट भी जारी किया गया, परन्तु इन की उस पर तामील नहीं हो सकी क्योंकि वह भारत में नहीं था। इस के पश्चात् अभियोग पक्ष ने मजिस्ट्रेट से उस का नाम अभियुक्तों की सूची से निकाल देने की प्रार्थना की और मजिस्ट्रेट ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।

(ग) जी नहीं।

भारत तथा चीन के मध्य पार्सल सेवा

*२३२०. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा चीन के मध्य कोई पार्सल सेवा है ; तथा

(ख) क्या निकट भविष्य में इस सेवा को प्रारम्भ करने की कोई प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, यह अस्थायी रूप से बन्द है।

(ख) वैकल्पिक रास्तों की खोज की जा रही है, और जैसे ही कोई मिलेगा, यह सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अन्तर्देशीय जल यातायात प्रविधिक विशेषज्ञ

*२३२१. **श्री तेलकीकर** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आन्तर्देशीय जल यातायात प्रविधिक विशेषज्ञों की तीन व्यक्तियों की टीम ने अपने परिभ्रमण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है और कोई प्रारूप योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन की क्या सिफ़ारिशें हैं; तथा

(ग) क्या उस रिपोर्ट और योजना की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेंगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान २२ जुलाई १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या १९५४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां, जब वह निश्चित रूप ले लेंगी, सदन के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

चीनी का निर्यात

*२३२२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार के पास कोई प्रस्तापना है ;

(ख) यदि है, तो वह प्रस्थापनाएं क्या हैं ;

(ग) कब और किस प्रकार इन प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा ; तथा

(घ) सन् १९५२-५३ में कितनी चीनी निर्यात की जाने को है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ) सरकार ने पहले ही यह घोषित कर दिया है कि वह इस फ़स्ल में व्यापारियों और निर्माताओं को ५०,००० टन चीनी निर्यात करने की अनुमति देगी। समय समय पर स्वयं सरकार भी सरकारी स्तर पर चीनी के निर्यात के लिये बातचीत करती है। सौदे पक्के हो जाने से पूर्व सारे ब्यौरों को नहीं बताया जा सकता है।

आसाम में तुंग की कृषि

*२३२३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि तुंग की कृषि सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने यह रिपोर्ट दी है कि जहां तुंग उत्पन्न होता है उसी स्थान के पास ही तेल निकाला जाये ;

(ख) क्या उस ने यह सिफ़ारिश की है कि आसाम के चाय बागानों में तुंग उगाया जा सकता है ;

(ग) क्या आसाम में तुंग उगाया जाता है ; तथा

(घ) क्या सरकार आसाम में तेल निकालने का संयंत्र स्थापित करने जा रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तुंग की कृषि के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की थी। परन्तु तिलहन समिति ने भारत में तुंग की कृषि करने की सम्भावना की जांच करने के लिये एक प्राधिकारी को नियुक्त किया था, और उस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में तुंग की कृषि के विस्तार होने से प्रत्येक उत्पादन केन्द्र में तुंग के फ़लों को स्थानीय रूप से ठीक करने के लिये आधुनिक मशीनों से युक्त बहुत सी फैक्टरियां स्थापित करनी पड़ेंगी।

(ख) आसाम के कुछ चाय बागानों में तुंग पहले से ही उगाया जा रहा है और विशेष पदाधिकारी ने सिफ़ारिश की है कि चाय बागानों में इस की कृषि को विस्तारित किया जाये।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

शिक्षा प्रसार प्रन्यास (टिहरी गढ़वाल)

*२३२३-क. **श्रीमती कमलेन्दुमती शाह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि संविलयन से पूर्व टिहरी-गढ़वाल राज्य ने राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां जैसी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये एक टिहरी-गढ़वाल शिक्षा प्रसार प्रन्यास स्थापित किया था ;

(ख) क्या संविलयन के समय भारत सरकार और महामहिम महाराजा टिहरी-गढ़वाल के मध्य यह निश्चित हुआ था कि सरकार उक्त प्रन्यास को चलाने तथा जिस हेतु रुपया दिया गया था उसी हेतु उसे काम में लाने का उत्तरदायित्व लेती है ; तथा

(ग) इस करार को कार्यान्वित करने में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिये विस्थापित व्यक्तियों को आयु सम्बन्धी सुविधा

*२३२४. **श्री पटेरिया** : क्या **गृहकार्य** मंत्री सरकारी नौकरियों तथा

प्रतियोगीय परीक्षाओं के सम्बन्ध में उन विस्थापित नवयुवकों को, जिन की शिक्षा में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के न होने के कारण बाधा पड़ी है, दी गई आयु सम्बन्धी रियायत को बताने की कृपा करेंगे ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : विस्थापित व्यक्तियों को यह आयु सम्बन्धी रियायते दी गई हैं :—

(१) लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगीय परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने वाले स्थायी पद ।

सामान्य अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है ।

(२) स्थायी पद जो उपरोक्त (१) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, चाहे वह लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जायें या नहीं ।

सरकारी सेवा में प्रवेश करने की अधिकतम आयुसीमा २५ वर्ष से बढ़ा कर ४५ वर्ष कर दी गयी है ।

(३) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के विस्थापित व्यक्ति ।

घोषित पदों के लिए और तीन वर्ष की छूट दी गई है और अघोषित पदों के लिए पांच वर्ष की छूट दी गई है ।

मथुरा-ऐटा रेल लिंक

*२३२५ **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बलदेव के रास्ते से मथुरा को ऐटा से मिलाने के लिए रेल लाइन बनाने की कोई योजना सरकार के बिचाराधीन है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : उत्तर नहीं में है ।

अनुसूचित जातियां (साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व)

*२३२६. **श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है रेलवे में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़ों को भारत की रेलवेज़ की प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित करना बन्द कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) विभागीय रिपोर्टें यह देखने के हेतु भेजी जाती हैं कि सेवाओं में अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा आंग्ल भारतीयों को संविधान के अनुसार दिये गये सरक्षण का पालन किया जा रहा है ।

गुंटकल-बंगलौर रेलवे लाइन

*२३२७. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या रेल मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे :

(क) क्या गुंटकल से बंगलौर (दक्षिणी रेलवे ज़ोन) जाने वाली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल देने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार कब इस को प्रारम्भ करेगी ; तथा

(ग) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस योजना के निकट भविष्य में प्रारम्भ किये जाने की कोई सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर नहीं में है ।

(ख), प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) साधन तथा प्रक्रिया की विषम स्थिति को देखते हुए परिवर्तन की इस योजना के निकट भविष्य में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

हैदराबाद में डाक का देर से बांटा जाना

*२३२८. **श्री एच० जी० वेष्णव** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उन शिकायतों के बारे में विदित है जो हैदराबाद की जनता को राज्य डाक प्रणाली के समाप्त होने तथा उस के संघ डाक विभाग में मिल जाने के परिणामस्वरूप डाक के बांटे जाने में होने वाली देर के सम्बन्ध म हैं ;

(ख) यदि सरकार को विदित है, तो इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सरकार को कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । डाक वस्तुओं के भेजे जाने में कुछ देर होती है । डाक विभाग हैदराबाद में डाक सेवा को शेष भारत के कार्य स्तर तक लाने के लिए अतीव उत्सुक है और यह कार्यवाहियां की गई ह :

(१) कर्मचारियों को अंगरेज़ी भाषा का बोध कराया जा रहा है ;

(२) विभिन्न भाषाओं में लिखे डाक पतों को अंगरेज़ी में लिखने के लिए हैदराबाद में एक प्रतिलेखन केन्द्र खोल दिया गया है ;

(३) हदराबाद में डाक की क्षेत्र वितरण प्रणाली भी चालू कर दी गई है, और चिट्ठियों आदि को छांटन के दफ्तर भी खोल दिये गये हैं ; तथा

(४) डाक प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने के लिए शीघ्र ही एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाने को है ।

गरखा से तार द्वारा सम्पर्क

*२३२९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) क्या सरकार की नीति प्रत्येक पलिस स्टशन को तार लाइनों द्वारा मिलाने की है ;

(ख) क्या पुलिस स्टेशन गरखा (ज़िला सारन, बिहार) तार लाइन द्वारा मिला हुआ है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या गरखा पुलिस स्टेशन को तार द्वारा मिलाने का कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, होने वाले परिव्यय के अनपेक्ष भी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

वादीबन्दर को बिनौलों का चालन

*२३३०. **श्री वातार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या वादीबन्दर (बम्बई) को बिनौले भेजने के लिए एक बार में तीन माल डब्बों की मांग को पंजीबद्ध करने की प्रणाली क्या दक्षिणी रेलवे के हुबली स्टेशन पर भी चालू है ;

(ख) क्या इस प्रणाली के होते हुए भी क्या हुबली के डिवीजनल ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेंट (डी० टी० एस०) ने मेसर्ज राली ब्र० (इंडिया) को २८ जून, १९५२ का एक समूची माल गाड़ी की मांग को पंजीबद्ध किया था जिस से कि अन्य व्यापारियों के दावों की उपेक्षा हुई थी ;

(ग) क्या कर्नाटक चैम्बर आफ़ कामर्स हुबली ने इस के प्रति विरोध प्रदर्शित किया है ; तथा

(घ) क्या डिवीज़नल ट्रैफ़िक सुपरिन्टेन्डेंट, हुबली ने अन्य व्यापारियों की समूची माल गाड़ी सम्बन्धी को पंजीबद्ध किये जाने की प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि प्रश्न में कहा गया है २८ जून, १९५२ को नहीं अपितु ९ जून, १९५२ को मैसस रालीज़ को एक समूची माल गाड़ी की मांग को पंजीबद्ध कराने की अनुमति दी गई थी । इस से क्या अन्य व्यापारियों की मांगों की उपेक्षा हुई थी इस प्रश्न की उच्च स्तर पर जांच की जा रही है ।

(ग) रेलवे प्रशासन को कर्नाटक चैम्बर आफ कामस का कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ नहीं मालूम होता है ।

(घ) घटप्रभा के रास्ते माल ले जाने की विलम्बित मांगों को ध्यान में रखते हुए हुबली के डी० टी० एस० अब उसी मार्ग से होकर समूची माल गाड़ियों को ले जाने की नवीन मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा है ।

डंडेली आलनवार लाइन पर इमारती लकड़ी को ले जाने के लिये माल डिब्बों की कमी

***२३३२. श्री दातार :** क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई सरकार के वन विभाग समेत अन्य खरीदारों द्वारा रेलवे अधिकारियों द्वारा दक्षिणी रेलवे की डंडेली आलनवार (वन) शाखा पर इमारती लकड़ी को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या म माल डब्बों के न दिये जाने की साधारणतया शिकायतें प्राप्त होती ह ;

(ख) क्या बम्बई सरकार ने इस लाइन पर एम० एस० एम० रेलवे को एक निश्चित न्यूनतम आय की प्रत्याभूति दी है ;

(ग) बम्बई सरकार के वन विभाग द्वारा कई अवसरों पर प्रत्याभूत आय की कमी के पूरा किये जाने पर भी अब भी उसे पर्याप्त संख्या में माल डब्बे प्राप्त होने में कठिनाई होती है ;

(घ) एकत्रित माल को हटाने तथा भविष्य की मांगों को पूरा करने के हेतु पर्याप्त संख्या में माल डब्बे प्रदाय करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां, इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जी हां, ठेके की शर्तों के अनुसार बम्बई सरकार ने संचालन तथा संधारण सम्बन्धी व्यय को दक्षिणी रेलवे को भरपाई कर देने की प्रत्याभूति दी है ।

(ग) समस्त मांगों को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों को पूरा करने के प्रयत्न किये जायेंगे और गत वर्ष की २००० माल डब्बों के दिये जाने की स्थिति में यदि सुधार नहीं किया जा सकेगा तो भी वह स्तर बनाये रखने के प्रयत्न किये जायेंगे । यह तथ्य है कि माल डब्बों की प्रदाय, जो देनी संभव है, समस्त मांग को पूर्णरूप से पूरा नहीं करती है ।

(घ) माल डब्बों की संख्या को बढ़ान की वांछनीयता का प्रश्न बम्बई सरकार के परामर्श से विचाराधीन है ।

पाकिस्तान से "गेहूं के बदले चावल" क़रार

*२३३२. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही में हुए वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को भेजी गई गेहूं की मात्रा ;

(ख) पाकिस्तान द्वारा, अब तक, गेहूं के बदले दिये चावल की मात्रा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ३८,६०० टन गेहूं लाने वाले चार जहाज़ कराची की ओर घुमा दिये गये हैं । इन में से दो जहाज़ तो आ चुके हैं और शेष दो के २६ और २९ जुलाई, १९५२ तक आने की आशा थी ।

(ख) इस समय कराची में दो जहाज़ १५,००० टन चावल लाद रहे हैं और उन के एक दो दिन में भारत की ओर चल पड़ने की आशा है ।

अघोषित कर्मचारीवर्ग सूचि

*२३३३. **श्री अजीत सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सभी मंत्रालयों के स्थायी तथा अस्थायी अघोषित कर्मचारिवर्ग की कोई वर्गीकृत सूची समय समय पर तैयार और प्रकाशित की जाती है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या यह वार्षिक रूप से अथवा अर्द्ध वार्षिक रूप से तैयार तथा प्रकाशित की जाती है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार इन सूचियों को प्रति वर्ष तैयार कराने तथा प्रकाशित कराने की प्रस्थापना करती है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). जी हां । सूचियां प्रति वर्ष तैयार कराई जाती हैं । मितव्ययता के नाते इन का प्रकाशित किया जाना सन् १९५० से बन्द कर दिया गया था । जैसे ही सामान्य आर्थिक स्थिति सुधरेगी इस प्रथा को पुनः चालू कर दिया जायेगा ।

समुद्री तथा हवाई यातायात (करार)

*२३३४. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा विदेशों के मध्य समुद्री तथा हवाई यातायात के सम्बन्ध में कोई क़रार हुए हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो यह क़रार किस प्रकार के हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पारस्परिक आधार पर भारत तथा सम्बद्ध देशों के मनोनीत वायु यातायात समवायों द्वारा अनुसूचित वायु सेवायें जारी किये जाने के सम्बन्ध में १२ विदेशी राष्ट्रों से उभयपक्षीय समझौते किये हैं । नौपरिवहन सम्बन्धी प्रश्न कृपया यातायात मंत्री को भेजे जाने चाहियें ।

यात्री सत्याग्रह

*२३३५. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले **'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड'** के ९ जुलाई, १९५२ के अंक में पृष्ठ ८ (पृष्ठ भाग ७) पर "यात्री सत्याग्रह" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सत्याग्रह किये जाने के क्या कारण थे ; तथा

(ग) कितने यात्रियों ने सत्याग्रह किया था और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) दिल्ली से प्रकाशित हुए **'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड'** के ९ जुलाई, १९५२ के अंक में 'यात्री सत्याग्रह' शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख छपा था। उसी पत्र के कलकत्ता संस्करण में 'यात्रियों ने सत्याग्रह किया' शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) उक्त घटना को 'सत्याग्रह' कहना ठीक नहीं है। रेल पथ तथा सिगनलों में विद्युत शक्ति के न होने के कारण ७-७-१९५२ को प्रातः काल एक स्थानीय ट्रेन को कोई २० मिनट तक विरार स्टेशन पर रोके रखा गया था। अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए यात्रियों ने उस ट्रेन को, जब कि वह बसीन रोड और भेयन्दर स्टेशनों के बीच जा रही थी, जंजीर खींच कर रोका था।

(ग) खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी को रोकने के लिए कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति ही उत्तरदायी थे, परन्तु ट्रेन के रुकने पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। रेलवे कर्मचारियों तथा पुलिस द्वारा यात्रियों को गाड़ी को चलने देने की अनुनयविनय करके ट्रेन को चलाया गया। रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिस में स्थानीय ट्रेनों के संचालन का सम्पूर्ण ब्यौरा था तथा उस में उपनगरीय ट्रेनों को ठीक समय पर चलाने में जनता से सहयोग करने की प्रार्थना की गई थी।

रेल डब्बे का पटरी से उतर जाना

*२३३६. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** के १४ जुलाई १९५२ के अंक में पृष्ठ ४ (पृष्ठ भाग ४) पर **'रेल डब्बा पटरी से उतरा, कोई हताहत नहीं'** शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ;

(ग) इस के लिए कौन उत्तरदायी था ; तथा

(घ) क्या सरकार जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) यांत्रिक उपकरणों में हुई ख़राबी—पटरी से उतरे डब्बे के पहिये के केन्द्र के धुरे की ओर हट जाना।

(ग) यांत्रिक उपकरणों में हुई ख़राबी के कारणों की जांच की जा रही है।

(घ) जांच का परिणाम सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली-अमृतसर रेलवे लाइन का टूटना

*२३३७. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान **'हिन्दुस्तान टाईम्स'** के १४ जुलाई, १९५२ के अंक में पृष्ठ ८ (पृष्ठ भाग ४) पर 'दिल्ली-अमृतसर रेलवे लाइन का टूटना' उत्तरी रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि पहले भी अनेक बार यह लाइन टूट चुकी है ; तथा

(ग) भविष्य में ऐसी अन्तर्ध्वंस कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) १ जनवरी, १९५२ से यह तीसरी बार है जब कि पूर्वी पंजाब तथा पैप्सू के इलाकों में रेल पथ से रेल का टुकड़ा काटा गया है ।

(ग) राज्य सरकारों के सहयोजन तथा परामर्श से प्रभावी कार्यवाही, जैसे सम्बद्ध सैक्शनों पर पहरा देना, की जा रही है । राज्य अधिकारियों के सहयोग से १०,००० रुपये का एक इनाम उस व्यक्ति के लिये घोषित किया गया है जो ऐसी सूचना दे जिस से कि अभियुक्तों को खोज की जा सके तथा उन को दंड दिया जा सके ।

भूमि सेना

*२३३८. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम जिन्होंने अबतक भूमि सेना संगठित कर ली है, उस सेना की विभिन्न राज्यों में संख्या और उस पर व्यय किया गया धन ;

(ख) विभिन्न राज्यों में भूमि सेना द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्रफल एकड़ों में, और इस के परिणामस्वरूप कृषि उपज में हुई वृद्धि ; तथा

(ग) क्या भूमिहीन श्रमिकों को, जो इस भूमि सेना में भर्ती हो रहे हैं, इस कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर कृषि कार्य करने की अनुमति दी जाती है और क्या भूमि के मूल स्वामी का इन भूमियों पर कोई स्वत्व रहता है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भूमि सेना एकक अबतक पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल और आसाम में स्थापित किये जा चुके हैं । विन्ध्य प्रदेश और आसाम के अतिरिक्त, जिन के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इन राज्यों में इस की संख्या इस प्रकार है :

(१) पश्चिमी बंगाल	३३८ ग्रामीण, अध्यापक, समाज कार्यकर्त्ता, महिला स्वयं सेवक तथा सरकारी कर्मचारी ।
(२) दिल्ली	३० विश्वविद्यालय छात्र, १०० देहाती स्कूलों के अध्यापक आदि, भारतीय कृषि अनुसन्धान विद्यालय के १०५ विद्यार्थी तथा अध्यापक ।
(३) बम्बई	कृषि विद्यालय, आनन्द के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों सहित ४०० व्यक्ति
(४) भोपाल	४६० कृषक ।
(५) उड़ीसा	३६७ ग्रामीण व्यक्ति इत्यादि ।

उन पर हुये व्यय से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर इसे निश्चित करने का काम राज्य सरकारों का है ।

रेलवे कर्मचारी

*२३३९. **श्री विट्ठल राव:** क्या रेल मंत्री मेरे १ जुलाई, १९५२ को रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस में पूछी गई सूचना अब प्राप्त हो चुकी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): रेलवे से प्राप्त हुई सूचना अभी अपूर्ण है और जैसे ही वह पूरी हो जायेगी उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली पुलिस अत्याचार 'अभियोग

*२३४२. **श्री कृष्ण चन्द्र:** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) 'दिल्ली पुलिस अत्याचार' अभियोग नाम से विख्यात अभियोग में पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री भंडारी ने जो निर्णय किया है क्या उस की ओर उस का ध्यान आकृष्ट किया गया है, यह स्मरणीय है कि इस अभियोग का सम्बन्ध दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस की हवालात में पड़े हुए राम सिंह नामक एक व्यक्ति को पीट पीट कर जान से मार देने से है ;

(ख) उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप दिल्ली पुलिस के इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाये किये हैं ; तथा

(ग) क्या इस अभियोग से सम्बन्धित किसी पुलिस अधिकारी को विभाग की ओर से दण्ड दिया गया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) पुलिस अफ़सर द्वारा किये दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायत की तुरन्त जांच की जाती है, और जहां भी काफी प्रमाण होता है, सम्बन्ध अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाता है और जैसी गवाही मिलती है उस के अनुसार, जैसा इस मामले में वास्तव में किया गया, विभागीय अथवा अदालती कार्यवाही की जाती है ।

(ग) सात आदमियों का पुलिस ने चालान किया था, इन में से दो को मुकदमे को सर्व प्रथम सुनने वाले मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया था, तीन को सत्र न्यायालय ने छोड़ दिया, और एक को उच्च न्यायालय ने छोड़ दिया । जिस अफ़सर को अन्ततः दण्ड मिला उसे सेवामुक्त कर दिया जायेगा । न्यायालय के निर्णय की यह देखने के लिए जांच की जा रही है कि जिन व्यक्तियों को अदालत ने मुक्त कर दिया है उन के विरुद्ध क्या कोई विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता है । दिल्ली प्रशासन से यह बताने को कहा गया है कि वह क्या अग्रेतर कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ।

बिलोचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त इत्यादि से आये सरकारी कर्मचारी

*२३४३. **श्री एच० एन० मुखर्जी:** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने बिलोचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, जनजाति क्षेत्रों तथा विभिन्न रैज़ीडैंसियों में सेवायुक्त केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्होंने विभाजन

के समय भारत के लिए विकल्प दिया था, सम्बन्धी दायिता को स्वीकार किया था ;

(ख) क्या जनवरी १९५० में उन को अन्य स्थायी कर्मचारियों के समतुल्य माने जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे ; तथा

(ग) इस आदेश के जारी किये जाने के सम्बन्ध में हुई देर के कारण वेतनों तथा प्रस्थिति सम्बन्धी असंगतियों को दूर करने के हेतु क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) भारत के लिए विकल्य देने वाले बिलोचिस्तान के स्थायी सरकारी कर्मचारियों के केन्द्रीय सरकार के अन्य स्थायी कर्मचारियों के समतुल्य माने जाने के सम्बन्ध में फरवरी १९५० में आदेश जारी किये गये थे।

(ग) जी हां।

इंगलैंड के बैंकों में हैदराबाद का धन

*२३४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद सरकार के उस रुपये को जो बक़ाया था और जिसे सितम्बर, १९४८ में मोईन नवाज़ जंग द्वारा इंगलैण्ड के बैंकों में जमा करा दिया गया था, वसूल करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : ४,११,०६५ पौण्ड की वसूली के लिए माईन नवाज़ जंग, ज़हीद अहमद तथा बार्कलेज़ बैंक के विरुद्ध एक मुक़द्दमा दायर कर दिया गया है। मुक़द्दमे की सुनवाई अभी नहीं हुई है, परन्तु जल्दी ही सुनवाई के शुरू होने की प्रत्याशा है।

वैस्ट मिस्टर बैंक में जमा कराये गये १,००७,९४० पौण्ड के उस मामले की जिसे मोर्डन नवाज़ जंग ने अवैध रूप से संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन स्थित पाकिस्तान के प्रधान प्रदेष्टा के नाम बदलवा दिया था, इस समय हमारे क़ानूनी परामर्शदाता द्वारा जांच की जा रही है।

राज्य लोक सेवा आयोग

*२३४५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों के अपने लोक सेवा आयोग हैं और किन के अन्य राज्यों के साथ सम्मिलित हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भाग 'क' और भाग 'ख' में के प्रत्यक राज्य नें उन के अपने अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं।

खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण

*२३४५-क. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगो कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों की सम्मति उनको भेजे गये खाद्य पदार्थों में अधिकाधिक अपमिश्रण का नियंत्रण करने वाले केन्द्रीय विधेयक के सम्बन्ध में ज्ञात हो गई है, यदि हां, तो उस का क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : प्रारूप विधेयक को राज्यसरकारों ने साधारणतया पसन्द किया और उन के सुझावों के अनुसार उस में समुचित रूपभेद कर दिये गये हैं। उसे शीघ्र ही संसद् में पुरः स्थापित किमा जायेगा।

मद्रास में खाद्यान्नों के लाने ले जाने के लिये माल डब्बों की कमी

*२३४६. **श्री सी० आर० नरसिंहन :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मद्रास राज्य के चावल उगाने वाले मुख्य केन्द्रों से उसी राज्य के कमी वाले क्षेत्रों को खाद्यान्न ले जाने के लिए माल डब्बे उपलब्ध नहीं हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मद्रास राज्य के कमी वाले क्षेत्रों को चावल भेजने के लिए मद्रास राज्य के चावल उगाने वाले मुख्य केन्द्रों को माल डब्ब नियमित रूप से दिये जा रहे हैं। माल डब्बों का संख्या सम्बन्धी अभ्यंश मद्रास सरकार के परामर्श से निश्चित किया जाता है।

मैसूर तथा त्रावनकोर-कोचीन के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रादेशिक आयुक्त

*२३४७. **श्री एन० राचय्या :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक 'प्रादेशिक आयुक्त' नियुक्त करने का निश्चय किया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जी नहीं।

कोठापेट के लिये तारघर

*२३४८. **श्री मोहन राव :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कोठापेट में, जो कि मद्रास राज्य के कोठापेट तालुका (पूर्व गोदावरी जिला) का केन्द्र है, एक तार घर खोलने जा रही है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वह कब खोला जायेगा ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के कारण ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) सम्भवतः दिसम्बर, १९५२ से पहले ही।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

इंडियन टैलीफ़ोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर

*२३४९. **श्री राचय्या :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बंगलौर स्थित इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ में अब तक विनियोजित धन की राशि;

(ख) अब तक बनाये गये या जोड़े गये टेलीफोनों की संख्या; तथा

(ग) उस में सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) २,२२,५०,४०० रुपये।

(ख) ३१ मई, १९५२ तक ४९,८८४।

(ग) १,६१७।

रुई

*२३५०. **श्री वाघमारे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में उगाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की रुई के नाम क्या हैं और उनकी क्रमशः प्रति एकड़ उपज कितनी होती है तथा

(ख) हैदराबाद राज्य में किस प्रकार की रुई उगाई जाती है और इस की प्रति एकड़ उपज क्या है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख). उपबन्ध सूचना देने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५**]

लातूर से पंढरपुर तक यात्रियों का आवागमन

*२३५१. **श्री वाघमारे** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बी० एल० आर० पर लातूर से पंढ़रपुर तक तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की गाड़ियों में अधिक भीड़ को यथासम्भव जल्दी से जल्दी कम करने के लिए सरकार किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) सन् १९५०-५१ में इस लाइन से कितनी आय हुई थी तथा इस पर कितना व्यय हुआ था; तथा

(ग) क्या तीर्थ यात्रा के समय कोई विशेष प्रबन्ध किये जाते हैं, यदि किये जाते हैं, तो वे क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां, १५ पार्सल गाड़ियों को, उन में बिजली के लट्टू लगा कर, अस्थायी बैन्चें और हवा के आने का प्रबन्ध करके तीसरे दर्जे के यात्री डब्बों में बदलने का प्रबन्ध किया जा रहा है बदलने के इस काम के पूरा होने में १२ महीने लग जाने की आशा है। इस के अतिरिक्त ११३ ऊपर से बन्द मालगाड़ी के डब्बों को स्थाई सीटें लगा कर और प्रकाश का अधिक उत्तम प्रबन्ध कर के यात्रियों के ले जाने के योग्य बनाया जा रहा है।

(ख) सन् १९५०-५१ में बरसी लाइट रेलवे की योग आय ४६,९१,२३७ रुपये और योग व्यय ४२,४४,४८२ रुपये था।

(ग) विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं। साधारण यात्री डब्बों के अतिरिक्त विशेष मेलों के अवसरों पर जब भी आवश्यकता होती है ऊपर से ढके माल गाड़ी के डब्बों को अस्थायी बेंचें और बिजली के लट्टू लगाकर तथा हवा के आने का प्रबन्ध कर के यात्रियों के लिए काम में लाया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षित अधिकारों के सम्बन्ध में दिल्ली राज्य विधान सभा का संकल्प

*२३५२. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली राज्य विधान सभा द्वारा पारित इस असरकारी संकल्प की ओर दिलाया गया है कि संघ सरकार ने जिन अधिकारों को सुरक्षित कर रखा है उन को राज्य सरकार को सत्तान्तरित कर दिया जाये; तथा

(ख) यदि दिलाया गया है, तो उस पर क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). सरकार ने प्रेस में छपी सूचनायें देखी हैं, परन्तु इस विषय की उसे कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है।

अरुप्पुकोटाई नगर (टैलीफ़ून कनैक्शन)

*२३५३. **श्री एम० डी० रामस्वामी**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि लगभग दो वर्ष से अरुप्पुकोटाई नगर में

घरों में टेलीफोन कनैक्शन देने की व्यवस्था करने की प्रस्थापनायें विलम्बित चली आ रही हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो प्रस्थापनाओं को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह प्रस्थापना कोई छै महीने से विभाग के विचाराधीन है ।

(ख) यदि परियोजना अन्ततः लाभप्रद सिद्ध हुई तो वर्ष १९५३-५४ में ।

बिरधुनगर—अरुप्पुकोटाई रेल कड़ी

*२३५४. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे लाइन को दक्षिणी रेलवे लाइन पर स्थित बिरधुनगर से अरुप्पुकोटाई तक बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : उत्तर नहीं में है ।

सिनेमा फ़िल्में

*२३५५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ११ मई १९५१ को विलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर हुई दुर्घटना जिसमें एक रेल डब्बे में सिनेमा फ़िल्मों में अचानक आग लग जाने से नौ व्यक्ति जल कर मर गये थे तथा पांच गम्भीर रूप से आहत हुए थे, ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा विचाराधीन है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह कार्यवाही की गई है :—

(१) रेल मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई जिस में जनता का ध्यान भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारायें ५९ और १०७ की ओर, जिस में यात्रियों द्वारा अपने साथ अपने डब्बे में विस्फोटकों तथा अन्य भयानक पदार्थों के ले जाने का निशेध है, दिलाया गया है ।

(२) रेलवेज़ से इस बात की सूचना टाइम टेबिलों में देने को कहा गया है और वह ऐसा कर रही हैं ।

(३) रेलवेज से उपयुक्त तथा समुचित पोस्टरों द्वारा प्रदर्शन करने तथा समय समय पर समाचार पत्रों में तत्सम्बन्धी प्रकाशन देने के लिए कहा गया है ।

(४) रेलवेज़ से यह भी कहा गया है कि वह अपने बुकिंग आफ़िसों तथा मालगोदामों के सामने बड़े बड़े नोटिस लगायें जिन में यात्रियों का ध्यान उन वस्तुओं की ओर दिलाया जाये जिनको व्यक्तिगत सामान की भांति अपने साथ अथवा ब्रेक के डब्बे में नहीं ले जाये जा सकता है ।

हैली कोप्टर सेवा

*२३५६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के पहाड़ी भागों में हैलीकौप्टर सेवा को चालू करने के सम्बन्ध में असैनिक नभश्चरण विभाग द्वारा कोई प्रयोग किये गये हैं; तथा

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

ऋतु विज्ञान विभाग

*२३५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा कृषक ऋतु बुलेटिन (सूचना पत्र) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में जारी किये जाते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बाहदुर) : विभाग द्वारा यह बुलेटिन (सूचनापत्र) अंग्रेज़ी भाषा में जारी किये जाते हैं परन्तु अखिल भारतीय रेडियों के विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित करने से पूर्व उनका हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कर दिया जाता है ।

बहावलपुर के विस्थापित सरकारी कर्मचारी

*२३५७-क. **श्री यू० एस० दुबे** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक पुस्तिका 'बहावलपुर के सरकारी कर्मचारियों की मांगें' की ओर जिसे लोक सभा के सदस्यों में वितरित किया गया है, दिलाया गया है, और यदि दिलाया गया है तो क्या सरकार यह बतलाने की प्रस्थापना करती है :—

(१) भारत में ऐसे कर्मचारियों की राज्यवार संख्या;

(२) उन में से कितनों को सरकारी नौकरियों में सेवा युक्त कर लिया गया है;

(३) क्या सिंध, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त के सरकारी कर्मचारियों और बहावलपुर राज्य के कर्मचारियों में परस्पर कोई विभेद किया जाता है, और यदि किया जाता है, तो क्या ?

(४) क्या सरकार उन मामलों पर ध्यान देगी जिनको अभी तक सेवायुक्त नहीं किया जा सका है;

(५) क्या वेतन श्रेणी, निवृत्त वेतन इत्यादि के लिए राज्य में की गई सेवा की अवधि भी गिनी गई है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं ।

(१) से (३) तथा (५). माननीय सदस्य का ध्यान ९ मई, १९५१ को संसद में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९८१ तथा उसी के सम्बन्ध में श्री एस० एन० दास द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचार्य द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(४) प्राथमिकता के आधार पर बहावलपुर राज्य के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा बिलोचिस्तान के अस्थायी विस्थापित कर्मचारियों के तुरन्त पश्चात् तथा पाकिस्तान के स्थानीय निकायों के विस्थापित कर्मचारियों के साथ साथ सेवायोजन सुविधा दी जा रही है ।

राजस्थान के लिये हवाई अड्डे

*२३५८. **श्री बलवन्त सिन्हा महता :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पांच वर्षों में राजस्थान में कितने हवाई अड्डे बनाये जाने को हैं;

(ख) क्या १९५२-५३ के निर्माण कार्यक्रम में डबोक (उदयपुर) हवाई अड्डे को भी सम्मिलित कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है और वह कब तक पूर्ण हो जायेगा; तथा

(घ) उसे किस श्रेणी का हवाई अड्डा बनाने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अगले पांच बर्ष के निर्माण कार्यक्रम में राजस्थान के केवल मात्र डबोक हवाई अड्डे को सम्मिलित किया गया है । हाल ही में डबोक क्षेत्र का एक विस्तृत पर्यालोकन किया गया था । पर्यालोकन का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और इस समय विचाराधीन है ।

(ख) मोटे रूप से सम्पूर्ण व्यय के कोई ८ लाख होने का अनुमान है, परन्तु अभी से यह आभास नहीं दिया जा सकता कि कार्य कब समाप्त होगा ।

(ग) वह ऐसी श्रेणी का होगा जो व्यापारिक वायु यातायात सेवा के लिए उपयुक्त होगा ।

त्रिपुरा राइफ़िल्स

६१२. **श्री बीरेन दत्त :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा राइफिल्स को वियुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि बहुत से वियुक्त सैनिकों को पुनर्वास के हेतु कोई भी सहायता नहीं दी गई है; तथा

(ग) क्या उन को पुनर्वासित करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रायः आधे व्यक्तियों को आसाम राइफिल्स तथा त्रिपुरा राज्य पुलिस में ले लिया गया है । शेष को सैन्य विघटन सुविधायें दे दी गई हैं और उन में से अधिकांश अपनी जमीनों पर वापस लौट गये हैं । सेवायुक्त न हुए जिन व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता है उन के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं मुख्य आयुक्त, त्रिपुरा के विचाराधीन हैं ।

त्रिपुरा के लिये चलते फिरते अस्पताल

६१३. **श्री बीरेन दत्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क) त्रिपुरा के पर्वतीय भागों में मलेरिया को रोकने के सम्बन्ध में दी गई सहायता ; तथा

(ख) क्या राज्य में चलते फिरते अस्पताल खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत सरकार ने त्रिपुरा राज्य में एक मलेरिया विरोधी एकक को स्वीकृत किये

जाने की स्वीकृत दी है। शीघ्र ही मलेरिया नियंत्रण की नियमित कार्यवाहियां प्रारम्भ की जाने को हैं। इस कार्य के लिये दिल्ली के भारतीय मलेरिया विद्यालय की एक मलेरिया जांच टुकड़ी ने पहले ही से राज्य में प्रारम्भिक मलेरिया पर्यालोकन कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) जनजाति कल्याण योजना के अन्तर्गत डाक्टरों, नर्सों इत्यादि से पूर्ण रूप से सुसज्जित एक चलता फिरता अस्पताल चालू करने के प्रबन्ध किये जा रहें हैं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

६१४. **श्री बीरेन दत्त:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में उन भूमि खंडों पर, जो स्थानीय कृषकों के कृषि-आधीन थे, विस्थापित व्यक्तियों के बसा दिये जाने के परिणामस्वरूप हुई मुकदमे बाजी के कारण, क्या खाद्य उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विवादग्रस्त भूमि पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि पुनर्वास योजना के कारण खाद्य उत्पादन में बहुत कमी हो गई है ; तथा

(घ) त्रिपुरा राज्य के निवासियों को सरकार सन् १९५१-५२ के लिये कितना खाद्यान्न दे रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्। त्रिपुरा राज्य में स्थानीय कृषकों की कोई भी भूमि विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए काम में नहीं लाई गई है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) सन् १९५२ में त्रिपुरा राज्य को २००० टन गेहूं आवंटित किया गया था। इस में से १००० टन तो भेज दिया गया है और शेष को त्रिपुरा प्रशासन न आवश्यकता न बताकर वापस कर दिया है।

त्रिपुरा में भूमि सम्बन्धी झगड़े

६१५. **श्री बीरेन दत्त:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए भूमि सम्बन्धी झगड़ों की संख्या जो त्रिपुरा की अदालत में आये हैं ;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) १०१ मुकदमे।

(ख) अधिकांशतया झगड़े बन्दोबस्त तथा भूमि परिमापन न किये जाने के कारण हुए हैं। परिमापन तथा बन्दोबस्त अब किये जा रहे हैं।

मत्स्य विकास

६१६. **श्री पटेरिया:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है भारत में मत्स्य विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के मध्य एक करार हुआ है ;

(ख) इस करार का सविस्तर विवरण क्या है ; तथा

(ग) अपेक्षित सामान के क्रय के लिए सरकार क्या कायवाही कर रही है और इस कार्य पर कितने विषेशज्ञ नियुक्त किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) समुद्र मत्स्य ग्रहण के प्रसार तथा आधुनिकीकरण की परियोजना सम्बन्धी भारत-अमरीकी कार्य संचालन करार संख्या ५ की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ग) उपकरणों की प्राप्ति की व्यवस्था भारत भांडार नियोग तथा वाशिंगटन स्थित वाणिज्य प्रदेष्टा सम्मिलित रूप से करेंगे । मत्स्य विकास योजना में कार्य करने वाले चार अधिकारियों को, एक केन्द्र से तथा तीन राज्यों से सरकार आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने तथा प्रविधिविज्ञों को भर्ती करने के लिये नियुक्त करन का विचार कर रही है ।

बम्बई उपनगरीय सेवा

६१७. **श्री वर्तक** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या युद्ध पूर्व काल की अपेक्षा अब पश्चिमी रेलवे की बम्बई उपनगरीय सेवा म यात्री यातायात कई गुना बढ़ गया है ;

(ख) क्या ट्रेनों की संख्या में कोई आनुपातिक वृद्धि हुई है, तथा

(ग) पश्चिमी रेलवे में बन्दरा तथा बोरीविली के मध्य ऊपर वाले वर्तमान दुहरे तार के स्थान पर प्रस्तावित चौहरे ऊपर वाले विद्युत तार लगाये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री लाल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, पश्चिमी रेलवे के बम्बई उपनगरीय सैक्शन में सन् १९५०-५१ में यात्री यातायात सन् १९३८-३९ के आंकड़ों को देखे तीन गुना से कुछ अधिक था ।

(ख) ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है, परन्तु आनुपातिक वृद्धि का करना सम्भव नहीं है । विद्युत शक्ति में की गई कटौती के कारण रेलवे को बाध्य हो कर गाड़ियों की संख्या को अन्यथा संभावित अधिकतम ट्रेन संख्या से भी कम कर देना पड़ा है ।

(ग) बन्दरा और अंधेरी के बीच चौहरे रेल पथ को विद्युन्मय करने के कार्य के सात महीनों में पूर्ण होने और अंधेरी से बोरीविली तक उस से अगले आठ महीनों में पूर्ण हो जाने की प्रत्याशा है ।

बहिः शुल्क

६१८. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य में बहिः-शुल्क के समापन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ;

(ख) बहिःशुल्क से होने वाली आय में हुई कमी को पूरा करने के लिये क्या उक्त राज्य में कोई नया करारोपण किया जायेगा ; तथा

(ग) यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उक्त करारोपण किस प्रकार का होगा और उस से कितनी वार्षिक आय होने का अनुमान है ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की समाप्ति तक ।

(ख) और (ग). यह प्रश्न कि बहिः-शुल्क से समापन से आय में होने वाली कमी को अन्य करारोपण प्रस्तावों से पूरा किया जाना चाहिये, पूर्णतया राज्य सरकार का

कार्य है । साधारणतया बिक्री कर को बढा कर इस कमी को पूरा करने का सुझाव दिया गया है । सन् १९५२-५३ में बिक्री कर से १५० लाख रुपये के ऊपर आय होने का अनुमान है ।

भारतीय पोतों के लिये राष्ट्रीय पताकायें

६१९. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय पोतों की राष्ट्रीय पताका के श्वेत ध्वज में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किसने परिवर्तन किया है, और कब से उसे लागू किया गया है ;

(ग) नीले ध्वज और लाल ध्वज का विवरण ; तथा

(घ) नीले ध्वज को काम में लाने के सम्बन्ध में क्या विनियम हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) और (ख) जी हां । भारतीय नौ-सेना का श्वेत ध्वज जिसे २६ जनवरी १९५० को प्रारम्भ किया गया था, मार्च १९५१ से आकार में थोड़ा सा बदल दिया गया था । यह परिवर्तन रक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार किया गया था।

(ख) यातायात मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ७३-एम ए (२) ४९ दिनांक २२-१-१९५२ की एक प्रति जिस में नीले ध्वज तथा लाल ध्वज का वर्णन है और जिस ने नीले ध्वज के काम में लाये जाने सम्बन्धी विनियम निर्धारित किये गये हैं, सदन पटल पर रखी जाती [है **देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७**]

यह अधिसूचना भारत सरकार के सूचना पत्र दिनांक २ फरवरी, १९५२ में प्रकाशित हुई थी ।

कपास का उत्पादन

६२०. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रों तथा उत्पादन का परिमाण सहित (राज्यवार) समस्त भारत का कपास सम्बन्धी प्रथम द्वितीय, तृतिय तथा चतुर्थ प्रक्कलन क्या है ?

(ख) कपास के सरकारी तथा व्यापारिक प्राक्कलनों के क्या अधार है और उन में परस्पर कितना अन्तर है ?

(ग) सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक प्रत्येक वर्ष में अधिक कपास उत्पन्न करो पर कितना व्यय किया गया है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) एक विबरण, जिस में सन् १९५१-५२ के उपलब्ध आंकड़े दिये गये हैं सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ख) कपास उत्पादन के सरकारी प्राक्कलन मध्यप्रदेश और बम्बई के अतिरिक्त, जहां उत्पादन का अनुमान क्षेत्रफल को प्रति एकड़ उपज से जिसे फसल चुनने के समसम्भावित न्यादर्श के अधार पर निश्चित किया जाता है, गुणा करके ज्ञात करते हैं, साधारणतया अन्य राज्यों में क्षेत्रफल सामन्या उपज तथा अवस्था सम्बन्धी तथ्य को परस्पर गुणा करके तैयार किये जाते हैं । इसके विपरीत, व्यापारिक प्राक्कलन साधारणतया उन कपास बोने इत्यादि सम्बन्धी

रिपोर्टों पर, जोकि मुख्य कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थिति व्यापार अभिकरणों के प्राप्त सूचनाओं के अधार पर तैयार की जाती हैं अधारित होते हैं ।

सन् १९५०-५१ के विभिन्न व्यापारिक प्राक्कलन सरकारी प्राक्कलनों से ५ से १४ प्रतिशत तक अधिक थे सन् १९५१-५२ की इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अधिक कपास उत्पन्न करो योजना केवल सन् १९५०-५१ में ही प्रारम्भ की गई थी । इन योजनाओं पर जितना धन व्यय हुआ है उसके आंकड़े ज्ञात नहीं है परन्तु इन योजनाओं के लिए भारत सरकार ने सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में यह अनुदान तथा ऋण स्वीकृत किये थे :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९५०-५१	१८·८६	२३·१३
१९५१-५२	१८·२३	४७·६२

मत्स्य उत्पादन

६२१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में पकड़ी गई समुद्री मछली का भार ;

(ख) भारत में उसी काल में देश के भीतर स्वच्छ जल से पकड़ी गई मछली का अनुमानित भार ;

(ग) देश के भीतरी भागों में पकड़ी गई मछली का कितना अनुपात ताजा मछली की भांति काम में लाया गया ; तथा

(घ) समुद्री मछली का कितना अनुपात ताजा मछली की भांति काम में लाया गया ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु पत्री वर्ष १९५१ के उत्पादन इत्यादि सम्बन्धी आंकड़े यह हैं ;

अनुमानतः ५,२५,००० टन

(ख) देश में पकड़ी गई मछली का कुल भार ज्ञात नहीं, परन्तु बेचा जाने योग्य अतिरेक प्रायः २,१५,००० टन था ।

(ग) ९८ प्रतिशत

(घ) २० प्रतिशत

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्

६२१-क. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगें कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् में किन किन देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था ?

(ख) इस समय कौन से देश गेंहूं के विक्रेता हैं तथा कौन से खरीदार हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) आयात और निर्यात करने वाले देशों के नाम जिन का अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् में प्रतिनिधित्व किया गया है, देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आयात तथा निर्यात करने वाले देशों के नाम जिन का अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् में प्रतिनिधित्व किया गया था ।

(क) निर्यात करने वाले देश

(१) आस्ट्रेलिया
(२) कनाडा
(३) संयुक्त राज्य अमरीका
(४) फ्रांस

(ख) आयात करने वाले देश—

(१) आस्ट्रिया
(२) बैल्जियम
(३) बोलीविया
(४) ब्राज़ील
(५) सीलोन
(६) कोस्टारीका
(७) क्यूबा
(८) डैनमार्क
(९) डमीनिकन गण राज्य
(१०) ईक्वैडोर
(११) ईजिप्ट
(१२) एल-सेल्वेडोर
(१३) जर्मनी
(१४) ग्रीस
(१५) गुटामेला
(१६) हेती
(१७) हौण्डूरास गणराज्य
(१८) आईसलैंड
(१९) इंडिया (भारत)
(२०) इण्डोनेशिया
(२१) आयरलैण्ड
(२२) इज़राईल
(२३) इटली
(२४) जापान
(२५) लैबनान
(२६) लिबीरिया
(२७) मैक्सिको
(२८) नीदरलैंड्स
(२९) न्यूज़ीलैण्ड
(३०) नाईकर गुआ
(३१) नार्वे
(३२) पनामा
(३३) पेरू
(३४) फ़िलिपीन
(३५) पुर्तगाल
(३६) सौदी अरब
(३७) स्पेन
(३८) स्वीडन
(३९) स्विटज़रलैंड
(४०) दक्षिणी अफ़्रीका संघ
(४१) संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन
(४२) वैनज़ला

रेलवे का सामान

६२१-ख. **श्री जांगड़े** : क्या रेल मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि चापा और कोरवा के बीच बी० एन० रेलवे की प्रस्तावित शाखा लाइन खोलने के लिये मशीनी-हथियार, रेल लाइनें, और लाइनों के जोड़ की पट्टियां आदि बहुत सारा सामान चापा रेलवे स्टेशन पर खुला पड़ा है और उस में काई लगी जारही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं यह तथ्य नहीं है। निर्देशित कार्य के लिये कोई रेलवे का सामान अभी तक एकत्रित नहीं किया गया है।

आई० सी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

६२२. **श्री दामोदर मैनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन आई० सी० एस० अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध गत चार वर्षों में अनुशासनिक कार्यवाही की गई हैं, तथा

(ख) उन के अपराध किस प्रकार के थे और प्रत्येक के सम्बन्ध में क्या अनुशासनीय कार्यवाही की गई ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ९]**

मोटर गाड़ियां (दुर्घटनायें)

६२३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या यातायात मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ की अवधि में हुई दुर्घटनाओं की संख्या जिन में दुर्घटना का कारण मोटर गाड़ियां थीं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की संख्या ;

(ग) आहत हुये व्यक्तियों की संख्या ; तथा

(घ) उन मोटर ड्राइवरों की संख्या जो इन दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी पाये गये और न्यायालयों से दण्डित हुये ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (घ). राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १०**]

आसाम तथा पैप्सू सरकारों से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

अनुसूचित जातियां

६२३-क. **श्री जाटव वीर**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ जनवरी १९४७ से सन् १९५१ के अन्त तक प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अथवा उन के अन्तर्गत श्रेणी १, श्रेणी २ श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये पदों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

चलते फिरते डाकघर

६२४. **सेठ गोविन्द दास**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि कितने स्थानों पर चलते फिरते डाकघरों की व्यवस्था की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : चार, नागपुर, दिल्ली और कानपुर ।

हवाई दुर्घटनायें

६२५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में भारत में कितनी हवाई दुर्घटनायें हुईं और इन में से कितनी दुर्घटनाओं का कारण सम्बन्धित हवाई जहाजों का ठीक से उडान करने योग्य न होना समझा जा सकता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) केवल मात्र उन्ही वायुयानों को जो सार्वजनिक यातायात अथवा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये काम में लाये जाते हैं, कानून के अनुसार नभोयोग्यता का प्रमाणपत्र लेना पड़ता है ।

सन् १९५१ में, आठ ऐसे भारतीय वायुयान और एक ऐसा विदेशी वायुयान गम्भीर प्रकार की दुर्घटना में जैसे वायुयान का क्षत होना अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु होना या आहत होना, ग्रस्त हुये थे ।

सन् १९५१ में अब तक के आंकड़ यह हैं: चार भारतीय तथा एक विदेशी वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुये । सन् १९५१ तथा १९५२ में हुई कोई भी दुर्घटना वायुयान के नभोयोग्य न होने के कारण नहीं हुई थी ।

कोसा और लाख

६२५-क. **श्री जांगड़े** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री गत तीन वर्षों में हुई कोसा और लाख की वार्षिक उपज बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) कोसा और लाख की उपज में यथास्थिति वृद्धि या कमी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ११]**

राज्य सरकारों को सहायता

६२५-ख. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खाद्यान्नों के अतिरेक उत्पादन वाले राज्यों को कमी वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक अन्न उपजाने पर कोई विशेष सहायता दी जाती है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को सन् १९५१-५२ में तथा इस वर्ष में मई के अन्त तक अधिक अन्न उपजाने के लिये कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) उपरोक्त सहायता का क्या परिणाम निकला ।

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार अतिरेक वाले तथा कमी वाले राज्यों में परस्पर कोई विभेद नहीं करती है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) कृषि वर्ष १९५१-५२ अभी ३० जून १९५२ को ही समाप्त हुआ है । इस वर्ष सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना इस वर्ष के अन्त तक ही ज्ञात हो सकेगी । इसी प्रकार सन् १९५२-५३ में स्वीकृत किये गये व्यय के आंकड़े भी सन् १९५३ के अन्त तक ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

मनोरंजन (व्यय)

६२६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ से १९५१ तक प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्तरिक सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के मनोरंजन पर व्यय की गई सम्पूर्ण धन राशि; तथा

(ख) प्रत्येक वर्ष में उन अवसरों की संख्या जिन में इस मद में व्यय किया गया ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १३]**

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

६२७. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने तथा विकसित करने सम्बन्धी प्रस्थापनायें ; तथा

(ख) प्रत्येक की मील दूरी तथा प्राक्कलित व्यय ?

रेल तथा यातायात मंत्री श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) और (ख) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १४]**

तम्बाकू

६२७-क. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में राज्यवार, सन् १९५१-५२ में पैदा हुई तम्बाकू की परिमात्रा ; तथा

(ख) भारत में सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पैदा हुये तम्बाकू की सम्पूर्ण परिमात्रा मनों में ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं ।

विवरण

भारत में तम्बाकू का उत्पादन

हजार मनों में

राज्य	भारत में तम्बाकू का उत्पादन (१९५१-५२ अन्तिम प्राक्कलन*)
आसाम	१६३
बिहार†	४३६
बम्बई	९८०
मध्य प्रदेश	५४
मद्रास	३,१३०
उड़ीसा	२७२
पंजाब	५४
उत्तर प्रदेश	१९१
पश्चिमी बंगाल	२७२
हैदराबाद	८२
मध्य भारत	२७
मैसूर	८२
राजस्थान	२७
अन्य‡	५५
योग	५,८२५

*आंकड़े अन्तिम प्राक्कलन के सम्बन्ध में हैं जिन्हे अनुपूरक प्राक्कलनों के ज्ञात होने पर थोड़ा बहुत पुनरीक्षित किया जायेगा क्योंकि अनुपूरक प्राक्कलनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पैप्सू, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश की देर में बोई गई फसल के आंकड़े भी सम्मिलित किये जाते हैं ।

† संविलीन क्षेत्रों का अपवर्जन करते हुये ।

‡ इस में पैप्सू, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, त्रिपुरा तथा विन्ध्य प्रदेश के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

भारत में तम्बाकू का उत्पादन

(००० मन)

वर्ष	उत्पादन
१९४७-४८	६,३६९
१९४८-४९	६,९४१
१९४९-५०	७,१८६
१९५०-५१	६,८३२*
१९५१-५२	५,८२५†

* अनुपूरक प्राक्कलन } (पुनरीक्षण योग्य)
† अन्तिम प्राक्कलन }

महात्मा गांधी (स्मारक)

६२८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को दिल्ली में महात्मा गांधी का एक उपयुक्त स्मारक बनाने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका के फोर्ड फाउण्डेशन से कोई धन राशि दान के रूप में प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भेंट का मूल्य

(ग) वह स्मारक कहां बनाया जायेगा ; तथा

(घ) उक्त स्मारक की क्या क्या मुख्य विशेषतायें होंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) फोर्ड फाउण्डेशन ने एक दान दिया है परन्तु भारत सरकार को नहीं दिया है । वह धनराशि मुझे दी गई थी और उस की व्यवस्था करने के लिये मैं ने एक समिति नियुक्त कर दी है ।

(ख) ८५,००० डालर (रु० ४,०४,७६१—१४—६ पाई)

(ग) भंगी बस्ती नई दिल्ली ।

(घ) उक्त स्मारक उस बस्ती के निवासियों के सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभ के लिये एक क्रियाकारी समुदाय केन्द्र होगा ।

खाद्यान्नों के समाहार मूल्य

६२९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस वर्ष खाद्यान्नों के समाहार मूल्यों को कम करने की प्रस्थापना करती है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : भारत सरकार का यह मत है कि राज्य सरकारों को गिरते हुये बाजार भावों और सुधरती हुई प्रदाय स्थिति का लाभ उठाना चाहिये । उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र के आदेश पर २० जून, १९५२ से गेहूं, जौ और चना के समाहार मूल्यों में एक रुपया प्रति मन की कमी कर दी है । इस के बाद से उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का अपनियंत्रण कर दिया गया है, पंजाब और पैप्सू सरकारों से भी अपने मूल्यों में वही कमी करने की प्रार्थना की गई है ।

केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था, कटक

६३०. **श्री संगण्ण** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था कटक (उड़ीसा) के कार्यकरण को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उस के स्थापित किये जाने के समय से धान के उत्तम प्रकार के बीजों की कितनी किस्मों का आविष्कार किया गया है ?

(ग) क्या संस्था द्वारा आविष्कृत धान के उत्तम प्रकार के बीजों का उड़ीसा के अतिरिक्त देश मे किन्हीं अन्य स्थानों पर भी परीक्षण किया गया है ?

(घ) यदि हां तो क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) चावल का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये चावल सम्बन्धी प्रत्येक समस्या पर अखिल भारतीय आधार पर आधारभूत अनुसन्धान कार्य करने के हेतु इस संस्था को सितम्बर १९४६ में स्थापित किया गया था । अनुसन्धान कार्य पांच विभागों में हो रहा है—बनस्पति शास्त्र, कृषि विज्ञान, रसायन शास्त्र, कवक शास्त्र (माईकोलोजी) तथा कृमि विज्ञान । एक फार्म विभाग भी है जो संस्था के पास ही स्थित ५,००० एकड़ के एक निजी चक के सुधार कार्य का प्रभारी है । इस क्षेत्र में विकसित कृषि प्रणालियों, जैसे हरा खाद देना, उत्तम प्रकार के बीजों का प्रयोग, बिखेर कर बोने की प्रणाली के स्थान पर फस्लों का प्रतिरोपण करना, जहां भी सिंचाई सुविधाएं वर्तमान हों वहां भूमि पर धान की दो फस्लों का उगाना, का प्रदर्शन किया जाता है और कृषकों को अपनी उपज बढ़ाने के लिये इन प्रणालियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।

प्रत्येक विभाग की कार्यवाहियों का विवरण संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। अब तक प्रकाशित हुई दो रिपोर्टें ससद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सन् १९५०-५१ की रिपोर्ट अभी प्रकाशित होने को है।

इन सामान्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त चावल पर किये गये विभिन्न अनुसन्धान कार्यों से सम्बद्ध योजनाएं, जिनका अर्थ वहन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने किया है तथा दो प्रसंकरण योजनाएं, एक का अर्थ वहन खाद्य तथा कृषि संस्था ने किया है तथा दूसरी का भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने किया है, के सम्बन्ध में बुलेटिन तैयार करने की योजना को संस्था में प्रारम्भ किया जा रहा है।

यह संस्था चावल सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का भी कार्य करती है।

(ख) यह संस्था अभी पांच वर्ष से ही अस्तित्व में आई है और इस ने किन्हीं नये प्रकार के बीजों को अभी तक वितरण के लिये दिया नहीं है। अधिक उपज देने वाली १३ नवीन किस्मों पर अन्तिम रूप से परीक्षण किया जा रहा है और अगले वर्ष उन का उक्त राज्य में परीक्षण किया जायेगा।

(ग) अभी तक संस्था में कोई उत्तम प्रकार की किस्म नहीं निकाली गई है। कुछ चीनी किस्मों को जिनका परीक्षण किया गया था और जो उत्तम सिद्ध हुई थी, चावल उत्पन्न करने वाले १० राज्यों में, उन की विभिन्न प्रकार के भूमि खंडों में समानुपातिक उपयुक्तता की जांच करने की एक सहयोजित योजना के अनुसार, २२ केन्द्रों में परीक्षण किये जाने के लिये भेजा गया है।

(घ) गत वर्ष में, इन चीनी किस्मों में से कुछ का परीक्षण एक छोटे पैमाने पर बिहार (दामोदर घाटी निगम, हजारी बाग) तथा मध्य प्रदेश राज्यों में किया गया था और सूचना मिली है कि परीक्षण सफल रहे हैं। इन तथा अन्य चीनी किस्मों की उपयुक्तता सम्बन्धी रिपोर्ट इस वर्ष के सहयोजित परीक्षण के बाद उपलब्ध हो सकेगी।

चिल्का झील में मछली उद्योग

६३१. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चिल्का झील तथा महानदी के मुहाने में गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण उद्योग को विकसित करने के लिये क्या उड़ीसा सरकार को कोई अर्थ-साहाय्य दिया गया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अब तक केन्द्र द्वारा दी गई अर्थ-साहाय्य की कुल राशि ;

(ग) क्या उड़ीसा से भारत के अन्य राज्यों को जीवित मछलियां निर्यात की जाती हैं ; तथा

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों (१९४९, १९५० तथा १९५१) में से प्रत्येक में निर्यात की गई मछली का परिमाण ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त होने पर वह सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

६३१क. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) २६ जनवरी, १९५० से रेलवे के लिये कर्मचारियों को भरती करने के हेतु नियुक्त की गई समितियों अथवा आयोगों की संख्या ;

(ख) २६ जनवरी, १९५० से प्रत्येक प्राधिकारों द्वारा प्रत्येक श्रेणी में की गई नियुक्तियां ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त किये गये उम्मेदवारों में अनुसूचित जाति वालों की प्रतिशतता ;

(घ) निर्धारित प्रतिशतता में अनुसूचित जाति वाले उम्मेदवारों को चुनने के सम्बन्ध में इन समितियों अथवा आयोगों को क्या आदेश दिये गये हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ;

(च) क्या अनुसूचित जाति के कोई सदस्य इन समितियों अथवा आयोगों में नियुक्त किये गये हैं ; तथा

(छ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : रेलवे प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है । और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण

६३२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उन भारतीय समुद्र तटों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां गहरे समुद्रों में मछलियां पकड़ी जाती हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) ; (१) सौराष्ट्र, (२) बम्बई, (३) उड़ीसा तथा (४) पश्चिमी बंगाल के समुद्र तटों पर गहरे समुद्रों में मछलियां पकड़ी जाती हैं ।

शीरा

६३३. **श्री बी० एन० राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) शीरे पर किये गये अनुसन्धानों के परिणाम ; तथा

(ख) क्या शीरे से कृषिसार या मिथिलेटेड स्पिरिट या पैट्रोल के कोई उपयुक्त स्थानापन्न खोज निकाले गये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) (१) **कृषिसार** : शीरे को वैसे सीधे ही अथवा उस में जैविक परिवर्तन करके खाद की तरह काम में लाया जा सकता है ।

(२) **मिथिलेटेड स्पिरिट** : यह तो अधिकतर शीरे से ही बनाई जाती है ।

(३) **पैट्रोल** : शीरे से बना शक्ति सुषव (पावर अल्कोहल) वैसे ही मूल रूप में अथवा पैट्रोल के साथ २० : ८० के अनुपात वाले मिश्रण के रूप में पैट्रोल के स्थानापन्न की भांति काम में लाया जा सकता है ।

विशेष पुलिस संस्थापन

६३४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा वर्ष १९४९, १९५० तथा १९५१ में राज्य-

वार तथा केन्द्र में पकड़े गये तथा जांच किये गये मामलों की कुल संख्या ;

(ख) उक्त संख्या में से कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया तथा दोष-प्रमाणित हुये ; तथा

(ग) विशेष पुलिस संस्थापन में प्रतिनियुक्त पुलिस के सिपाहियों की संख्या ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग)[1]। अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १६**]

बाह्य एजेंसिया

६४५. **श्री संगण्णा**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेल मुख्य स्थानों से देश के भीतरी भाग में माल ले जाने के लिये प्रत्येक राज्य में स्थापित की गई बाह्य ऐजेंसियों की संख्या ;

(ख) रेल विभाग तथा बाह्य एजेंसियों के प्रबन्धकों के मध्य हुये करार का ब्यौरा ; तथा

(ग) अनुमत दस्तूरी की दर ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) भारतीय रेलवेज द्वारा खोली गई बाह्य एजेंसियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ११, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) बाह्य ऐजेंसियां ठेकेदारों द्वारा चलाई जाती हैं जिनको उस मार्ग अथवा उस क्षेत्र में यातायात सेवाओं को चलाने वाले उपयुक्त व्यक्तियों में से मूल्य-वेदन पत्र आमंत्रित करके अथवा जहां यातायात का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, प्रादेशिक यातायात प्राधिकारी के परामर्श से, चुना जाता है। चुने हुये ठेकेदारों को कार्य संचालन सम्बन्धी करार करने होते हैं जिन में यह होता है :

(१) जमा की जाने वाली प्रत्याभूति ;

(२) ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले कर-भार ;

(३) उस के पास आये सामान या पार्सलों के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की जिम्मेदारी ; तथा

(४) बाह्य ऐजैन्सी कार्य के हिसाब किताब का ठीक तरह रखना ।

(ग) बाह्य एजैन्सी वाले ठेकेदार को कोई दस्तूरी नहीं दी जाती है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (विकल्प)

६३६. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उपद्रवों के समय विस्थापित हुये केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने पहले पाकिस्तान का विकल्प दिया था परन्तु जिन को बाद में बाध्य हो कर भारत को प्रव्रजन करना पड़ा, वही व्यवहार किया जाता है जो भारत का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के साथ किया जाता है ; तथा

(ख) उन कर्मचारियों की, जिन्होंने पहले चुनाव अधिकार दिये जाने पर पाकिस्तान के लिये विकल्प किया था परन्तु जो बाद में भारत आ गये थे, संख्या कितनी है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं ।

(ख) १७० के लगभग ।

बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम

६३७. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम में विनियोजित धन की मात्रा ; तथा

(ख) सन् १९५१-५२ में अर्जित, यदि कुछ, लाभ की मात्रा ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) २.० करोड़ रुपये ।

(ख) सन् १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार को अपने विनियोजन पर ५.० लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था ।

आसाम क्षेत्र में डाक तथा तार विभाग

६३८. **श्री जे० एन० हज़ारिका:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम क्षेत्र में डाक तथा तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन के पास सरकारी निवास-स्थान नहीं है ;

(ख) आसाम क्षेत्र के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये निवास स्थान बनाने तथा भवनों की मरम्मत कराने के हेतु सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई थी ; तथा

(ग) विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें गत तीन वर्षों में क्वार्टर दिये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ३,१८८ ।

(ख) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में क्रमश: ४०,३५७ रुपये तथा १,७८,९८६ रुपये निर्माण कार्य के लिये तथा ३१,५१५ रुपये तथा ४२,१०० रुपये मरम्मत कार्य के लिये दिये गये थे ।

(ग) गत तीन वर्षों में ४२ कर्मचारियों को सरकारी निवास-स्थान दिये गये हैं ।

फ़स्ल प्रतियोगिता योजना

६३८-क. **श्री पी० एन० राजभोज:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फ़स्ल प्रतियोगिता योजना से उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

(ख) यदि हां, तो फ़स्ल प्रतियोगिता में सम्मिलित की गई फ़स्लों की उपज में राज्यवार कितनी प्रति एकड़ वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार प्रधान मंत्री द्वारा अपने प्रसारित भाषण में दिये गये सुझाव को, अर्थात् एक करोड़ एकड़ भूमि को प्रतियोगिता के अन्तर्गत लाने की योजना को, कार्यान्वित करने के हेतु क्या कोई तात्कालिक कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(घ) यदि हां, क्या कार्यवाहियां किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५०-५१ की प्रतियोगिता में प्रतियोगीय भू-खण्डों में धान की प्रति एकड़ अधिकतम उपज मदरास में १२००० पौंड (नहरी) थी जब कि साधारण उपज १९०० पौंड प्रति एकड़ होती है । उसी वर्ष गेहूं तथा आलू की अधिकतम उपज उत्तर प्रदेश ने दिखाई थी जो क्रमश: ५९ मन २५ सेर ११ छटांक तथा ७२६ मन ३ सेर ३ छटांक प्रति एकड़ थी जब कि क्रमश: औसत उपज २० मन और ५७५ मन प्रति एकड़ होती है । अन्य प्रतियोगीय फ़स्लों में

प्रति एकड़ हुई वृद्धि के आंकड़ों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) । जी हां, अधिक से अधिक प्रतियोगियों को भरती करने के लिये रबी तथा खरीफ़ की फ़स्लों की बुवाई से पहले राज्य सरकारों द्वारा फ़स्ल प्रतियोगिता पखवाड़ों की व्यवस्था की जाती है । प्रतियोगियों को प्रोत्साहन देने के लिये अखिल भारतीय पुरस्कारों की राशि को चुनी हुई फ़स्लों में से प्रत्येक के विजेता के लिये बढ़ा कर ५००० रुपया कर दिया गया है । अखिल भारतीय पुरस्कार विजेताओं को 'कृषि पंडित' का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है । इस के अतिरिक्त निजी सार्थों ने भी पुरस्कारों की घोषणा की है ।

सहसौल के लिये डाकघर

६३९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों का कोई अभ्यावेदन तथा साथ ही सब डिवीजनल आफ़ीसर की यह सिफारिश प्राप्त हुई है कि जिला भागलपुर (उत्तर) बिहार में स्थित सहसौल में एक डाकघर खोला जाय ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उक्त गांव की जनसंख्या दो हजार से अधिक है और कोई डाकघर उस से ६ मील से कम दूरी पर नहीं है ; तथा

(ग) क्या सरकार उक्त गांव में एक डाकघर खोले जाने की स्वीकृति देने का विचार करती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार, सहसौल की जनसंख्या १,७७८ है । प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर हां में है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

सिलीगुड़ी से शाक भाजियों की बुकिंग

६४०. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिलीगुड़ी से पश्चिमी बंगाल के नगरों को शाक सब्जी का भेजा जाना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ।

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को सिलीगुड़ी के शाक सब्जी व्यापार संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) सिलीगुड़ी की शाक सब्जी व्यापार संस्था की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, परन्तु वह मनिहारी घाट तथा संकरीगली घाट पर शाक सब्जी के यातायात के रुक जाने के सम्बन्ध में है ।

(घ) इस बात के आदेश बहुत पहले से ही लागू हैं कि उत्तर पूर्वी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से मनिहारीघाट तथा संकरीगली घाट पर आने वाली शाक सब्जी को तुरन्त ही आनुक्रमिक यात्री स्टीमर अथवा रेल द्वारा भेज दिया जाये । देर होने के किसी स्पष्ट उदाहरण के अभाव में १० जून से १० जुलाई, १९५२ की अवधि में भेजे गये माल की एक सामान्य जांच की गई जिस से यह ज्ञात हुआ कि साधारणतया शाक सब्जियों के सभी टोकरे मनिहारी घाट तथा संकरीगली घाट से भेज दिये जाते थे ।

नई दिल्ली से रेलवे बुकिंग

६४१. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिसम्बर, १९५० में नई दिल्ली से माल का बुकिंग 'मुक्त-अभ्यंश प्रणाली' पर किया जाता था ;

(ख) क्या नई दिल्ली को अब आवंटन प्रणाली के अन्तर्गत ले आया गया है ;

(ग) क्या दक्षिणी पश्चिमी तथा केन्द्रीय रेलवेज पर स्थित स्टेशन के लिये नई दिल्ली से किये गये रेलवे बुकिंग को अब आवंटन प्रणाली के अन्तर्गत रख दिया गया है, और यदि हां, तो पंजीयन के बाद आवंटन कराने में कितना समय लगता है ;

(घ) क्या मुरादाबाद के रास्ते उत्तर पूर्वी रेलवे पर स्थित स्टेशनों के लिये बुकिंग अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है ;

(ङ) क्या यह तथ्य है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप नई दिल्ली से होने वाले माल के यातायात में बहुत कमी हो गई है ; तथा

(च) क्या सरकार के पास माल भेजने वालों के परामर्श से इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था सोच निकालने की कोई योजना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां, नई दिल्ली से माल का बुकिंग उन रेल मार्गों के अतिरिक्त जहां रेलवे की क्षमता सीमित थी और माल का यातायात अभ्यंशों के आधार पर विनियमित किया जाता था, एकदम मुक्त था ।

(ख) इस समय नई दिल्ली से माल के बुकिंग की प्रणाली वही है जो उपर उल्लिखित मार्ग (क) में बताई गई है ।

(ग) नई दिल्ली का माल का वह यातायात जो दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे पर स्थित स्टेशनों के लिये होता है, अभ्यंश प्रणाली द्वारा विनियमित किया जाता है, परन्तु केन्द्रीय रेलवे पर स्थित स्टेशनों के लिये यह मुक्त है । माल का पंजीयन कराने और माल गाड़ी के डब्बे का आवंटन होने में जो समय लगता है वह, जहां अभ्यंश प्रणाली चालू है, अधिमान्यता सूची में उक्त प्रकार के माल के सापेक्षिक क्रमस्थान तथा पंजीयन के क्रमानुसार बदलता रहता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं । नई दिल्ली से माल के यातायात में वृद्धि हुई है ।

(च) अभ्यंश प्रणाली रेलवे प्राधिकारियों द्वारा संचालन सम्बन्धी कारणों से लगाई जाती है और इस सम्बन्ध में माल भेजने वाले व्यापारी कोई लाभप्रद परामर्श नहीं दे सकते हैं, और इसलिये उन से परामर्श करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

हैदराबाद से कपास और तिलहनों का निर्यात

६४१-क. **श्री एच० जी० वैष्णव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ में हैदराबाद राज्य से निर्यात की गई कपास तथा तिलहनों की सम्पूर्ण परिमात्रा तथा उसका मूल्य ;

(ख) उसी अवधि में राज्य में निर्यात किये गये कपडे की सम्पूर्ण परिमात्रा तथा उस का मूल्य ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) सन् १९५१ में हैदराबाद

राज्य से निर्यात की गई कपास तथा तिलहनों की परिमात्रा तथा मूल्य इस प्रकार है :

(भारतीय मुद्रा में)

वस्तु	निर्यात की गई परिमात्रा	मूल्य		
	टन	रु० आ० पा० प्रति मन		
बिनौला	४९,९७०	८	१३	८
सरसों तथा दुंआ।	१३६	२८	४	८
तिल	११,५७६	२८	१३	८
करड़	२३,६४४	२०	९	०
अलसी	१३,७७२	२२	१३	८
अरंडी	२९,६००	२५	११	४
मूंगफली	२७,३६०	२७	२	४
कपास	२५६,७६७ गांठें	४६१ प्रति गांठ (औसतन)	०	०

(ख) सन् १९५१ में हैदराबाद में आयात किये गये कपड़े की सम्पूर्ण परिमात्रा तथा मूल्य :

(भारतीय मुद्रा में)

वस्तु	आयात की गई परिमात्रा	मूल्य
	गांठें	प्रति गांठ (औसतन) रु०
कपड़ा	४४,७९६	१४४९

वन विद्यालय, देहरादून

६४२. **श्री तेलकीकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वन विद्यालय, देहरदून ने किसी नई भेषजीय जड़ी को खोज निकाला है ; तथा

(ख) इन के सम्बन्ध में मुख्य खोजें क्या हैं :–

(१) फलदार वृक्षों ;

(२) भेषजीय जड़ी बूटियों ;

(३) व्यापारिक लकड़ियों ; तथा

(४) ईधंन के काम आने वाले वृक्षों ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) वन अनुसन्धान विद्यालय में किये गये अनुसन्धान कार्यों के परिणाम वार्षिक रिपोर्टों, बुलेटिनों और विद्यालय के अभिलेखों में प्रकाशित किये जाते हैं जिनकी प्रतिलिपियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

मद्रास को खाद्यान्नों की प्रदाय

६४३. **श्री कक्कन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन मासों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास सरकार को कितने टन खाद्यान्न प्रदाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : अप्रैल से जून १९५२ की अवधि में मद्रास को मूलभूत योजना के अन्तर्गत भेजे गये खाद्यान्नों की सम्पूर्ण परिमात्रा २,३४,१०० टन थी ।

रेलवे बुक स्टालें

६४४. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने प्रकार की किताबों के

रेलवे बुक स्टालों पर बेचे जाने पर पाबन्दी लगाई गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : बुक स्टालों के ठेकेदारों तथा रेलवे के मध्य हुए क़रारों में रेलवे को उन किताबों के बेचे जाने पर, जिन्हें वह अशिष्ट अथवा किसी प्रकार से आपत्ति-जनक समझते हों, प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है। अतः रेलवे ने उन पस्तकों की बिक्री, जो इन वर्गों में आती है, प्रतिषिद्ध कर दी है।

जबलपुर के लिये नया रेलवे स्टेशन

६४५. **श्री पटेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जबलपुर में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ; तथा

(ग) निर्माण कार्य के कब प्रारम्भ होने की संभावना है, और उस के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जबलपुर में अधिक उत्तम प्रकार की यात्रा सुविधायें देने की व्यवस्था करने की एक योजना है। उस में वर्तमान स्टेशन की इमारत को बढ़ाना तथा उस में परिवर्तन करना, रेल पथ में अपेक्षित परिवर्तन करना, प्लेट फार्मों का सुधारना, जल प्रवाह द्वारा स्वच्छ होने वाले शौचालयों इत्यादि का बनाना, स्टेशन भवन को विद्युन्मय करना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं .

(ख) इस योजना की सम्पूर्ण प्राक्कलित लागत १८.२० लाख रुपये है। इस में वर्तमान स्टेशन की इमारत को बढ़ाने तथा उस में परिवर्तन करने पर होने वाली ४·९० लाख रुपये की रकम भी शामिल है।

(ग) कार्य खंडों में हो रहा है। स्टेशन की इमारतों के बढ़ाने तथा उन में परिवर्तन करने का कार्य सन् १९५३-५४ में प्रारम्भ किया जायेगा और सन् १९५४-५५ में समाप्त होगा।

अनन्तपुर रेलवे स्टेशन

६४६. **श्री लक्ष्मटया** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गुंटकल से बंगलौर जाने वाली रेल लाइन पर रायलासीमा में स्थित अनन्तपुर के रेलवे स्टशन को सुधारने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कार्य में क्या प्रगति हुई है और अब तक उस पर कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ;

(ग) क्या इंजीनियरिंग कालिज के विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए अनन्तपुर के पास कोई फ़लैग स्टेशन (स्टेशन चौकी) खोलने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(घ) रेल चौकी पर जनता को रेल लाइन के आर पार जाने की सुविधा देने के हेतु क्या सरकार ने अनन्तपुर नगर में एक ओवर ब्रिज (पुल) बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर हां में है।

(ख) जून १९५२ के अन्त तक हुई कार्य प्रगति १० प्रतिशत है। मार्च १९५२ के अन्त तक हुआ व्यय ३९,००० रुपये था।

(ग) अनन्तपुर में इंजीनियरिंग कालिज के पास एक रेल चौकी (फ़लैग स्टेशन) खोलने की प्रस्थापना पर विचार किया

गया था परन्तु अत्यधिक वांछनीयता न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया।

(घ) उत्तरन हीं में है। यदि राज्य सरकार द्वारा इस विषय को समुचित प्राथमिकता दी जा कर इस की सिफ़ारिश की जायेगी तो इस प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा।

रायलासीमा के लिये नई रेलवे लाइनें

६४७. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रायलासीमा विकास पर्षद् ने रायलासीमा के पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाई जाने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश की है ;

(ख) यदि की है, तो क्या सरकार ने रायलासीमा के किसी ज़िले में कोई नई रेलवे लाइने बिछाने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार वर्तमान बिलारी–रोयाद्रुग लाइन को धर्मावरम तक बढ़ाने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(घ) क्या स्थानीय निकायों तथा अनन्तपुर ज़िले की जनता ने गुंटकल से तमकूर तक एक नई रेलवे लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इत्यादि सरकार के पास भेजें हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) ऐसी कोई सिफ़ारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) ऐसी कोई प्रास्थापना विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी हां, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

हुबली में माल का इकट्ठा हो जाना

६४८. **श्री दातार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि बहुत सा अप्राथमिक सामान जिस का भेजे जाने के लिए पंजीयन कराया गया था सदर्न रेलवे के हुबली ज़िले में इकट्ठा हो गया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ज़िले के विभिन्न माल लादने वाले स्टेशनों पर उसका माल डब्बों भार का परिमाण ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि सप्ताह में केवल एक दिन इस प्रकार के अप्राथमिक माल के भेजे जाने के लिए नियत किया गया है ;

(घ) क्या यह भी तथ्य है कि पंजीयन के आधार पर माल डब्बे प्राप्त करने में साधारणतया छै से नौ महीने तक अपेक्षित होते हैं ;

(ङ) यदि यह अवधि इतनी अधिक नहीं है, तो साधारण अवधि क्या है ;

(च) क्या कर्नाटक व्यापार मंडल हुबली ने रेलवे प्राधिकारियों से प्रार्थना की है कि माल की तुरत निकासी के लिए सप्ताह में तीन दिन दिये जाया करें ;

(छ) क्या उक्त प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई है ; तथा

(ज) यदि उपरोक्त मांगों (च) और (छ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके कारण ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) और (ख). हुबली ज़िले के विभिन्न स्टेशनों पर १०-४-१९५२ से १०-७-१९५२ तक की अवधि में अप्राथमिक माल का पंजीयन अवशिष्ट ६,३३९ माल-डब्बे भार था जब कि गत वर्ष इसी कालावधि के तत्संवादी आंकड़े ६,८०३ माल-डब्बे भार था।

(ग) जब कि साधारणतया सप्ताह में एक दिन अप्राथमिक प्रकार के माल के लिए माल डब्बे आवंटन करने के लिए रखा गया

है, परन्तु अत्यावश्यक प्राथमिकता प्राप्त माल के लिए सुरक्षण करने के अतिरिक्त यदि प्राथमिकता प्राप्त माल की पंजीयन आवश्यकताओं को पूर्णरूप से पूरा करने के बाद माल डब्बे बच जाते हैं तो उनको अप्राथमिक माल को भेजने के लिए सप्ताह के अन्य दिनों में भी दे दिया जाता है।

(घ) और (ङ). यह अवधि प्रत्येक स्टेशन पर माल डब्बों की प्राप्यता, अर्थात पंजीयन तथा प्राथमिकता के आपेक्षिक क्रम के अनुसार प्राप्यता, भिन्न भिन्न होती है। ईंधन जैसी कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिस में कि माल का लदान अत्यधिक होता है, तथा इसी प्रकार के अन्य सामानों के सम्बन्ध में, जिन को इसी प्रकार के माल डब्बे अपेक्षित होते हैं, आजकल यह अवधि महीनों की नहीं होती है।

(च) जी हां।

(छ) और (ज). प्राथमिकता प्राप्त माल के लिए माल डब्बों के प्राप्यता के अनुसार, अप्राथमिक माल के यातायात के लिये प्राथमिकता प्राप्त माल के यातायात में रुकावट डाल कर और अधिक माल डब्बे देना वांछनीय नहीं समझा गया है।

घोरपुरी और होत्गी में माल लादने की सामर्थ्य

६४९. **श्री दातार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दक्षिणी रेलवे पर स्थित घोरपुरी और होत्गी स्टेशनों पर प्रति कार्य-दिवस माल डब्बे-भारों के अन्तःप्रेषण की क्षमता ;

(ख) क्या हुबली ज़िले के इन अन्तःप्रेषण केन्द्रों से हो कर जाने वाले अत्यधिक माल यातायात को पूर्ण करने में यह क्षमता सामर्थ्य अपर्याप्त है ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्षमता-सामर्थ्य कितनी अपर्याप्त है ;

(घ) इन उपरोक्त अन्तःप्रेषण केन्द्रों की अन्तःप्रेषण क्षमता के सीमित होने के कारण क्या ज़िले के विभिन्न स्टेशनों पर माल के लदान के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ;

(ङ) क्या कर्नाटक व्यापार मंडल रेलवे प्राधिकारियों से गत सात वर्षों से निरन्तर यह प्रार्थना करता रहा है कि उक्त स्टेशनों पर लदान सम्बन्धी सामर्थ्य बढ़ाई जाये ; तथा

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन गतिरोध केन्द्रों को हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (ग). घोरपुरी और होत्गी स्टेशनों पर, माल डब्बों-भार के रूप में, दैनिक अपर्याप्त अन्तःप्रेषण क्षमता-सामर्थ्य, तथा स्थिति को सुधारने के लिए उस में किस में कितनी वृद्धि की जाये वह नीचे दी जाती है :—

स्टेशन	वर्तमान क्षमता		माल यातायात के गतिरोध को दूर करने के लिए अपेक्षित क्षमता-सामर्थ्य	
	बड़ी से मीटर गेज को	मीटर से बड़ी लाइन को	बड़ी से मीटर गेज को	मीटर से बड़ी लाइन को

(घ) ज़िले में स्थित स्टेशनों पर माल का लदान इस प्रकार विनियमित किया जाता है जिस से कि यातायात का प्रवाह अन्त:प्रेषण क्षमता-सामर्थ्य के अनुसार रह सके । किसी प्रकार के गतिरोध हो जाने अथवा संचालन सम्बन्धी किसी अप्रत्याशित कठिनाई के आ जाने पर, माल के यातायात का प्रवाह और भी सीमित कर दिया जाता है, परन्तु इस प्रतिबन्ध की अवधि को कम से कम रखने का प्रयत्न किया जाता है ।

(ङ) और (च). इन अन्त:प्रेषण केन्द्रों से हो कर माल के यातायात के परिमाण के बढ़ाने के सम्बन्ध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं । क्षमता-सामर्थ्य को बढ़ाने की वांछनीयता का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है, और सभी समुचित कार्य-वाहियां जो भी करनी संभव होंगी, यातायात अवस्था को सुधारने के लिए की जायेंगी ।

बरसी लाइट रेलवे

६५०. **श्री दातार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बरसी लाइट रेलवे के पास दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकने योग्य इंजनों, माल डब्बों तथा यात्री डब्बों की पर्याप्त संख्या है ;

(ख) क्या इस कमी के कारण पंढ़रपुर के यात्रियों को यात्रा के मौसम में अकथनीय कष्ट उठाने पड़ते हैं तथा वह रह जाते हैं ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि गत आसाढ़ एकादशी के मेले में १०,००० यात्री रेलवे के चार इंजनों के बिगड़ जाने से रुके रह गये थे ; तथा

(घ) यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) बरसी लाइट रेलव के पास सामान्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य इंजन तथा माल डब्बे हैं, परन्तु सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकने के योग्य तीसरे दरजे के यात्री डब्बों की कमी है ।

(ख) जी हां, यात्रा काल में यात्रियों को कुछ असुविधायें होती हैं ।

(ग) कोई १००० (१०,००० नहीं) यात्रियों को बटूर स्टेशन पर एक इंजन के बिगड़ जाने के कारण कोई आठ घन्टे तक ठहरना पड़ा था ।

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित घटना, जो इंजन के बिगड़ जाने के कारण हुई थी रेलवे कम्पनी की किसी लापरवाही के कारण नहीं हुई थी, अत: इस मामले में कोई कार्य-वाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । परन्तु तो भी, यदि दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जायेगा तो उस मामले की कम्पनी के साथ छानबीन की जायेगी ।

विशेष पुलिस संस्था

६५१. **श्री अजीत सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इन को कितने प्रशंसात्मक प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये :

(१) विशेष पुलिस संस्था के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को, पृथक् पृथक् ; तथा

(२) असरकारी व्यक्तियों को, जिन्होंने सन् १९४७ से विशेष पुलिस संस्था के मामलों में सहायता दी ।

(ख) विशेष पुलिस के खोज कार्यों में सहायता देने के सम्बन्ध में सन् १९४७ से कितने अधिकारियों तथा असरकारी व्यक्तियों को नक़द पुरस्कार दिये गये ;

(ग) विशेष पुलिस संस्था से सम्बन्धित मामलों में प्रशंसा योग्य सेवा करने के सम्बन्ध में सन् १९४७ से विशेष पुलिस संस्था के कितने सदस्यों (श्रेणीवार) को भारतीय पुलिस पदक अथवा ऐसे ही पारितोषिक दिये गये ; तथा

(घ) विशेष पुलिस संस्था के वह कौन से अधिकारी हैं जिन्हें सन् १९४७ से भारतीय पुलिस पदक अथवा भारतीय पुलिस पदक में पट्टियां प्रदान की गईं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) कोई नहीं ।

(ख) (१) अधिकारी ३१६
(२) असरकारी व्यक्ति ४३

(ग) और (घ). सदन पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार चार पदक प्रदान किये गये थे । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १८**]

घी अपमिश्रण समिति

६५२. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या घी अपमिश्रण समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक वह प्रकाशित हो जायेगी ; तथा

(ग) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की एक प्रति विमति टिप्पणियों सहित सदन पटल पर रखेगी ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) अभी नहीं ।

(ख) रिपोर्ट अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन । उस के प्रकाशित करने तथा समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में जल्दी ही निश्चय किया जायेगा ।

(ग) जैसे ही सरकार इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लेगी, इस रिपोर्ट की प्रतियां विमति टिप्पणियों समेत सदन पटल पर रख दी जायेंगी ।

पशुपालन

६५३. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४५ से अब तक सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना पर कितना व्यय किया है ;

(ख) उक्त धनराशि में से कितना धन पशुपालन पर व्यय हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में सन् १९५१ से पूर्व पशुपालन पर क्या कुछ धन व्यय किया है ;

(घ) पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए सरकार सन् १९५२ तथा १९५३ में कितना धन व्यय करने की प्रस्थापना करती है ;

(ङ) सरकारी सूचना के अनुसार दूध देने वाले (गाय तथा भैंस) पशुओं की दशा सुधर रही है अथवा गिरती जा रही है ; तथा

(च) गत पांच वर्षों में देश में पशुओं की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं, और किस सीमा तक यह प्रयत्न सफल रहे हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिए सन् १९४५-४६ से १९५१-५२ तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि इस प्रकार है :—

ऋण	३६१५·५४ लाख रुपये
अनुदान तथा खाद्य लाभांश	३३५४·६३ लाख रुपये
योग	६९७०·१७ लाख रुपये

(ख) २० लाख रुपये ।

(ग) जी हां, सन् १९४८-४९ तक पशुपालन योजनाओं को 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन से सहायता दी जाने की अनुमति थी । सन् १९४५-४६ से सन् १९४८-४९ तक ११·१७ लाख रुपये के अनुदान पशुपालन योजनाओं के लिए स्वीकृत किये गये थे ।

(घ) सन् १९५२-५३ में ३१·५० लाख रुपया और सन् १९५३-५४ में ६८ लाख रुपये के लगभग व्यय करने की प्रस्थापना है ।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय देने योग्य न कोई सरकारी जांच की गई है और न कोई निश्चित सूचना ही उपलब्ध है । वैसे सामान्यतया यह विश्वास है कि हाल के महीनों में पशुओं की अवस्था बिगड़ गई है ।

(च) माननीय सदस्य का ध्यान श्री झुलन सिन्हा द्वारा १० जून, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

देश के पशुधन को शीघ्रता से सुधारने की एक विस्तृत योजना अर्थात प्रमुख ग्राम योजना की सिफ़ारिश योजना आयोग ने अपनी प्रारूप योजना में की है । उक्त योजना को प्रस्तावना के रूप में सन् १९५१-५२ में ९४ प्रमुख फ़ार्म केन्द्र स्थापित करने के लिये ८.८२ लाख रुपये की एक रक़म की स्वीकृति दी गई थी । इन में से ५५ ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और शेष को स्थापित करने सम्बन्धी कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है । इन केन्द्रों को अखिल भारतीय प्रमुख ग्राम योजना में, जो कि इसी वर्ष कार्य करना प्रारम्भ करेगी, संविलीन कर दिया जायेगा ।

घी की प्रति व्यक्ति खपत

६५४. पंडित ठाकुर दास भार्गव: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सन् १९३५, १९४०, १९४५ और १९५१ में घी का सम्पूर्ण उत्पादन कितना हुआ था और इन्हीं वर्षों में प्रति व्यक्ति कितनी खपत हुई थी ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : सन् १९५१ की पशु गणना पर आधारित घी उत्पादन के प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सभी राज्यों ने गणना सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन कार्य अभी पूर्ण नहीं किया है ।

सन् १९४० और १९४५ सम्बन्धी उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	घी का उत्पादन	प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत (सेर)
१९३५	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
१९४०	१४०·२२*	१·४*
१९४५	१११·६७	१·३
१९५१	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*विभाजन पूर्व भारत के सम्बन्ध में ।

दूध की प्रति व्यक्ति खपत

६५५. पंडित ठाकुर दास भार्गव: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सन् १९३५, १९४०, १९४५ और १९५१ में दूध का सम्पूर्ण उत्पादन कितना हुआ था और इन्हीं वर्षों में प्रति व्यक्ति कितनी खपत हुई थी ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : सन् १९३५, १९४० और १९४५ सम्बन्धी उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। सन् १९५१ के दूध उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सभी राज्यों ने पशु गणना सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन कार्य अभी पूर्ण नहीं किया है।

विवरण

दुग्ध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति खपत

वर्ष	दूध का उत्पादन (लाख मन)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन की खपत (औंस)
१९३५	६,१९९*	६.६*
१९४०	४,५८४†	५.८*
१९४५	४,८१५†	४.४५†
१९५१	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* विभाजन पूर्व भारत के सम्बन्ध में।

† विभाजन पश्चात् भारत के सम्बन्ध में।

गायें और भैंसें (उत्पादन)

६५६. पंडित ठाकुर दास भार्गव: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकारी सूचना के अनुसार प्रति गाय तथा भैंस का दुग्ध उत्पादन गत १५ वर्षों में बढ़ गया है अथवा कम हो गया है ;

(ख) क्या सरकार वृद्धि अथवा कमी, जो भी अवस्था हो, की दर बतलाने की कृपा करेंगे ;

(ग) क्या सरकार ने ढोरों की नस्ल के ख़राब होते जाने के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच करने का प्रयत्न किया है ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नस्ल के बिगड़ते जाने को रोकने के लिये इस प्रश्न की जांच करने के हेतु निकट भविष्य में कोई प्रबन्ध करने की प्रस्थापना करती है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). प्रति गाय अथवा भैंस के दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी सांख्यकीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी तक देश में नस्ल पंजीयन तथा दुग्ध अभिलेखन का काम पर्याप्त बड़े पैमाने पर प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई है, परन्तु सन् १९४८-४९ में विपण तथा निरीक्षण अधिदेश द्वारा किये गये विपण परिमापन से यह ज्ञात हुआ था कि उत्पादक, पशु विक्रेता, दुग्ध विक्रेता, इत्यादि का साधारणतया यह मत था कि गत कुछ वर्षों से भारतीय ढोरों की दूध देने की क्षमता कम हो गई है। यह भी सर्व विदित है कि उत्पादन की यह कमी अपर्याप्त चारे, ख़राब सांडों और मालिकों के पास उनकी सामर्थ्य से अधिक ढोर होने के कारण हुई है।

अखिल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा ढोर के उत्पादन, दुग्ध उत्पादन सहित, के आंकड़े एकत्रित करने के लिये एक उपयुक्त न्यादर्श जांच करने की बनाई गई एक योजना इस समय विचाराधीन है।

सेरा तथा सेकरीन

६५७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) सन् १९५० तथा १९५१ में भारत में बनाई गई तथा आयात की गई औषधियों का अनुपात ;

(ख) सेरा तथा सेकरीन बनाने वाली व्यावसायिक सार्थों, प्रयोगशालाओं तथा फ़ैक्टरियों की संख्या; तथा

(ग) क्या सेरा तथा सेकरीन की भारत में बनाई जाने वाली परिमात्रा हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) सन् १९५० तथा १९५१ में देश में आयात की गई तथा बनाई गई औषधियों के मूल्य का अनुमान इस प्रकार है :—

	आयात की गई	बनाई गई
	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये
१९५०	९.९३	६
१९५१	१५.१५	७

(ख) कदाचित माननीय सदस्य का अभिप्राय 'सेरा तथा मसूरीलस (वैक्सीन)' से है। इस समय देश में सेरा तथा मसूरीलस (वैक्सीन) बनाने वाली चार व्यवसायिक सार्थे तथा तीन सरकारी संस्थायें हैं।

(ग) मसूरीलस लसीका (लिम्फ़) हैजे का मसूरीलस, टी० ए० बी० मसूरीलस, कुत्ते के काटे का मसूरीलस, बी० सी० जी० मसूरीलस तथा सर्प विष विरोधी लसी (सीरम) की इतनी परिमात्रा देश में बनाई जाती है जो देश की आन्तरिक मांग को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त होती है। अन्य लसयों तथा मसूरीलसों का उत्पादन देश की मांग का पूरा कर सकने के लिये पर्याप्त नहीं होता है।

काकीनाडा–पट्टापुरम रेल कड़ी

६५८. **श्री मोहन राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने काकीनाडा स्टेशन को डाक गाड़ी ठहरने योग्य बनाने के हेतु मेल लाइन को काकीनाडा हो कर जाने के लिये क्या काकीनाडा से पिट्टापुरम (दक्षिणी रेलवे) तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने उक्त भू भाग के परिमापन का आदेश दिया है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि भू-परिमापन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं। मामला अभी केन्द्रीय यातायात पर्षद् के विचाराधीन है।

(ख) जी हां, भूपरिमापन कार्य किया गया था और वह पूर्ण हो चुका है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

काकीनाडा–कोटीपल्ली रेलवे लाइन

६५९. **श्री मोहन राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार काकीनाडा तथा कोटीपल्ली (दक्षिणी रेलवे) के मध्य पुनः लाइन बिछाने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के कारण ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) और (ख) काकीनाडा-कोटीपल्ली ब्रांच लाईन के प्रतिस्थापन का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा

६६०. **श्री कण्डासामी :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भारत में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) कितने विदेशी प्रजाजन हैं तथा कितने भारतीय हैं ; तथा

(ग) मद्रास राज्य में कितने सेवा युक्त हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा ६७३ ; भारतीय पुलिस सेवा ३८६ ।

इस में अवेक्षाधीन अधिकारी भी सम्मिलित हैं ।

(ख) इन दोनों सेवाओं में किसी भी विदेशी को भरती नहीं किया गया है ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उन अफ़सरों की संख्या, जो मद्रास राज्य की इन सेवा पदालियों में हैं, क्रमशः ७८ और २७ है । इन में से छः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफ़सर तथा दो भारतीय पुलिस सेवा के अफ़सर केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त हैं ।

आसाम की अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास योजनायें

६६१-क. **जनाब अमजद अली :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में सहआयुक्त, अनुसूचित जनजातियां, आसाम ने केन्द्र से उस राज्य में अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा तथा यातायात सुविधाओं की विकास योजनाओं का अर्थ वहन करने के लिये कोई धनराशि मांगी है ; तथा

(ख) कितनी धनराशि, यदि कोई दी गई हो तो, केन्द्र द्वार अनुच्छेद २७५(१) (क) के अन्तर्गत दी गई है--कितनी उस में आवर्त्तक है तथा कितनी अनावर्त्तक ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं, केवल राज्य सरकारें ही ऐसे अनुदानों की मांग कर सकती हैं ।

(ख) आवर्त्तक—४० लाख रुपये ।
अनावर्त्तक—कुछ नहीं ।

Par. S. 18. IV. 1. 52
285

अंक ४

संख्या १

बुधवार,

३० जलाई १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

(First Session)

Preservation Unit
Fumigated
On 29/10/87
Parliament Library

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

स्थगन प्रस्ताव—
आसाम में बाढ़ [पृष्ठ भाग ३८१७]
राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग ३८१७-३८१८, ३८७३]
राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय (संशोधन) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रख दिया गया [पष्ठ भाग ३८१८]
पटल पर रखा गया पत्र—अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग ३८१९]
रक्षित तथा सहायक वायुसेना विधेयक—संयक्त समिति का प्रतिवेडदन प्रस्तुत करने की अवधि का विस्तार [पृष्ठ भाग ३८१९]
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक–धारा ४९७ का संशोधन–वापिस लिया गया [पृष्ठ भाग ३८१९—३८२७]

(मूल्य ६ आने)

471 PSD

अस्वस्थों का बन्ध्यीकरण विधेयक—विचार किया जाने का प्रस्ताव—अस्वीकृत [पृष्ठ भाग ३८२७–३८४८]

हाथ करघे के कपड़े का निर्यात नियंत्रण तथा प्रमापीकरण विधयक—विचार किया जाने का प्रस्ताव—प्रस्तुत नहीं किया गया [पृष्ठ भाग ३८४८]

मुस्लिम वक्फ़ विधेयक—परिचालित [पृष्ठ भाग ३८४८—३८५२]

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक–धारा ३०२ का संशोधन—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापिस लिया गया [पृष्ठ भाग ३८५२—३८६२]

भारताय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—विचार किया जाने के प्रस्ताव की चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग ३८६२—३८६४]

सिंगारनी कोयला खदानों में दुर्घटना [पृष्ठ भाग ३८६४—३८७२]

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक — संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग ३८७२]

परमावश्यक प्रदाय (अस्थाई अधिकार) संशोधन विधयक—राज्य परिषद द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया [पृष्ठ भाग ३८७३—३८७६]

लोक सभा

बुधवार, ३० जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-२६ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

आसाम में बाढ

अध्यक्ष महोदय : आज सवेरे एक अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देते समय योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने जो निवेदन किया है उससे प्रगट होता है कि आसाम की बाढ़ के विषय में जो कुछ करना अपेक्षित था वह किया गया है। अतः यह स्थगन प्रस्ताव आवश्यक है।

स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक **जनाब अमजद अली** (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) द्वारा प्रस्ताव वापस लेने की इच्छा प्रगट किये जाने पर इस विषय का समापन हुआ।

राज्य-परिषद् से संदेश

अध्यक्ष महोदय : अब सचिव राज्य-परिषद् से आये हुए संदेश पढ़ कर सुनाएंगे।

सचिव : श्रीमान्, राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त दो निम्नलिखित संदेशों की सूचना मुझ देनी है :

"(१) राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के १२५ वें नियम के उपबन्धों के अनुसार, मुझे आपको सूचित करने का निदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद् ने २९ जुलाई, १९५२ की अपनी बैठक में भारतीय समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५२, को जिसे लोक सभा ने १७ जुलाई, १९५२ की अपनी बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के ९७ वें नियम के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्यपरिषद् ने २९ जुलाई, १९५२ की अपनी बैठक में पारित किये गये राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय (संशोधन) विधेयक, १९५२, की प्रतिलिपि साथ में भेजने का निदेश दिया है।

राष्ट्रीय छात्रसना निकाय (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य-परिषद् द्वारा पारित राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय (संशोधन) विधेयक, १९५२, को सदन पटल पर रखता हूं।

पटल पर रखा गया पत्र

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि पटल पर रखी, जिसके विषय में श्री **पी० एन० राजभोज** (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे किन्तु **अध्यक्ष महोदय** ने उन्हें प्रथम विवरण पढ़ लेने को कहा।

रक्षित तथा सहायक वायु सेना विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि का विस्तार

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "वायुसेना के कुछ रक्षित दलों के तथा सहायक दलों के गठन एवं विनियमन के प्रबन्ध तथा सम्बद्ध मामलों के विधयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवदन प्रस्तुत करने के लिये जो अवधि निश्चित की गई थी वह शुक्रवार, ता० १ अगस्त, १९५२ तक बढ़ा दी जाय।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

धारा ४९७ का संशोधन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को चर्चा के कार्यक्रम का स्मरण दिलाया और श्री दाभी को अपना विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "भारतीय दंड विधान, १८६०, का अग्रतर संशोधन (धारा ४९७ का संशोधन) करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

भारतीय दंड विधान की धारा ४९७ के अंतर्गत व्यभिचार के अपराध की परिभाषा तथा उनके दंड का प्रबन्ध किया है। इस धारा के अनुसार पर-पत्नी से अनुचित सम्बन्ध रखने वाले पुरुष को अपराधी कहा है। किन्तु इस धारा का अन्तिम वाक्य इस प्रकार है : ऐसे मामले में फंसी हुई पत्नी बहकाने के अपराध में दण्डनीय नहीं होगी।

मैं अपने विधेयक द्वारा धारा ४९७ का अन्तिम वाक्य हटाना चाहता हूं। इससे व्यभिचारी स्त्री एवं पुरुष दोनों ही दण्डनीय होंगे। यदि अनुचित सम्बन्ध में स्त्री की सहमति नहीं है तो वह अपराध बलात्कार कहलाएगा न कि व्यभिचार। यदि अनुचित सम्बन्ध में स्त्री की सहमति है तो उसको अपराध से मुक्ति क्यों मिलनी चाहिये ?

भारतीय दण्ड विधान के निर्माताओं ने इसका समर्थन करने के लिये भारत में प्रचलित बहुपत्नीत्व की ओर निर्देश किया है तथा स्त्रियों की कठिनाइयों का वर्णन किया है। परन्तु ये विचार भारतीय आदर्शों से सुसंगत नहीं हैं।

जिस समय भारतीय दण्ड विधान का निर्माण हुआ तब से परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। जनानों का जमाना नष्ट हुआ है। ईसाइयों तथा पारसियों में बहुपत्नीत्व है ही नहीं। हिंदू तथा मुसलमानों में भी यह चीज पीछे पड़ रही है।

और भी एक बात का विचार होना चाहिये। यह धारणा गलत है कि व्यभिचार

के मामले में पुरुष सर्वदा आक्रमक रहता है तथा, स्त्री केवल निष्क्रिय सहभागी रहती हैं। स्त्री अपने अभिनयों से पुरुष के चित को ललचाती हैं। ईव्ह, क्लिओपात्रा, पिंगला, आदि की कथायें क्या बतलाती हैं? मेरे एक मित्र के पड़ोसी की पत्नी रात में बड़े देर तक बाहर रहती थी परन्तु उस बेचारे को चुप रहना पड़ता था।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनलवेली) ने इस समय औचित्य प्रश्न उठाया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य व्यभिचार के अपराध में स्त्री तथा पुरुष वर्ग को समान भूमिका पर रखना चाहते हैं इसलिए उन का स्त्री वर्ग के बारे में चर्चा करना प्रासंगिक है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस विषय के विस्तृत वर्णन में हम प्रवेश न करें चाहे कितना ही वह मनोरंजक हो। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है अभिरुचि का है।

श्री दाभी: बम्बई राज्य में द्विपत्नीकरण पर रोक लगाने के हेतु विधि बनायी गयी है। इस गतिविधि से प्रकट है कि जिस समय भारत दंड विधान निर्माण हुआ तब से परिस्थिति बहुत बदल चुकी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ तथा १५ के अनुसार नागरिकों में किसी प्रकार का विभेद करना अमान्य किया है। इन अनुच्छेदों में अभिप्रेत भावना से भारतीय दण्ड विधान की धारा ४९७ विसंगत है। कदाचित वह संविधान की शक्ति के परे भी साबित हो सकती है।

वर्तमान काल में जब स्त्रियां समान हक्क के नारे लगा रही हैं, खास कर स्त्रियों को ऐसे विभेदात्मक बर्ताव का समर्थन नहीं करना चाहिये। श्रीमान् इन सब बातों का विचार करते हुए मैं भारतीय दण्ड विधान की धारा ४९७ का अन्तिम वाक्य हटाना चाहता हूं।

यदि सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये विधयक को परिचालित करने की सदन की इच्छा हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "अक्तूबर १९५२ के अन्त तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये यह विधेयक परिचालित किया जायेगा।"

सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के बुनियादी सिद्धांत का विरोधी नहीं हूं किंतु यह केवल कानूनी सवाल नहीं है। यह एक सामाजिक समस्या है। जब स्त्रियां नम्र, परवश तथा पराधीन थीं। तब यह विभेदात्मक धारा बनायी गई। उसे बदलने के पहिले हमें देखना चाहिए कि क्या सचमुच समाज में सुधार हुआ है।

अब मैं मेरे माननीय मित्र श्री दाभी द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्ति की चर्चा करूंगा। उनका कहना है कि यह धारा संविधान की शक्ति के परे है। अपने कथन का समर्थन करते हुए उन्होंने जिस अनुच्छेद १५ का निर्देश किया है उसी अनुच्छेद के खण्ड ३ में कहा है:

> "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों

[श्री एन० सोमना]

के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी ।"

अतः यह स्पष्ट है कि यदि सिद्धांत को सीमित करने वाली परिस्थिति समाज में उपलब्ध है तो विभेदात्मक विधि बनाना यह हमारा कर्तव्य हो जाता है । चिरंजी लाल विरुद्ध भारतीय संघ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने भी इसी मत का पुरस्कार किया है । अतः मेरा नम्र निवेदन है कि यह धारा संविधान की भावना से उतनी विसंगत नहीं है जितनी कि मेरे माननीय मित्र बताना चाहते हैं ।

इस सम्बन्ध नें केवल शहरों की ओर देखने से काम नहीं होगा किन्तु देहातों का विचार करना भी आवश्यक है । वहां की स्त्रियां परवशता के पाश में जकड़ी हुई हैं । धन का मोह तथा शक्ति का दबाव उन्हें पुरुषों की वासना के वश में होने पर विवश करता है । यह एक लज्जास्पद तथ्य है कि इस दिशा में हम कोई सुधार नही कर पायें हैं ।

१० म० पू०

मेरे माननीय मित्र ने द्विपत्नीकरण तथा तलाक विषयक विधियों का निर्देश किया था ये सारे प्रश्न वादग्रस्त तथा विचाराधीन हैं । ऐसी अवस्था में यह विशिष्ट विधेयक पारित करना असामयिक होगा । मैंने पहिले ही कहा है कि यह केवल कानूनी सवाल नहीं है किन्तु सामाजिक सुधार की समस्या है । इस विषय में देश भर के लोगों की सम्मति जानना उचित होगा । मेरा नम्र निवेदन है कि सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये यह विधेयक परिचालित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय । संशोधन प्रस्तुत हुआ :

"अक्तूबर, १९५२ के अन्त तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये यह विधेयक संचालित किया जायेगा ।"

श्रीमती जयश्री (बम्बई–उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हू :

"नवम्बर, १९५२ के अन्त तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये यह विधेयक संचालित किया जायेगा ।"

श्रीमान्, मैं इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक को धन्यवाद देती हू कि उन्होंने श्री सोमना तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधनों में से किसी एक को स्वीकार किया है ।

इस विधेयक में ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिस में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के बराबर है । परन्तु वस्तुस्थिति क्या है ? अभी भी कन्यादान एक धार्मिक विधि मानी जाती है जिस से यह प्रकट होता है कि स्त्री का स्थान निजी सम्पत्ति के बराबर है । जहां बहुपत्नीकरण, दहेज, बालविवाह तथा जठरविवाह जैसी रूढ़ियां प्रचलित हैं वहां क्या यह अपेक्षा न्यायोचित है कि स्त्रियों की प्रतिनिष्ठा अंचल हो ?

विद्यमान सामाजिक नीति द्विमुखी है । उसके अनुसार स्त्रियों के आचरण को कड़ी कसौटी लगायी जाती है किन्तु भ्रमरवृत्ति के पुरुष के स्वैराचार पर कोई विशेष सामाजिक अंकुश नहीं है । यह परिस्थिति प्रथम बदलनी चाहिये । प्रथम स्त्रियों को आर्थिक स्वातंत्र्य मिलना चाहिये । बाद में विधि बदली जा सकती है ।

दे माननीय सदस्य ने संशोधन स्वीकृत

किया है फिर भी मैं उन से प्रार्थना करती हूं कि वे स्त्रियों के विषय में अधिक उदारता का परिचय दें तथा यह विधेयक वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं विधेयक के माननीय सदस्य को यह पूछूं कि विद्यमान दंड विधान के अनुसार क्या पत्नी अपने पति पर दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार का आरोप लगा सकती है ?

अनेक सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अथवा अन्य स्त्री पर जिसने कि उसके पति को पापप्रवृत्त किया ? हां, तो यहां भी विभेद है। क्या हम केवल एक ही विभेद हटाने जा रहे हैं ?

अस्तु, अब मैं यह दूसरा संशोधन सदन के सामने रखता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "नवंबर, १९५२ के अन्त तक सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिये यह विधेयक संचालित किया जायेगा।"

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का तथा संशोधनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय प्रस्तावक की सदिच्छा से अवश्य प्रभावित हुआ किन्तु उनके तर्क से नहीं। भारतीय दंड विधान के निर्माताओं ने इस धारा का समर्थन करते हुए जो बातें लिखी हैं उनका अन्तिम भाग माननीय सदस्य ने, न जाने क्यों, उद्धृत नहीं किया। उसमें उन्होंने बहुत विवेकपूर्ण बातें कही हैं। यहां के लोगों के रीतियों में जड़ पकड़ी हुई बहुपत्नीकरण जैसी दुष्टताओं को बिधि के दंडे से नहीं हटाना चाहिये। शिक्षण तथा समय की धीमी चाल से ही इष्ट फल प्राप्त होगा। भारतीय नारियों की कष्टदायक दशा पर दंड-विधि का बोझ डाल कर उसे और उदास नहीं बनाना चाहिये। इन विवेक पूर्ण बातों पर सदन के सदस्यों को गम्भीरता मे विचार करना चाहिये।

भारतीय दंड विधान बनाने के बाद परिस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। बम्बई में बहुपत्नीकरण का प्रतिषेध किया गया होगा परन्तु बम्बई भारत का केवल एक भाग है। बहुपत्नीकरण हिन्दुओं में प्रचलित है तथा मुसलमानों में भी व्यवहारिक है। ईसाइयों तथा पारसियों का निर्देश करने से कोई लाभ नहीं क्योंकि उनकी संख्या अति अल्प है।

व्यभिचार के मामलों में बहुधा क्या होता है ? पत्नी के साथ दुर्व्यवहार अथवा निर्दयता, पत्नी का त्याग, पति का दुराचरण तथा वेश्यागमन, आदि कारणों से ही सामान्यत : व्यभिचार के मामले उठते है। ऐसी अभागिनी नारियों को हमारे प्राचीन ऋसियों ने भी अधिक संरक्षण दिया था। कौटिल्य ने अपने 'अर्थ शास्त्र' में जो विधियां बनायी हैं वे स्त्रियों के विषय में मनुस्मृति से अधिक उदारतापुर्ण हैं। इन सब बातों का विचार करते हुए यह विधेयक स्वीकृत करना अनुचित होगा। अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री दाभी : मेरे मित्रों की इच्छा का आदर करते हुए मैं अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

> "विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जायेगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ऑनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : श्रीमान्, मैं ने विधेयक वापस लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। अतः क्या अब विधेयक वापस लेने की अनुमति देना नियमानुसार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य की विरोधी अवाज मैंने नहीं सुनी थी यह नियम कि सारे सदन की सम्मति बिना कोई प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता, विधेयक वापस लेने की अनुमति पर नहीं लागू होता। यह अनुमति बहुमत से दी जा सकती है।

अस्वस्थों का वन्ध्यीकरण विधेयक

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कुछ विशिष्ट प्रकारों के व्यक्तियों द्वारा अनिष्ट शारीरिक तथा मानसिक प्रकृति के मनुष्यों का प्रजनन रोकने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

यह विधेयक कुछ विलक्षण सा है तथा विवाद्य भी है। इस में केवल ९ खंड हैं। खंड २ (५) सब से महत्वपूर्ण है। उस में अस्वस्थ का लक्षण इस प्रकार किया है :

> "'अस्वस्थ' का अर्थ होगा कोई व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष, जो आनुवंशिक अथवा अन्य कुष्टरोग, उपदंश, पागलपन अथवा क्षीणता से पीडित हो तथा जिसका वन्ध्यीकरण किये बिना अपनी जैसी सन्तति को जन्म देना संभव हो।"

समाज का दीर्घकालीन स्वास्थ्य तथा कल्याण साधने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। इस विधेयक को प्रभावी करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। खंड ३ में एक पर्षद् का गठन करने की रीति बतायी गयी है। किसी अस्वस्थ व्यक्ति की इस पर्षद द्वारा परीक्षा की जाने के बाद ही उस के विषय में निर्णय किया जायेगा। कोई व्यक्ति इस पर्षद् को सूचित कर सकेगा कि विशिष्ट व्यक्ति खंड २ (५) के अनुसार अस्वस्थ है।

श्री घुलेकर (जिला झांसी-दक्षिण) : आन एप्वाइन्ट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न है) इस भवन की गैलरिज में बहुत स्त्रियां और बच्चे बैठे हुए हैं। यह बिल (विधेयक) इस प्रकार का है, कि इस के डिस्कशन (चर्चा) को सब को नहीं सुनना चाहिये। इस लिये में प्रार्थना करूंगा कि आज विजिटर्स (दर्शक) यहां से हटा दिये जायें, यह ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में औचित्य का प्रश्न नहीं उठता। आधुनिक काल में इस विषय के बारे में हर एक को जानना चाहिये कि क्या क्या हो रहा है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : सम्बन्धित व्यक्ति को न्यायालय के मार्फत २१ दिन की पूर्वसूचना दी जायेगी कि वह पर्षद् के सामने उपस्थित हो। वह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ तो पुलीस के मार्फत उस को परीक्षा के लिये हाजिर कराने का अधिकार पर्षद को दिया गया है। खंड ५ के अनुसार पर्षद बहुमत से सम्बन्धित व्यक्ति को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

खंड ७ अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर सरलता से आघात नहीं किया गया है। परीक्षा के पहले तथा

परिक्षा के बाद अपील की गुंजा श रखी गई है।

खंड ८ भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत द्वेष के फलस्वरूप इस प्रक्रिया का दुरुपयोग न किये जाने का प्रबन्ध इस खंड द्वा किया गया है। कुत्सित भावना से प्रेरित होकर यदि किसी का नाम पर्षद् के सामने भेजा गया हो तो भजन वाला व्यक्ति ५०० रुपय जुर्माने का भागी होता है।

अन्त में खंड ९ है जिस में सरकार को कार्यवाही की व्यापक शक्ति दी गई है। अब मैं वन्ध्यीकरण के स्वरूप विशद करन के हेतु शारीरिक, दैहिक तथा शल्य शास्त्र के कुछ अंगों पर प्रकाश डालना चाहूंगा ताकि सदस्यों के मन में कोई भ्रम न रहे। वन्ध्यीकरण के लिये जननग्रंथि पर हलकी सी शस्त्रक्रिया करनी पड़ती है जो साधारण अवस्था में साधारण तथा स्वस्थ व्यक्ति भी आजकल करवा लेते हैं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान इस विधेयक में पर्षद् के गठन का उपबन्ध है जिस के लिये कुछ व्यय करना होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विधेयक के लिये अध्यक्ष महोदय की अनुमति ली गई है?

श्री एस० वी० रामास्वामी: पर्षद् में जिले के सरकारी वैद्यकीय तथा अन्य अधिकारी सम्मित हैं जिन के लिये पृथक व्यय की आवश्यकता नहीं है। अतः परिच्छेद ११७ के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब विधेयक के प्रस्तावक यह कहते हैं कि उसको प्रभावी करन के लिये पृथक व्यय की आवश्यकता नहीं है तो मैं विधेयक को नियमबाह्य नहीं घोषित कर सकता।

सरदार हुक्म सिंह: किन्तु पर्षद के सरकारी सदस्यों का समय तो खर्च होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: जो काम वे चिकित्सालय में करते हैं वही वे अन्यत्र करेंगे। प्रथम दृष्टया यह ऐसी बात नहीं जिसके कारण मैं विधयक को नियमबाह्य घोषित करू। **(अन्तर्बाधा)**

श्री एस० वी० रामास्वामी: श्रीमान् जानग्रंथि की यह शस्त्रक्रिया बिलकुल सीधी साधी होती है। कोई मध्यवर्गीय लोक कुटुम्ब नियोजम के हेतु स्वयं प्रेरणा से यह शस्त्रक्रिया करवा लेते हैं। स्त्रियों का भी वन्ध्यीकरण हो सकता है किन्तु वह शस्त्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है।

मैं चार आधारों पर इस उपाय का समर्थन करता हूं। सुप्रजनन शास्त्र, सामाजिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति तथा धर्म शास्त्र और अन्तिमतः अर्थशास्त्र ये हैं वे चार आधार सुप्रजनन शास्त्र यह कोई नयी वस्तु नहीं। प्राचीन यूनान में, स्पार्ता तथा अथन्स में उसका प्रयोग होता था।

श्री धुलेकर: स्पार्ता जीवित है या मृत? इस उपाय का प्रयोग करने कारण ही उन का नाम निशान मिट गया।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना अपना अनुमान लगा सकते हैं किन्तु तथ्यों को प्रस्तुत करने दिया जाय।

श्री एस० वी० रामास्वामी: दी लाईफ आफ ग्रीस, के लेखक विल डयरट के कथनानुसार सुप्रजनन शास्त्र के दो अंग

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

होते हैं। एक क्रियात्मक तथा दूसरा प्रतिरोधक। क्रियात्मक उपायों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। क्योंकि वह अश्लील तथा असभ्य होगी। इस विधेयक में केवल प्रतिरोधक उपायों का विचार किया है।

'दी साईन्स आफ लाईफ' के लेखक एच० जी० वेल्स लिखते हैं कि अटलांटिक तटीय जनसमुदायों में प्रतिरोधक सुप्रजनन शास्त्र की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि मानवी व्यवहारों में नैसर्कि जीवन कलह की कसौटी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आज इंगलिस्तान की प्रजा के हर १० लाख व्यक्तियों में लगभग १ लाख व्यक्ति अस्वस्थ प्रमाणित किये जा सकतें हैं। एक विशिष्ट स्तर के नीचे के लोगों की प्रजनन शक्ति नष्ट करना तथा श्रेष्ठ गुणशाली लोगों की पैदाइश बढ़ाना यही मानवी दुःख परिहार का एकमेव मार्ग है।

'मैरेज एण्ड मोरल्स' के लेखक बर्ट्रन्ड रसेल लिखते हैं कि 'इस उपाय के परिणाम-स्वरूप सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का भय है। फिर भी हमें इस धोके का सामना करना चाहिये। क्योंकि इसी प्रक्रिया से पागल क्षीण तथा विकृतचित्त व्यक्तियों की संख्या घटाई जा सकती है।'

संयुक्त राज्य अमरीका के ४८ राज्यों में से २८ राज्यों ने अस्वस्थों के वन्ध्यीकरण के अधिनियम बनाये हैं। उन में से इडाहो राज्य का अधिनियम अति व्यापक है। सोवियत व्यवहार प्रक्रिया में भी सुप्रजनन का प्रवन्ध किया है किन्तु वह इतना कड़ा नहीं है। वहां विकृतचित्त तथा पागल व्यक्तियों के विवाह को अनुज्ञा नहीं दी जाती तथा विवाहेच्छु धधूवरों से इस विषय में प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। डैनमार्क तथा स्वीडन में भी इस प्रकार की विधियां हैं। तात्पर्य यह है कि यह विधेयक विश्व में विलक्षण नहीं है।

मैं सामाजिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अन्य रोगों की जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई किन्तु कुष्ठ रोगियों के आंकड़े मेरे पास हैं। भारत सरकार के प्रतिवेदनानुसार सन् १९४७ में ओरिसा छोड़कर शेष-भारत में २ लाख ४० हज़ार कुष्ठ रोगी थे। कुष्ठ रोगियों की सहायता के लिये आयव्ययक में केवल ३ लाख रुपयों की गुंजाइश रखी है। उतने ही रुपये संतति नियमन की रिद्म मेथड (ताल रीति) पर खर्च होने जा रहे हैं जिसमें कि ताल भी नहीं है और न रीति। अन्य रोगियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होगी।

नैतिक तथा धार्मिक पहलुओं का विचार करने के पहिले मैं विरोधियों के संभाव्य तर्कों का उत्तर दूंगा। इस विधेयक पर यह आक्षेप किया जायेगा कि उससे व्यक्ति स्वातन्त्र के अधिकार का गम्भीर अतिक्रम होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि संविधान में मूलभूत अधिकारों की जो सूची दी गई है उसमें जननाधिकार प्रविष्ट नहीं है। वैसे तो जब हम किसी राज्य में जन्म लेते हैं तब से ही हम कुछ न कुछ व्यक्ति स्वातन्त्र्य खो बैठते हैं। बच्चे का जन्म होने के बाद चार अथवा पांच महीने के अन्दर उसे माता का टीका लगाना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को

सांसर्गिक रोग हो जाता है तो नगर-पालिका उसे जबरदस्ती अलग चिकित्सालय में रख देती है। इसी तरह प्रस्तुत विषय में व्यक्ति स्वातन्त्र्य को सीमित करना निन्दनीय नहीं है।

और एक आक्षेप यह लगाया जा सकता है कि इस विधेयक द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग होगा। यह धोका हिटलर की जर्मनी में अथवा दक्षिण अफ्रीका में हो सकता है। हम किसी राजनैतिक उद्देश्य से वन्ध्यीकरण करने नहीं जा रहे हैं। समाज का सुधार तथा कल्याण यही हमारा एकमेव लक्ष्य है।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : इन सब अस्वस्थ्य व्यक्तियों को अरब सागर में फेंक दो।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अन्य उपाय है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): क्या माननीय सदस्य कुष्ठरोग तथा पागलपन को आनुवंशिक समझते हैं ?

श्री एस० वी० रामास्वामी : कुष्ठरोग की आनुवंशिकता वादग्रस्त है किन्तु पागलपन तथा क्षीणता के विषय में मैं विशेषज्ञों का हवाला देकर कह सकता हूं कि वे आनुवंशिक हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद (अजमेर उत्तर) : क्या खल्वाट भी एक अवांछित रोग है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हम यहां गम्भीर उद्देश्य के लिये एकत्रित हुए हैं अतः एक दूसरे पर छींटा कशी न करें।

१२ मध्याह्न

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : सभापति महोदय का आदर करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक स्वयं गम्भीर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक गम्भीर है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : अस्वस्थ व्यक्तियों को अनियन्त्रित जननस्वातन्त्र्य देकर धरती पर गन्दगी तथा दुःख फैलाना इष्ट नहीं है। इसी भावना से मैं यह विधेयक सदन के सामने विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम० डी० रामास्वामी इस विधेयक को संशोधित करना चाहते हैं। माननीय सदस्य प्रथम संशोधन प्रस्तुत करेंगे और बाद में भाषण देंगे।

श्री एम० डी० रामास्वामी (अरुप्पुक्कोटाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिए यह विधेयक संचालित किया जायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी तिथि तक ? तिथि निश्चित करना आवश्यक है।

श्री एम० डी० रामास्वामी : ३१ अक्तूबर, १९५२ तक। सुशिक्षित तथा प्रगतिवादी लोग राष्ट्रहित के हेतु इस विधेयक की आवश्यकता मान लेंगे। परन्तु साधारण जनता में ऐसे लोगों का प्रमाण अत्यल्प है। अनियंत्रित प्रजावृद्धि को रोकने के हेतु वन्ध्यीकरण तथा संतति नियमन का सुझाव जब इसके पहिले किया गया था तो उसके विरोध में जनमत के बादल खड़े हुए। इस लिए यह आवश्यक है कि जिन लोगों द्वारा धर्म अथवा भावना के आधार पर इस विधेयक का विरोध होने की सम्भावना हो, उनकी सम्मति प्रथम जान ली जाय।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री धुलेकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल (विधेयक) मेरे मित्र ने पेश किया है उस के सम्बन्ध में.....

श्री एस० वी० रामास्वामी: क्या मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूं कि वे अंग्रेज़ी में बोलें ?

श्री धुलेकर: मैं अपने मित्र से इस बात को कहता हूं कि जो कुछ मैं बोलूंगा वह आप समझ सकेंगे इस प्रकार बोलूगा। आप ने आबजैक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्य तथा कारणों) में जो बात लिखी है उसी के लिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि वह चीज़ बिल्कुल सिद्ध नहीं है.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया अध्यक्ष को संबोधित करें।

श्री धुलेकर: मैं माफी चाहता हूं। मैं आप के द्वारा अपने मित्र से यह कहना चाहता हू कि जो कुछ कि बात मैं यहां पर कहूंगा वह ऐसी भाषा में कहूंगा कि जिस से वह पूरे तौर से समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं। उन्हों ने आबजैक्ट्स एंड रीजन्स में यह कहा है :

> "यह एक सामाजिक दुर्घटना है कि कुष्ठरोगी, उपदंशग्रस्त लोग, पागल, विकृतचित, तथा तल्सम लोगों को बच्चे पैदा करने की अनुज्ञा दी जाती है। स्वयं उनका जीवन दुःखपूर्ण होता है। समाज के व्यापक कल्याण के हेतु उन्हें बढ़ने की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिये।"

'दैमसेल्व्ज' (उन्हें) का अर्थ यह होता है कि यदि कोई पागल मनुष्य हो तो उस को हमेशा पागल बच्चा होता है, अगर कोई सिफिलिटिक (उपदंशग्रस्त) आदमी हो तो उस का जो बच्चा पैदा होता है वह सिफिलिटिक होता है, अगर कोई मनुष्य लैपर (कुष्ठरोगी) हो तो उस का बच्चा लैपर होता है। मैं आप के द्वारा अपने मित्र से यह कहना चाहता हूं कि जो माडर्न मैडीकल साइन्स (आधुनिक वैद्यकीय विज्ञान) है जहां तक उस की पहुंच है उस ने इन चीज़ों को बिल्कुल डिस्प्रूव (खंडन) कर दिया है और यह कहा है कि यह बात तो हो सकती है कि यदि घर में इस प्रकार का वातावरण हो कि जिस से एक की बिमारी दूसरे को लग जाय, तब तो यह बात हो सकती है, लेकिन यह कदापि सिद्ध नहीं माना जा सकता है मैडिकल साइन्स के द्वारा कि सिफिलिटिक आदमी का बच्चा भी सिफिलिटिक होगा। यह दूसरी बात है कि बहुत खोज की जाय और यह बात कही जाय कि उस की दूसरी या तीसरी या चौथी पुश्त में कोई मनुष्य सिफिलिटिक था। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय करना बात को बहुत दूर तक खींचना होगा। मैं तो यह समझता हूँ कि मेरे मित्र ने बाहर की बहुत चीज़ें पढ़ी और देखी भी हैं, जब उन से और मुझसे एक मर्तबा बातचीत हुई थी तो उन्हो ने यह ख्याल भी ज़ाहिर किया था कि अगर हमारे समाज को जिन्दा रहना है तो जो गरीब फैमिलीज़ में उन को राइट आफ ऐबारशन (गर्भपात का अधिकार) भी दे देना चाहिये और मेरे मित्र यह कहते थे कि वह ऐसा भी बिल हाउस के सामने लाना चाहते थ। वह उस बिल को नहीं लाये यह हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई क्योंकि भारत वर्ष में भ्रूण हत्या बड़ी भारी चीज़ मानी जाती हैं। कम से कम कुछ समय के लिये तो हम इस दोष से बच गय।

पहली बात इस बिल के सम्बन्ध में मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हाउस (सदन) के सामने कोई ऐसा डैटा नही रखा है जिस से कि जो चीज़ उन्हों ने कही है कि, सल्टीप्लाई

देमसेल्व्ज़ (उन्हें बढ़ने की) वह सिद्ध होती हो। यह एसी सिद्ध बात नहीं है कि जिस से हर एक मनुष्य यह समझ ले कि लैपर का लड़का लैपर होता है। अपनी इस बात के पक्ष में मैं एक बहुत बड़े आदमी का सबूत देना चाहता हूँ। मैं अपने मित्र से यह कहूँगा कि इस बात के ऊपर वह महात्मा गांधी का लेख पढ़े जिस में कि महात्मा गांधी ने यह कहा है कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि लैपर का लड़का लैपर होता है। इस से बढ़कर मैं और कोई शहादत उन के सामने पेश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे जो कभी अपनी लेखनी द्वारा ऐसी बात निकालते जब तक कि वह तमाम डाक्टरों और वैज्ञानिकों को बुला कर पूछ न लेते और जब तक उन के हृदय में वह बात न आ जाती। उन की लेखनी द्वारा यह बात निकली इस लिये मैं समझता हूँ कि उन्हों ने इस पर गौर किया होगा। कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि महात्मा जी ने सेवाग्राम में एक लैपर को भी रख छोड़ा था और उन को वह कभी कभी स्वयं भी औषधि लगाया करते थे।

जहां तक मैं समझता हूँ कुछ हद तक तो ऐसा हो सकता है कि छूने मात्र से लैपरासी (कुष्ठरोग) लग जाये लेकिन इसी के साथ मेरा आप से यह निवेदन है कि आज जो हिन्दुस्तान में लैपरासी बढ़ रही है इस का कारण एक दूसरे का स्पर्श नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लैपरासी उत्पन्न होने के कारण बूसरे हैं। मैं एक दम यह कहने के लिये तैयार नहीं हूँ कि स्पर्श से लैपरासी होती ही नहीं है बल्कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ अँश तक तो यह स्पर्श से हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि उस का दूसरा कारण यह है कि कुछ दिनों से भारतवर्ष में गोश्त खाने का रिवाज़ बढ़ता जाता है। हमारे भारत वर्ष में प्राचीन समय से अन्न पर बहुत ज़ोर दिया गया है और खाने के पदार्थों का विश्लेषण कर के यह कहा गया था कि यदि समाज सैकड़ों बीमारियों से बचना चाहता है तो उस को पवित्र अन्न खाना चाहिये लोग इस बात को कहेंग कि पीछे से पवित्र का अर्थ यह निकाला गया कि एक मनुष्य दूसरे का छुआ हुआ अन्न न खाये। मैं आप से निवेदन करूंगा कि उस हद तक तो मैं नहीं जाता कि जिस हद तक यह कहा जाय कि एक मनुष्य दूसरे का छुआ हुआ अन्न न खाये। लेकिन मैं यह ज़रूर बहुत ज़ोर से कहना चाहता हूं कि जहां तक वर्तमान होटल पद्धति है और सड़क के पास जो तमाम हज़ारों खाने की दुकानें जो रखे हुए हैं यहां का खाना हमारी बीमारियों को पैदा करने का ज़िम्मेवार है। श्रीमान् जी, आप यह समझते ही होंगे कि सड़कों के पास जो होटल रहते हैं उन होटलों के कीपर (स्वामी) बहुत गरीब हो है और वह अपने नौकरों को, अपने लड़कों को और अपने मददगारों को इतनी स्वच्छता से नहीं रख सकते जितनी स्वच्छता से कि मामूली मनुष्य अपने घर में रहता है। उन को तो जल्दी रहती है। अगर किसी ने कहा कि मुझे एक कप चाय देना या किसी ने कहा कि मुझे आध पाव मिठाई देना.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि कोई भी रोग आनुवंशिक नहीं है ?

श्री धुलेकर : इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हद तक मैं ने माडर्न साइन्स की पुस्तकें पढ़ी हैं और जिस हद तक आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ी हैं उन में, यह कहा गया है कि यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि अगर किसी बीमारी वाला पुरुष लड़का पैदा करेगा तो वह उसी प्रकार का पैदा करेगा जैसा स्वयं है। यह हो सकता है कि दो तीन पुश्त के बाद असर होता हो।

[श्री धुलेकर]

जैसा कि ब्लाइंडनैस (अन्धता) है। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि डालडा खाने से तीसरी पुश्त में बच्चे अंधे हो जायेंगे। कुछ लोग यह कहते हैं। मैं कह नहीं सकता कि तीसरी पुश्त के बाद क्या होगा लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं जब तक कोई साइंस इस बात को पूरे तौर से सिद्ध न कर दे कि जो इस बिल में लिखा है वह साबित हो सकता है, तब तक मैं इस को नहीं मान सकता।

मुझे ऐसे बहुत से लोगों का हाल मालूम है जो बिल्कुल पागल हथकड़ियों में बन्धे हुए १०-१० और १२-१२ वर्ष तक अपने मकान में रखे गये है, उन लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सुन्दर और दिमाग वाले होते हैं और मैंने साथ ही साथ यह भी देखा है कि बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान मनुष्यों के पागल लड़के होते हैं। हर एक आदमी आप देखेंगे कि जो पागलखाने जाता है उस का पिता कभी पागल नहीं था और न कभी वह पागलखाने गया। आप यह भी पायेंगे कि बड़े बड़े बुद्धिमान आदमियों के पागल बच्चे पैदा होते हैं और एक पागल आदमी के बुद्धिमान और दिमाग वाले बच्चे पैदा होते हैं। जब ऐसी हालत हो, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इस को ऐसे कर दें।

दूसरी बात जो मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रकार के कानून जब समाज के सामने रखे जाते हैं तो समाज बहक जाता है। मैं तो यह समझता हूं कि भारतवर्ष में प्राचीन समय से एक परंपरा चली आई है कि कानून के द्वारा सामाजिक व्यवस्था कभी चलाई नहीं गई है। अभी मेरे एक मित्र जो एक दूसरे विषय पर बोले, और उन्होंने मानव धर्म शास्त्र और कौटिल्य शास्त्र के बारे में कहा और उन के अलावा बहुत सी स्मृतियां हैं, उनमें आप यह देखेंगे यह सारे शास्त्र और स्मृतियों को हमेशा स्वतन्त्र साधू लोगों ने लिखा, कभी वह राज्य की तरफ से नहीं चलाई गई। किसी लेख में आप ऐसा नहीं पायेंगे जिस से पता चलता हो कि उन्हें राज्य ने चलाया हो। आप भारतवर्ष के किसी लेख में यह नहीं पायेंगे कि अमुक राज्य में यह स्मृति चला दी गई हो जिस प्रकार से यह इन्डियन पैनल कोड (भारत-दंड-संहिता) चलाया गया और जिस ने राज्य में उस के अनुसार काम न किया तो उस को सज़ा दी गई, स्मृतियों के बारे में कभी ऐसा नहीं रहा। याज्ञवलक्य स्मृति, मिताक्षरा और व्यवहार मयूषा यह सारी चीजें जैसे ला आफ अडाप्शन दत्तक विधान मैंने बहैसियत लायर (वकील) के खूब पढ़ा, लेकिन मैंने भारतवर्ष के इतिहास में यह कहीं नहीं देखा कि अमुक राज्य में कोई स्मृति कानून की तरह चलाई गई हो जैसे कि इन्डियन पैनल कोड चलता है। आप पायेंगे कि भारतवर्ष ने पूर्व में मानव समाज पर भरोसा किया है, उन की आत्मिकता पर भरोसा किया है। हिन्दू समाज में बड़ बड़ महात्मा लोग आये और उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रसार किया। हमारे सन्त महात्मा तुलसीदास ने रामायण लिख कर सीता और राम का आदर्श भारत-वासियों के सामने अनुकरण करने के लिये रख दिया। सीता को इसलिये खड़ा कर दिया कि हमारी नारी जाति सीता के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करे, उसी प्रकार से उन्होंने राम का आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया ताकि हमारा पुरुष समाज राम का अनुकरण करने की कोशिश करे। राम सीता को बाहर तो कर देते हैं लेकिन वह दूसरी पत्नी नहीं लेते हैं और एक पत्नीव्रत का आदर्श हमारे सामने रखते हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश ने इस बात पर अधिक ज़ोर

दिया है कि सामाजिक नियम जितने कम सरकार द्वारा लागू किये जायेंगे, उतना ही समाज ऊपर उठता है, और जितने ही अधिक समाज के ऊपर सामाजिक सुधार के कानून लागू किये जाते हैं उतना ही वह समाज नीचे गिरता है। यदि पहला बिल (विधेयक) मेरे सामने आता और मुझ को बोलने का मौका मिलता, तो श्रीमान्, मैं आप से निवेदन करता हूं कि अगर वह बिल कहीं पास हो गया होता, तो उसका क्या असर हुआ होता। यही होता कि इस देश में अमीर गुंडों का राज्य हो जाता, वह अपने मोहल्लों में गरीब स्त्रियों को बहुत से प्रेज़ेन्टस (चीज) और उत्तम वस्तुएं दे कर बहकाते और यदि कोई गरीब आदमी उसके विरुद्ध हो हल्ला करता तो पहली बात उसके सामने यह आती कि उस स्त्री को बचाने के लिये पहले उस स्त्री को सजा होगी और इस डर के कारण उस बेचारे का मुंह बन्द हो जाता। लेकिन सौभाग्यवश आज जो कानून है उसके अनुसार एक महिला की समाज में और मोहल्ले में रक्षा की जाती है, हर एक आदमी उसकी रक्षा के हेतु आंख से देखता रहता है और गुंडों को यह डर रहता है कि अगर उसने कहीं किसी स्त्री की तरफ बुरी नज़र उठाई तो वह जेलखाने भेज दिया जायेगा। लेकिन आज अगर वह बिल पास हो जाता तो स्त्री को भी उसमें सजा होती और इस तरह उस बिल का मकसद ही सारा खत्म हो जाता ठीक उसी प्रकार जैसे कि करप्शन (भ्रष्टाचार) का बिल हमारे सामने हाउस में आया और उस में यह विधान है कि जो आदमी रिश्वत देता है वह भी सजा पायेगा, इस तरह करप्शन करने की रजिस्ट्री हो गई और इस तरह करप्शन कभी खत्म नहीं हो पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कहीं भटक तो नहीं रहे ?

डा० एन० बी० खरे : विधेयक के विषय से असंबद्ध ह।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारी बाग पश्चिम) : उदाहरण दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उदाहरण भी प्रासंगिक होना चाहिये।

श्री धुलेकर : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस बिल को सामाजिक बिल समझता हूं, मैं इस को व्यवहारिक बिल नहीं समझता हूं। इसी तरह करप्शन यह एक मानसिक रोग है और यह अमीर, गरीब किसी में भेद नहीं मानता। माननीय राजकुमारी जी ने कहा था कि करप्शन हर वंश में नहीं होता, और डाक्टरों से पूछा जाय तो मालूम पड़ेगा कि यह भी एक रोग ही है जो समाज में फैला हुआ है। यह देखा गया है कि हज़ार रुपया मासिक पाने वाला भी रिश्वत लेता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि वह आदमी जो गरीब पांच रुपये पाता है वह रिश्वत नहीं लेता है। लेकिन इस से आप यह नतीजा नहीं निकाल सकते कि अमीर लोग रिश्वत लेते हैं, और गरीब रिश्वत नहीं लेते हैं, न ही आप यह कह सकते हैं कि अमीर लोग रिश्वत नहीं लेते और छोटी तनख्वाहों वाले लोग रिश्वत लेते हैं। रिश्वतखोरी और करप्शन ही तो एक मानसिक बीमारी है। मैं तो अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मेरे मित्र कोई इस तरह का स्टलाइज़ेशन आफ दी ब्रेन (बुद्धि का वन्ध्यीकरण) के लिए कोई इंजैक्शन (पिचकारी) निकाल सकें तो बहुत अच्छा हो जिस से हम लोगों को उस से इंजैक्ट कर के उन के ब्रेन्स को स्टर्लाइज कर दें ताकि आदमी करप्ट (भ्रष्ट) न हो सकें और वह रिश्वत न लें और सीधे साधे व्यवहार करें। इस लिये हमारे देश का हित इसी में है कि

[श्री धुलेकर]

कोई ऐसा ऐन्टी करप्शन इंजैक्शन निकाला जाय । इस से हमें बड़ी सुविधा होगी लेकिन आप ने इस तरह का जो बिल रक्खा है और उस में जो एक बोर्ड (पर्षद्) बनाया है और एक चेयरमैन (सभापति) रक्खा है, उस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे ? वह मैडिकल आफ़िसर आफ हैल्थ (स्वास्थ्य के वैद्यकीय अधिकारी) होंगे और उन के नीचे चार मैडिकल आफ़िसर्स होंगे, अब मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता लेकिन मेरे मित्र मेरे साथ चलें मैं उन को दिखला दूं कि यह मैडिकल मैन और बोर्ड के लोग अगर आप उन के सामने उन की फीस रख दीजिये तो चाहे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट पैन्शन (निवृति) लीव (रजा) या सुपरऐनुएशन (वार्धक्य) का आप उन से प्राप्त कर सकते हैं । मेरे पास इस-के पक्ष में कितने ही उदाहरण हैं कि जिन की वजह से तीन तीन चार चार प्राविन्शियल हैड्स (प्रान्तीय प्रमुख) इस लिये बैठ गये कि बोर्ड के सामने जब वह मामला पेश आया कि उस को सरकार पैन्शन दे कि नहीं दे, तो मैं ने देखा है कि वह अफ़सर आफिस में जाता है, क्लर्क के पास जा कर बोर्ड के मैडिकल मैन की फीस जमा कर देता है, उस के बाद बोर्ड के सामने वह पेश होता है तो उन की बोर्ड की जो ३२ रुपया फीस होती है वह उन को मिल जाती है और वह क्लर्क द्वारा जो उस को मैडिकल रिपोर्ट (वैद्यकीय प्रतिवेदन) का पेपर (पत्र) होता है उस पर वह अपना दस्तखत कर देता है, सारी परीक्षायें मूत्र, आंखों वह शरीर की ओ० के० (सब ठीक) कर देता है और वह बोर्ड उन से हाथ मिला कर के बहुत अच्छा है रायबहादुर साहिब और नवाब साहब कह कर घर आ जाते हैं । यह मेरा तजुर्बा है । अब श्रीमान् जी, आप सोचिये कि किसी खानदान में फर्ज़ कीजिये पांच लाख की प्रापर्टी (संपत्ति) है तो सारी प्रापर्टी हड़प करने के लिये बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए यह मशहूर कर देगा कि यह लड़का पागल है, अथवा इस को सिफिलिस या कोई और अन्य बीमारी है और जा कर रुपया दे कर डाक्टर से वह इस का सर्टिफिकेट लिखवा लेगा, और इस तरह सारी सम्पत्ति पर कब्जा कर के बैठ जायेगा, जब उस का भाई १७-१८ वर्ष का होगा, तब वह डाक्टरी सर्टिफिकेट बोर्ड के सामने पेश कर देगा और ४०-५० रुपये बोर्ड को दे देगा और बोर्ड उस भाई को स्टर्लाइज करने (वन्ध्यीकरण) का हुक्म दे देगा । इस तरह आप देखेंगे कि जायदाद बड़े भाई के खानदान में चलेगी और छोटा भाई इस तरह बेचारा खत्म कर दिया जायेगा और चन्द दिनों के बाद जैसा कि इस बिल में कहा गया है वह पागल डिक्लेयर (जाहिर) किया जा सकता है, इस बोर्ड के अख्त्यार में यह भी होगा कि वह उस को पागल डिक्लेयर कर दे । अभी तक तो यह है कि अगर कोई पागल हो, तो ज़िला मजिस्ट्रेट उस को गिरफ्तार कर के आबज़रवेशन (निरीक्षण) के लिए भेजता है, उस के रिश्तेदारों को यह हक़ हासिल है कि वह उस पागल को अगर चाहें तो दो साल अपने मकान में रख सकें और अगर वह पागल किसी को मारता पीटता नहीं है, तो वह सोसायटी के बाहर नहीं किया जाता और लोग अपने भाइयों और

लड़कों के लिये जो पागल हो जाते हैं उन के लिये हज़ारों रुपये लगा देते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा बिल के पास हो जाने से यह असर होगा कि पहले तो उस का बड़ा भाई डाक्टर से सर्टिफिकेट ले लेगा कि उसे अमुक कौनजीनिटिल (आनुवंशिक) बीमारी है और दूसरा सर्टिफिकेट बोर्ड से वह इस बात का प्राप्त कर लेगा कि वह पागल है और जब वह पागल करार दिया जायगा तो वह जायदाद से महरूम हो जायगा और स्टर्लाइज़ कर दिया जायगा और इस तरह बड़ा भाई छोटे भाई की जायदाद को भी अपने कब्ज में ले सकेगा।

मैं इसलिये अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो बिल्स हैं, मैं तो समझता हूं कि जितन सामाजिक बिल हैं, मैं आप को अपनी आत्मा स कहता हू कि यदि हम भारतवर्ष को ऊंचा करना चाहते हैं तो आप हम पर विश्वास करें, हमारे मनुष्यों पर विश्वास करें। हाउस आफ दी पीपुल (लोक सभा) के लोग बहुत बुलन्दी से काम करते हैं इन को भारतवर्ष में जाना चाहिये। और लोगों से कहना चाहिये कि तुम इतने ऊंचे उठो कि हम तुम्हारे लिये कोई सामाजिक व्यवस्था का बिल न लावें हम कोई ऐसा बिल नहीं लाना चाहते इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): श्रीमान्, मुझे खुशी है कि इस विषय पर सरकार का अभिप्राय समझाने के लिये आप ने मुझे कुछ क्षण दे दिये।

कुष्टरोग, उपदंश, पागलपन, तथा क्षीणता जैसे रोग देश से हटाने के बारे में यद्यपि मैं अत्यन्त व्याकुल हूं--उतना ही व्याकुल हूं जितना कि इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक हैं--फिर भी पूरे जोर से मैं कहना चाहती हूं कि अपेक्षित फल प्राप्त करने का यह मार्ग नहीं है। कुष्टरोग तथा उपदंश के विषय में दुनिया की किसी सरकार ने कानून नहीं बनाया। आधुनिक उपायों से उपदंश का निर्मूलन हो सकता है। उपदंशग्रस्त व्यक्ति का इक्का-दुक्का बच्चा भले ही उपदंश ग्रस्त निकले, किन्तु यह बात सिद्ध नहीं हुई है कि उसका प्रत्येक बच्चा वैसा ही होगा। कुष्टरोग के बारे में दुनिया की वैद्यकीय राय यही है कि वह रोग अनुवंशिक नहीं है। अनेक देशों में कुष्टरोग का नामनिशान मिटा दिया गया है और यदि मुझे वित्तीय साधन उपलब्ध हों तो मैं प्रत्याभूति देती हूं कि कुष्टरोगियों को अलग अथवा पृथक रख कर निश्चित समय के अन्दर मैं इस देश से भी कुष्टरोग का नामनिशान मिटा सकती हूं। अतः इन दो रोगों के विषय में वन्ध्यीकरण का प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

जहां तक पागलपन का सम्बन्ध है खन्ड २(५) में 'अस्वस्थ' का लक्षण इस प्रकार किया गया है। "कोई व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष, जो आनुवंशिक अथवा अन्य कुष्टरोग, उपदंश, पागलपन अथवा क्षीणता से पीड़ित हो तथा जिसका वन्ध्यीकरण किये बिना अपनी जैसी सन्तति को जन्म देना संभव हो।" अभी हम ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि यह निश्चय से कह सकें कि किस प्रकार की क्षीणता अथवा पागलपन भी आनुवंशिक है। सुप्रजनन शास्त्र एक महान् विज्ञान अवश्य है किन्तु उस की अभी इतनी प्रगति नहीं हुई कि उस के आधार पर कोई डाक्टर यह कह

[राजकुमारी अमृत कौर]

सके कि आज किसी आदमी की तर्कशक्ति लुप्त हो गई है इसलिये उसका बच्चा पागल होगा ही। अतः मैं नहीं सोचती कि सारी उपलब्ध वैद्यकीय गवेषणा को देखते हुए, यह विधेयक आवश्यक है। किसी स्त्री या पुरुष का वन्ध्यीकरण यह एक गम्भीर बात है। किसी सरकार को ऐसे मामलों में जबरदस्ती का सहारा लेने की बात सोचनी भी नहीं चाहिये जब तक किसी चीज़ के दुष्परिणाम बिलकुल निश्चित न हो जायं। और यह भी हो सकता है कि प्रस्तावक द्वारा सुझाये गए पर्षदों में अननुभवी व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाये। उन के निर्णय अन्तिम नहीं होंगे। उन को न्यायालयों में जाना होगा जहां निश्चय ही केवल कानूनी चर्चा नहीं होगी। विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ेगी। इस काम के लिये सरकारी प्रशासन-यंत्र उपलब्ध नहीं रहेगा और मैं उन का कहना नहीं मान सकती कि इस विधेयक को विधि में परिणित करने के फलस्वरूप कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं तथा यह दुहराना चाहती हूं कि माननीय प्रस्तावक जिस उद्देश्य की परिपूर्ति चाहते हैं वह प्राप्त करने के अन्य मार्ग उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने कहा है, मैं भी इस देश से अनेक बुराइयां हटाना चाहती हूं किन्तु वित्तीय, व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विधेयक पूर्णतया अस्वीकार्य है और मैं प्रस्तावक से कहूंगी कि वे अपना विधेयक वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तुरन्त यह प्रस्ताव सदन के सामने रखूंगा क्योंकि माननीय सदस्य उसको वापस नहीं लेना चाहते हैं—प्रथम परिचालित करने का संशोधन तथा तदनन्तर विचार करने का प्रस्ताव।

संशोधन प्रस्तुत तथा अस्वीकृत हुआ।

बाद में प्रस्ताव प्रस्तुत तथा अस्वीकृत हुआ।

हाथ करघे के कपड़े का निर्यात, नियंत्रण तथा प्रमापीकरण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन अगला विधेयक लेगा। श्री रामस्वामी। इस विधेयक के सम्बन्ध में एक अड़चन दिखती है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : वित्तीय दायित्व के आधार पर संविधान के परिच्छेद ११७ के अधीन आपत्ति उठ सकती है। किन्तु इस में मुद्रांक फ़ीस का प्रबन्ध है जिस से पर्षद का खर्च निभाया जा सकता है। अतः भारत की संचित निधि से किसी खर्च की आवश्यकता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु किसी तौर-तरीके से कराधान करने के प्रस्ताव को भी राष्ट्रपति की अनुमति अथवा अध्यक्ष की अनुज्ञा आवश्यक है। माननीय सदस्य मंजूरी के लिये कभी भी राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकते हैं। अतः विधेयक लम्बित रहेगा।

वह प्रस्तुत नहीं हुआ।

मुस्लिम वक्फ़ विधेयक

श्री काजमी (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "भारत में मुस्लिम वक्फों के संचालन तथा प्रशासन में तथा मुतावलियों द्वारा उन के संचालन के अधीक्षण में सुधार करने के हेतु

प्रस्तुत यह विधेयक नवम्बर, १९५२ के अन्त सक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये परिचालित किया जायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में सरकार का अभिप्राय क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर): सरकार परिचालन प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रही है।

श्री काजमी : मुस्लिम वक्फों की अव्यवस्था की बात सर्वश्रुत है तथा उस के विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसे अनेक वक्फ मालूम हैं जिनके पास अपार संपत्ति है तथा जिनकी आमदनी से मुतावलियों द्वारा मनमाना खर्च होता है। इस धार्मिक संपत्ति का अपव्यय करने की अनेक साजिशें प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में इस विषय में विधियां पहिले से ही अस्तित्व में हैं। सब वक्फों की कार्यवाहियों का समन्वय के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"भारत में मुस्लिम वक्फों के संचालन तथा प्रशासन में तथा मुतावलियों द्वारा उनके संचालन के अधीक्षण में सुधार करने के हेतु प्रस्तुत यह विधयक नवंबर, १९५२ के अन्त तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये परिचालित किया जायेगा।"

क्या सरकार इस विषय में कुछ कहना चाहेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने पहिले ही बताया है कि सरकार परिचालन प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्): प्रस्तावक महोदय ने उत्तर प्रदेश का अधिनियम देख कर इस विधेयक का प्रारूप बनाया है। उसी अधिनियम को वे अखिल भारतीय रूप देना चाहते हैं बिहार तथा बंगाल में भी ऐसे अधिनियम हैं। अन्य राज्यों में ऐसा कोई विधान नहीं है।

इस विधेयक के प्रस्तावक की मंशा यह है कि सारे भारत के लिये एक केन्द्रीय पर्षद् बनाया जाये जो देश भर के वक्फों के संचालन का अधीक्षण करेगा। वे यह भी चाहते हैं कि केन्द्रीय पर्षद् वित्तीय दृष्टि से स्वावलंबी बने। मुझे भय है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के वक्फों के वित्तीय सामर्थ्य का ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया है। सारे भारत के लिये विधि बनाते समय हमें विश्वास होना चाहिये कि उन्होंनें जो व्यवस्था सुझाई है वह स्वावलंबी है।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि वक्फों के संचालन पर सरकार का अधीक्षण आवश्यक है; किन्तु विधयक में जिस पर्षद् का प्रबन्ध है वह तो एक गैरसरकारी निकाय है।

इस विधेयक के खंड ३७ में केन्द्रीय पर्षद् के कृत्य तथा शक्ति का वर्णन है। वक्फों के संचालन के सिद्धांत निर्धारित करना यह पहिला कृत्य है। किन्तु पर्षद् यह काम अपने सिर पर नहीं ले सकता क्योंकि वक्फों का संचालन तो साधारणतया मुस्लिम कानून के अनुसार तथा विशेषतः हर एक वक्फ के दान-लेखानुसार होगा। दूसरा कृत्य यह है कि विविध राज्यों के प्रादेशिक पर्षदों से वक्फ संचालन विधेयक प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उनकी कार्यवाहियों का समन्वय करना। इसका परिणाम तो यही होगा कि जिन राज्यों ने अधीक्षण की व्यवस्था पहिले ही कर ली है उनके कारोबार में दखल देना। तीसरा कृत्य यह है कि प्रादेशिक पर्षदों के सलाह

[श्री पोकर साहेब]

मांगने पर उनको यथोचित मंत्रणा देना। सच कहें तो यह केवल एक पवित्र मनसूबा है कि प्रादेशिक पर्षद् केन्द्रीय पर्षद् के पास सलाह पूछने आयेंगे। चौथी बात यह है कि खंड ३७ के अनुसार यदि प्रादेशिक पर्षदों ने केन्द्रीय पर्षद् की सलाह बारम्बार ठुकराई तो केन्द्रीय पर्षद् राज्य सरकार को सूचित करेगा तथा आवश्यक कार्यवाही करने को कहेगा। मेरे विचार में खंड ३७ ही इस विधेयक की जड़ है किन्तु वह केन्द्रीय पर्षद् का समर्थन करने के लिये पर्याप्त नहीं है। न हमारे पास पूरी जानकारी भी है।

[श्री **पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

विभिन्न प्रादेशिक पर्षदों के दिये हुए अंशदानों पर केन्द्रीय पर्षद् निर्भर रहेगा। जब तक यह जानकारी अच्छी तरह उपलब्ध नहीं है तब तक ऐसे विधेयक पर विचार करना उचित नहीं हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में कुछ वक्फ़ इतने छोटे हों जो केंद्रीय पर्षद् का वित्तीय बोझ न संभाल सकें। परिणाम यह होगा कि कुछ बड़े वक्फों को ही यह बोझ संभालना होगा जिस वजह से छोटे बड़े वक्फों में तथा प्रादेशिक पर्षदों में आपसी मेल जोल नहीं रहेगा। इसलिए मेरी राय से प्रत्येक राज्य को अपने अपने अधिनियम बना कर स्वतंत्र रूप से कारोबार चलाना चाहिये; केन्द्रीय पर्षद् की कोई आवश्यकता नहीं। हिन्दू धर्मस्वों के विषय में भी कोई केन्द्रीय संगठन नहीं है। यदि सदन की राय में इस विधेयक पर विचार होना आवश्यक है तो मैं प्रस्तावक के साथ निश्चय ही पूरी तरह सहमत हूं कि सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिए यह विधेयक परिचालित किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३०२ का संशोधन)

श्री काजमी (जिला सुल्तानपूर—उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय दंड विधान, १८६० का अग्रेतर संशोधन करने के हेतु (धारा ३०२ का संशोधन) प्रस्तुत विधेयक को निम्न सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये : श्री देवीदत्त पंत, पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्रा, श्री कृष्ण चन्द्र, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, कर्नल बी० एच० जैदी, चौधरी हैदर हुसैन, श्री एम० अनन्थशयनम् अय्यंगार, बाबू रामनारायण सिंह, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, डा० पंजाबराव एस० देशमुख, श्री सी० डी० गौतम, श्री दौलत मल भंडारी, सरदार हुक्म सिंह, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री बी० बी० वर्मा, श्री सैय्यद अहमद, श्री सी० सी० बिस्वास तथा स्वयं प्रस्तावक; और प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन दिनांक २० अक्तूबर १९५२ तक उपस्थित करने का निदेश दिया जायगा।"

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूं कि क्या सूची

बनाते समय सम्बद्ध सदस्यों की अनुमति ली गई थी ?

श्री काजमी: मैं ने वैसी कोशिश की है तथा जो सदस्य इस समिति में काम करना चाहें उनके भी नाम सम्मिलित करने को मैं तैयार हूं ।

विधेयक का उद्देश्य सीधा साधा है। भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अनुसार हत्या के अपराधों में मृत्युदंड अथवा काले पानी की सज़ा दी जाती है। इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर आज तक उनके समितियों द्वारा विचार हो चुका है। अनुभव के आधार पर यही साबित हुआ कि अन्ततोगत्वा काले पानी की सजा कोई लाभकर उपाय नहीं है ।

आज कल जिसे काले पानी की सजा होती है उस को कहीं देश के बाहर नहीं भेजा जाता । उसको देश ही में १४ साल के लिये बन्द किया जाता है। किन्तु मुख्य अड़चन यह है कि कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जहां अपराध गंभीर न होते हुए भी न्यायालय को विवश हो कर काले पानी की सजा देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए एक दस व्यक्तियों का ऐसा परिवार लीजिये जिन्हों ने आपसी कलह के कारण अपने में से एक को मार डाला । ऐसी हालत में न्यायालय को विवश होकर अन्य सारे परिवारियों को काले पानी की सज़ा देनी पड़ती है । सजा कम करने के लिये उसके सामने कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं । मैं यह चाहता हूं कि यदि किसी हत्या के मामले में न्यायालय उचित समझें तो काले पानी से कम सजा देने का विकल्प उसे उपलब्ध रहे ।

यह स्पष्ट है कि इस विषय का निर्णय न्यायलयों तथा उच्च न्यायालय पर सौंपना होगा । यह केवल शक्तिदायी उपबन्ध है न कि बन्धनकारक । जहां न्यायालय उचित समझें वहां वह काले यानी की याने १४ साल की सजा दे सकेगा ।

श्री धुलेकर: काले पानी को भेजने की जगह १४ साल की सज़ा देना यह एक चीज है तथा १४ साल की जगह ३ महीनों की सज़ा देना दूसरी बात है । इसका प्रभाव यह होगा कि लोग हत्या करने से डरेंगे नहीं ।

श्री काजमी: शायद वे समझते हैं कि मैं मृत्यु दंड को हटाना चाहता हूं । यह बात नहीं है। न्यायालय को विशिष्ट मामले में यथोचित सज़ा देने का अधिकार अर्पण करने का सवाल है । आप देखेंगे कि धारा ३०६ के अधीन हत्या सहित डकैती के मामले में कैद की सज़ा का विकल्प रखा गया है। क्या पारिवारिक कलह में हुई हत्या का अपराध इस से भी गंभीर है? विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है इस लिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री धुलेकर: श्रीमान् चेयरमैन साहब, अभी हमारे दोस्त ने प्रस्ताव किया है कि इस प्रस्ताव को सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को भेज दिया जाय, जिस का मैं बहुत विरोध करता हूं । मेरे लायक दोस्त ने यह बात बतलाई कि यह एक बिल्कुल मामूली चीज है, और हम तो अदालतों को एक मौका देना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे प्रापर केसेज (उचित मामले) आयें, ऐसी कोई ख़ास हालत हो जाये कि जिस में वह

[श्री धुलेकर]

सजा कम दे सकें तो उन को ऐसा मौका देना चाहिये । मेरी बिल्कुल राय है इस बात में कि अभी अदालतों को ३०२ के मुकदमों में इतना बड़ा मौका नहीं देना चाहिये । कानून का यह कायदा है कि जो अल्फाज भी रखे जायें उन को मनुष्य खूब खींचें और अगर वह न टूटें तब तो वह पक्का कानून है और अगर यह कहीं से टूट जाये तो वह बिल्कुल कच्चा कानून है । मैं आप के सामने इन शब्दों को पढ़ता हूं ।

"किसी प्रकार की कैद जिसकी अवधि १४ साल तक हो सके ।"

पहली बात तो यह कि आईदर डिस्क्रिप्शन (किसी एक प्रकार की) मनुष्य को मार भी डालें और आईदर डिस्क्रिप्शन में सिम्पल इम्प्रजनमेंट (साधी कैद) में उस को सजा मिले वह कपड़े भी पहने, खाना भी खाये, जहां रेडियो लगा है वहां रेडियो भी सुने और अगर उस के पास पैसा हो तो वह भी डिपाजिट (जमा) कर दे। सिम्पल इम्प्रजनमेंट ऐसा होगा ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : और भी फायदे उठायेंगे ।

श्री धुलेकर : नाजायज फायदे की बात मैं नहीं कहता ।

दूसरी चीज़ आप कहते हैं : "व्हिच में एक्सटेन्ड टू फोर्टीन इयर्स" व्हिच में कम डाउन टू व्हाट ? टिल दी राइज़िंग आफ दी कोर्ट ("जिसकी अवधि १४ साल तक हो सके" का मतलब क्या होगा ? क्या न्यायालय उठ जाने तक ?) मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मर्डर केसेज़ (हत्या के मामले में) यदि मनुष्य को इतना भय न हो तो कैसे काम चल सकता है । पहले तो बड़ा भारी भय इस बात का था कि मनुष्य फांसी पर लटक जायेगा । चंद लोग मेरे ध्यान में ऐसे हैं कि दूसरों की जान चली जाती है और वह ठंडी हवा में बैठ कर कहते हैं कि "साहब कैपिटल पनिशमेंट (मृत्यु दंड) नहीं होना चाहिये ।" हमें वैसे तो बीमारी हलाक करती है लेकिन जब आदमी हलाक करता है उस के लिये आप को बड़ा रहम आता है कि इस आदमी को जिन्दा रहने दो । ऐसे आदमी को जिन्दा रखने से क्या फायदा ? उस के लिये कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिये । कम से कम आदमी के दिल में इतना भय तो हो ।

दूसरा टुकड़ा देखिये । अगर कोई ऐसा मामला पड़ जाये कि कोई नौजवान आदमी है, और नौजवान औरत है या गर्भवती है तो उस को चौदह वर्ष के लिये जाना पड़ेगा । इसमें कम से कम हर एक आदमी ख्याल तो रखेगा । लेकिन जब कि मेरे लायक दोस्त बड़े ज़ोर से इस बात को कहते हैं कि खान्दान आपस में झगड़ पड़ें और एक आदमी को मार डालें, कितनी सहूलियत से उस को मार डाला, आपस के आदमी हो कर आपस में दो पार्टियां कर के एक दूसरे को मार डालें, मेरे दोस्त का लहज़ा बिल्कुल लखनऊ का लहज़ा है ।

श्री काजमी : सहारनपुर का है ।

श्री धुलेकर : जी हां इन्सान का कत्ल हो गया एक खान्दान बरबाद हो गया और मेरे लायक दोस्त फरमाते हैं "कि अगर आपसी तौर पर एक भाई दूसरे भाई को मार डाले" । किस बात में ? खुद की लड़ाई में, घर की आपस की या औरतों की लड़ाई

में, चन्द बर्तनों के टुकड़ों पर, ज़ेवर के बटवारे पर, वह लड़ कर एक दूसरे को मार डालें और मेरे लायक दोस्त फरमाते हैं कि उन के लिये यह सेक्शन (धारा) रख दिया जाये, उन अदालतों के लिये मैं कहना चाहता हूं गो कि गवर्नमेंट पर मेरा कोई लांछन नहीं है, हम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत से पुण्य भी पाये हैं जैसे रेलवे वगैरह, तार इत्यादि, और साथ ही हम ने बहुत से पाप भी पाये हैं, उन्हीं में से यह भी है कि हमारी अदालतों में भी अब रिश्वत घुस गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस वक्त मैं आज से तीस वर्ष पहले वकालत करता था माज़ी नाज़िर किसी सबार्डिनेट कोर्ट (कनिष्ठ न्यायालय) के जज या हाई कोर्ट के जज की बदनामी में सुनता था कि उस ने रिश्वत ली है। मेरे लायक और पुराने दोस्त डा० काटजू साहब इस बात को जानते हैं कि हाई कोर्ट का बड़ा स्टैन्डर्ड (स्तर) था कि दो मील से आदमी डरते थे और समझते थे कि हाई कोर्ट का जज कोई कभी पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन आज लोग चौराहों पर बैठ कर क्या बातें करते हैं ? मेरा कहना यह नहीं है कि वह लेते हैं, लेकिन चौराहों पर लोग कहते हैं . . . . . .

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : यह हाई कोर्ट की बात नहीं है।

श्री धुलेकर : मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि लोग रुपया खर्च कर के हाई कोर्ट से ज़िन्दा वापस लौट आये।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मेरे माननीय मित्र का यह कथन बिल्कुल निराधार है।

सभापति महोदय : जो लोग यहां उत्तर देने के लिये उपस्थित नहीं हैं उन पर आरोप लगाना उचित नहीं है। तथा उच्चतम न्यायालय हमारी भूमि के सर्वश्रेष्ठ न्याय-स्थान हैं जिन को टीकाटिप्पणियों से बचाना ही अच्छा होगा।

श्री धुलेकर : श्रीमान्, जो कुछ मैं अर्ज कर रहा था उस की तर्जमानी तो आप ने खूब की है। मैं कहना चाहता हूं कि हम अदालतों को इतना मौका न दें कि जिस का वजह से किसी आदमी को इस बात का शक करने का मौका हो जाये, अगर किसी ने किसी का मर्डर (हत्या) किया तो चाहे जज ने ईमानदारी से ही दो या तीन महीने की सज़ा दी हो, कि जज ने किसी दबाव से इतनी कम सजा दी। इसलिये मैं फिर से एक बात आप के सामने पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि अगर हम को जुडीशिअरी न्यायपालिका को बचाना है और उस की हिफाजत करनी है तो इस चीज़ को रख कर उस की हिफाजत नहीं हो सकती है। जो मौजूदा कानून है कि अगर जज इस बात को पायें कि फलां आदमी ने मर्डर किया है तो उस को ट्रांस्पोर्टेशन आफ लाइफ (आजन्म कारावास) कर दें, हां, जब वह जेलखाने में जाय तो उस को चौदह बरस की सजा मिल जाये।

यह बात न रखी जाये कि वह क्या सज़ा दें और फिर उस के बाद हमारी जुडीशियरी के ऊपर लोग लांछन लगावें क्योंकि हर एक आदमी की जुबान है, कोई कुछ भी कह सकता है। हर एक आदमी कहेगा कि इस में तीन महीने की सज़ा दी, फलां को तीन साल की और उस को पांच साल की सजा दी। एक ही किस्म का वाकया था और कई किस्म की सज़ायें दे दीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि किसी भी

[श्री धुलेकर]

दृष्टिकोण से इस का कंसीडरेशन (विचार) नहीं होना चाहिये, न इसे सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये । इसलिये मैं इस को अपोज (विरोध) करता हूं और चाहता हूं कि इस को खत्म कर दिया जाय।

डा० काटजू : श्रीमान्, यह विषय बहुत कुछ मनोरंजक है। मुझे यह अभिलेखों से पता चलता है कि कई वर्षों के पूर्व, इस विषय की चर्चा पारंगत व्यक्तियों ने की थी जो १४ वर्ष तक चली तथा जिस से फलनिष्पत्ति कोई नहीं हुई । मेरे माननीय मित्र श्री धुलेकर ने अनेक पहलुओं का निर्देश किया। एक और बात की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत भर में आजन्म कारावास की सजा का अर्थ होता है २५ साल की कैद। प्रत्येक कैदी को यदि वह अच्छा बर्ताव करता है सामान्यतः ५ साल की छूट मिलती है। इस में मैं वह नहीं जोड़ रहा हूं जिसे आप असाधारण छूट कहते हैं तथा जो स्वातंत्र्य दिन आदि जैसे विशेष प्रसंगों में दी जाती है परन्तु स्वयं अपने अच्छे बरताव से कैदी ५ साल की छूट प्राप्त कर सकता है। अतः परिणाम यह हुआ कि आज आजन्म कारावास का अर्थ, कोई असाधारण कारण न हो तो २० साल की प्रत्यक्ष सजा होती है।

और विभिन्न राज्यों में अनेक नियम हैं। मुझे दो या तीन राज्यों के नियम विदित हैं। वहां जब किसी को आजन्म कारावास की सजा होती है तो कार्यकारी नियमों के अधीन वह मामला सरकार के सामने १४ साल की सजा जिस में छूट सम्मिलित है तथा जो असल में लगभग साढ़े ग्यारह साल की अवधि है, भोगने के बाद विचारार्थ प्रस्तुत होता है। सामान्यतः यदि मामला आकस्मिक प्रकोप से उठा हो, या नहर के पानी संबंधी झगड़े से उठा हो, तो कैदी को छोड़ दिया जाता है। परन्तु मामला यदि डकैती अथवा अन्य किसी संगठित अपराध का हो तो प्रार्थना अस्वीकृत होती है। तथा बीस साल के बाद मामला फिर प्रस्तुत होता है। इस प्रकार १४ से २५ साल के अन्दर मामले पर बार बार विचार होता है। मेरी राय से यदि वह सही है, उत्तर प्रदेश में विद्यमान नियम यह है कि मामला २० सालों के बाद प्रस्तुत होता है जिस अवधि में छूट सम्मिलित होने के कारण वह वास्तविक १६ साल की कैद भोगने के बाद ही प्रस्तुत होता है। विभिन्न राज्यों के प्रशासकीय नियमों से मैं परिचित नहीं हूं ।

सदन को याद होगा कि दंड विधान में सर्व प्रकार के अपराधों पर विचार किया है। ऐसे बहुत से अपराध हैं जिन के लिये अधिकतम सजा १० साल की रखी गई है। अन्य कुछ अधिक गंभीर अपराध हैं जिन के लिये अधिकतम सज़ा आजन्म कारावास की है। यदि हम आजन्म कारावास की अधिकतम मुद्दत २५ से १४ साल तक कम करते हैं तो हमें सारी सजाओं की मुद्दतों का पुनरीक्षण करना होगा और वे कम कम करनी होंगी। यह एक बहुत जटिल समस्या है। सदन को स्मरण होगा कि केवल दो या तीन अपराध छोड़ कर अन्य किसी मामले में दंडाधिकारी अथवा न्यायाधीश पर अधिकतम सजा देने का बंधन नहीं है। उदाहरणार्थ हत्या का अपराध छोड़ कर जहां आजन्म कारावास की सजा देनी पड़ती है, अन्य मामलों में अपराध की विभिष्ट परिस्थिति

देख कर यथोचित सजा दी जा सकती है।

अतः यह एक सीधा साधा प्रश्न नहीं है। अग्रेतर में यह भी संकेत करूंगा कि इस विषय में विभिन्न राज्य सरकारों को गहरी दिलचस्पी है। हम उन की सम्मति जानना चाहेंगें ; इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा विधि व्यवसाइयों की राय भी। सारे देश को इस विषय में दिलचस्पी है। अतः यह प्रक्रिया उचित नहीं होगी कि हम इस विषय को सीधे प्रवर समिति को सौंप दें। मैं तो यही कहने जा रहा था हम इस विषय का विचार छोड़ दें। किन्तु मेरे माननीय मित्र का आदर करते हुए जिन्होंने स्वयं दीर्घ काल वकालत की है, यह विधेयक सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिए परिचालित किये जाने पर मेरा विरोध नहीं है। इस से हमें विभिन्न राज्य सरकारों से तथा विधि व्यवसायी संथाओं से परामर्श करने का अवकाश मिलेगा। फिर हम देखें कि क्या फल निकलता है। (**एक माननीय सदस्य :** अत्यधिक रियायत।) यह मेरा अभिप्राय है।

सभापति महोदय : इस विधेयक के विरोध की ओर देखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि.....

श्री काजमी : परि चालन प्रस्ताव मुझ मंजूर है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाँव) : आज हमारे सामने परिचालन प्रस्ताव तो कोई है नहीं। अतः माननीय मित्र इस विधेयक को रोक लें तथा उस पर सदन का मत न पूछें। बाद में वे स्वयं परिचालन प्रस्ताव पुरःस्थापित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यही मैं कह रहा था। उन के विधेयक के बारे में क्या किया जाय इस का वे ही निश्चय करें।

श्री काजमी : श्रीमान्, यह विधेयक लम्बित रखने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : ऐसी अवस्था में उचित प्रक्रिया के हेतु माननीय सदस्य को विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव वापस लेना चाहिये।

तत्पश्चात् सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया तथा विधेयक लम्बित रहा।

भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> " भारतीय दंड विधान (१८६० का ४५वां) तथा दंड प्रक्रिया संहिता (१८९८ का ५वां) को संशोधित करने के हेतु प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जायगा। "

इस विधेयक द्वारा मैं सदन का ध्यान भारत दंड विधान की धारा ३७५ तथा ३७६ की विद्यमान दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विधि की आज की दशा के अधीन विवाहित स्त्री के विषय में सहमति वय १५ वर्ष है तथा अविवाहित स्त्री के मामले में सहमति वय १६ वर्ष है। इन की सजायें भी अलग अलग हैं। इन तीन अपराधों के बारे में पुरानी हिन्दू तथा मुस्लिम विधियां बहुत कठोर थीं और अपराधी पुरुष को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ब्रिटिशों के जमान में भारतीय कानून इतना कठोर नहीं था और उस में परिवर्तन भी होते रहे। १८९० या १८९२

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में 'हरिमोहिनी देवी घटना' के बारे में बहुत हलचल मची। इस मामले में १२ वर्ष से कम उमर वाली अपनी विवाहित स्त्री के साथ पति के संभोग करने के फल-स्वरूप वह घायल हुई थी। ऐसी घटनाओं के कारण लोकमत जागृत हुआ। १९२५ में सहमति वय जो पहिले १२ वर्ष था, १३ तक बढ़ा दिया गया। १९४९ में विवाहित स्त्रियों के बारे में यह सीमा १५ तक बढ़ा दी गई। अविवाहित स्त्रियों के बारे में यह सीमा आज १६ वर्ष की है। प्रस्तुत विधेयक यह सीमा १६ से १८ तक बढ़ाना चाहता है।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद आसीन हुए]

सरकार द्वारा १९२८ में नियुक्त 'सहमति वय समिति' ने इस समस्या पर विचार कर के एक राय से प्रतिवेदन पेश किया था जिस में अविवाहित स्त्रियों के मामलों में सहमति वय १८ वर्ष तक बढ़ाने की सिपारिश की गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उस समय इस प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया। १९२९ में सरकार ने शारदा अधिनियम पारित किया परन्तु समिति की अन्य सिपारिशों की उपेक्षा की। १९४९ तथा ५० में विवाहित स्त्रियों के विषय में वय सीमा बढ़ाई गई परन्तु अविवाहित स्त्रियों के मामले में यह कदम नहीं उठाया गया। इस परिवर्तन की आवश्यकता के कारण स्पष्ट हैं। आजकल हमारी बालायें अनक विश्व आकर्षणों की शिकार बनी हैं। वे कालिजों में, कारखानों में तथा दफ्तरों में जाती हैं। जमाने के अनुसार स्त्री स्वातन्त्र्य का विकास हो रहा है। उन को कानूनी संरक्षण देना आवश्यक है। शायद यह कहा जायेगा १६वें वर्ष में बाला विवेक सम्पन्न हो जाती है तथा अपने शरीर की स्वामिनी बनती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस विषय पर अधिक देर तक भाषण देंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कुछ दस पन्द्रह मिनट और कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय से अब उस को अपूर्ण रखा जाय तथा अगले समय जब विधेयक सदन के सामने आयेगा तब वे उस को जारी रखें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी।

सिंगारेनी खदानों में दुर्घटना

श्री विट्टल राव (खम्मम) : श्रीमान्, दिनांक १५ अप्रैल १९५२ के प्रातः काल को दो खनिक दब कर मरे तथा एक बुरी तरह घायल हुआ क्योंकि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि पांच सदस्य इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं इसलिये माननीय सदस्य अपनी बात थोड़े में कहें। माननीय मंत्री को सारी उपलब्ध जानकारी पेश करने का मौका देना यह अधिक महत्व की बात है।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : यदि आप अनुमति तें तो मैं प्रथम एक विवरण पेश करू जिससे माननीय सदस्य इस विषय में अधिक समय न खर्च करें। मेरे विवरण में सारी बातों पर प्रकाश डाला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या माननीय सदस्य को यह मन्जूर है ?

श्री विट्टल राव : मैं इस के लिये तैयार हूं ।

श्री वी० बी० गिरि : मुझे हर्ष है कि एक घटना के बारे में विस्तृत विवरण देने का मौका मुझे मिला है जो कि निश्चित ही सार्वजनिक महत्व की है । मुझे विश्वास है कि सदन यह मन्जूर करेगा कि पूछे गये प्रश्न के उत्तर की मर्यादा में इस विषय का सन्तोषजनक विवरण नहीं दिया जा सकता । जिस निरीक्षक ने इस दुर्घटना की जांच की उस का प्रतिवेदन कुछ कानूनी अड़चनों के कारण सदन पटल पर नहीं रखा जा सका । निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना भी उचित नहीं होता जब तक कि हमें प्रमुख निरीक्षक की राय मालूम नहीं थी जिन पर मूल प्रतिवेदन गौर के साथ पढ़ कर उस के बारे में अपनी टिप्पणी तथा निर्णय बताने की जिम्मेवारी रहती है ।

मैं स्वीकार करता हूं कि खदानों के इस समूह में अन्यों की अपेक्षा दुर्घटनाओं की संख्या तथा उन के कारण हुई मृत्यु दर अधिक है । सन् १९५२ में हुई तीन दुर्घटनाओं के अलावा जिन में कुल चार व्यक्ति मारे गये तथा जिस का निर्देश माननीय मंत्री ने किया है, हैदराबाद के सिंगारेनी खदान समूह में सन् १९५१ में दुर्घटनाओं के कारण ३१ व्यक्ति मारे गये । तुलनात्मक तौर पर इस समूह की मृत्यु दर हजार कार्मिकों के पीछे २ तथा दस लाख टन कोयले के पीछे २५.७ रही जब कि अखिल भारतीय औसत क्रमशः ·८ तथा ९.२ का था ।

अब दिनांक १५ अप्रैल, १९५२ को हुई विशिष्ट दुर्घटना को लीजिये जिस में दुर्भाग्यवश दो व्यक्ति मारे गये । निर्णय यह रहा कि वह एक अपसाहस का किस्सा था जिस में संभाव्य दाण्डिक अभियोजन की दृष्टि से किसी को जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता था । साथ ही साथ कुछ सुस्पष्ट कमियां नजर आयीं जिन में पर्यवेक्षक कर्मचारियों का संशयास्पद अनुभव, प्रभारी मुखिया का खदान विषयक अज्ञान तथा निचले कार्मिकों का असावधानीपूर्ण बर्ताव शामिल हैं । हो सकता है कि इन कमियों का संयुक्त प्रभाव इस खदान में दुर्घटनाओं की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है । मैं सदन को बता सकता हूं कि इस दशा का इलाज करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं । अब मैं माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट अन्य बातों की चर्चा करूंगा ।

यह सच है कि व्यवहारिक अड़चनों तथा लागत के ख्याल से इन खदानों में बालू भरने का काम नहीं किया गया । खदानों के प्रमुख निरीक्षक तथा रेलवे पर्षद् के खदान इंजीनियर ने सन् १९४९ के अन्त में इन खदानों का निरीक्षण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन खदानों में बालू भरना परमावश्यक नहीं है खास कर इसलिए कि खोदे गए स्तर अधिक चौड़े नहीं थे । गोदावरी नदी से एक घंटे में २०० टन बालू रज्जुपथ द्वारा ले आने के खर्चे का अन्दाजा २५ लाख रुपयों का लगाया गया था जो आज उस से भी अधिक होगा । सन् १९४९ के अन्दाजे के अनुसार भी बालू ठूसने का खर्च प्रति टन कोयले के पीछे २ रु० से २।।।= रु० तक होता । प्रमुख निरीक्षक की राय थी कि जहां बालू नहीं ठूसी जाती है वहां छतों का गिरना रोकने के लिये अन्य उपायों का अवलम्बन किया जाता है ।

जिन स्थानों में स्तम्भ हटाये जाते हैं वहां सिंगारेनी की खदानों में जितनी लकड़ी

[श्री वी० वी० गिरी]

उपयोग में लाई जाती है वह झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र के कुछ खदानों से लगभग चौगुनी है। स्तंभ स्थानों की ओर जाने वाले मार्ग भी लकड़ी की बल्लियों द्वारा सुरक्षित किये जाते हैं। लकड़ी की निकटवर्ती थूनियां तथा स्तंभ लगा कर उन की सहायता से सारी छत को आधार दिया जाता हैं।

दिनांक १५ अप्रैल, १९५२ की दुर्घटना अपर्याप्त आधार के कारण नहीं हुई। कोने की दीवार से ८'×४'×३' कोयले का खंड अकस्मात गिर पड़ा जिस के नीचे वहां काम करने वाले तीन आदमी दब गये। उन में से एक आदमी उसी समय मर गया, एक बाद में मरा और तीसरे को मामूली चोट पहुंची। निरीक्षक का निर्णय यह है कि पर्यवेक्षक कर्मचारियों की गलती के कारण यह दुर्घटना हुई जिन्होंने इस ढीले खंड को न देखा न हटाया। यद्यपि यह गलती खेदजनक है, फिर भी इस के आधार पर दाण्डिक अभियोजन सफल नहीं हो सकता। प्रमुख निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बालू ठूसने से यह विशिष्ट दुर्घटना नहीं टल सकती।

दिनांक २ जून, १९५२ की दुर्घटना जिस में २४ आदमी घायल हुए, लपेटने के यंत्र में धीरे उतरने तथा गति को रोकने के लिये आप से आप चलने वाली कल नहीं थी इसलिए हुई। नियमानुसार जिस पिंजड़े में १६ आदमी जाने चाहियें वहां झूला चलाने वाले ने २५ आदमियों को सवारी करने दी। सम्बन्धित प्रबन्धकों से प्रार्थना की गई है कि लपेटने के यन्त्रों में आप से आप चलने वाली कलें लगायी जायें। ऐसी कलें लगाना अपरिहार्य करने के लिये कोयला खदान विनियम संशोधित करने की कार्यवाही भी की जा रही है। लपेटन का यंत्र चलाने वाले को तथा झूला चलाने वाले को कैद कर लिया गया है और भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा पेश किया गया है। कपट की आशंका होने से खदान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की बजाय पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।

मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इन खदानों में हुई दुर्घटनाओं के कारण मैं बहुत परेशान हूं। पुरानी भारतीय रियासतों की अपेक्षा भारत में पर्यवेक्षण तथा दुर्घटना रोकने के उपायों के महत्वपूर्ण विषय में ब्योरेवार नियम तथा स्थायी आदेश प्रचलित हैं। सिंगारेनी के खदान समूहों में हुई दुर्घटनाओं की जांच से हमें मानना पड़ता है कि वहां जिम्मेवार पदस्थ कर्मचारियों में अवेक्षित अनुभव की कमी थी जो कि किसी सुनियंत्रित तथा सुसंचालित खदान के कर्मचारियों में नहीं होती है। किन्तु सदन को इस बात का स्मरण होना चाहिये कि दिनांक १ अप्रैल, १९५१ से ही हैदराबाद तथा भाग ख के अन्य राज्यों की खदानें भारत सरकार के नियन्त्रण तथा खदानों के प्रमुख निरीक्षक के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र में आयी हैं। सुधार तथा परिवर्तन तुरन्त तो नहीं हो सकते किन्तु प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है। उदाहरणार्थ, खदानों के प्रमुख निरीक्षक ने अनर्ह कर्मचारियों की परीक्षा कर के अयोग्य व्यक्तियों को हटाने के बारे में कदम उठाये हैं। इसी प्रकार उन्होंने सम्बन्धित खदान मालिकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि भारत की मृत्यु दरों की अपेक्षा उन की खदानों की मृत्यु दर बहुत अधिक है तथा उन्हें छतों को मजबूत आधार देने की व्यवस्था करना

आवश्यक है, । यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा मालूम हो जाय कि कर्मचारियों की असावधानी के कारण दुर्घटना हुई है तो उन पर मुकदमा चलाया जायेगा । खदानों के प्रमुख निरीक्षक ने यह आश्वासन दिया है कि इन खदानों का पर्यवेक्षण अधिक सतर्कता से किया जायेगा । सरकार को आशा है कि ये उपाय सबल तथा सफल रहेंगे ।

उपर्युक्त विवरण तथा दुर्घटनाओं को न्यूनतम सीमा तक पहुंचाने के प्रयासों की ओर देखते हुए, मेरी राय में, इस समय जांच न्यायालय नियुक्त करना आवश्यक नहीं है । फिर भी वैसी परिस्थिति होने पर जांच करने से हिचकिचाएगी नहीं।

श्री विट्टल राव : गोदावरी नदी खदानों से २४ मील दूर है । उस के अलावा निकट की उपनदी से बालू लाने में खर्च कम होगा । क्या इस का विचार हुआ है ?

इन खदानों का काम सन् १९३७ में शुरू हुआ। तब से एक भी अधिकृत जांच नहीं हुई है । अब भारतीय खदान अधिनियम सारी खदानों पर लागू हुआ है जिस के अनुसार जांच समिति नियुक्त की जा सकती है । इस क्षेत्र में प्रायः प्रति दिन छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती हैं जिन में खनिकों का हाथ या पैर टूट जाता है या अन्य चोट लगती है ।

छतों को आधार देने के लिये कम थूनियां तथा बल्लियां लगाई जाती हैं और कहा जाता है कि आसपास लकड़ी की कमी है । वस्तुतः ये सारी खदानें जंगल से परिवेष्ठित हैं । ऐसी अवस्था में लकड़ी की कमी की बात जचती नहीं । केवल पैसा बचाने के लिये बहाने बताये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को इस विषय में क्या कहना है ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं जानना चाहता हूं कि 'पर्यवेक्षक कर्मचारियों' की श्रेणी में माननीय मंत्री खदान प्रबन्धकों तथा उप-प्रबन्धकों को रखते हैं या नहीं ।

फिर माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण निरीक्षक का प्रतिवेदन सदन पटल पर नहीं रखा जा सका । क्या मैं जान सकता हूं कि ये 'कानूनी अड़चनें' क्या थीं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कोलार की सुवर्ण खदानों में भी कोई कार्यवाही की जा रही है जहां अनेक दुर्घटनाएं अभी अभी हुई हैं ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : माननीय मंत्री ने विवरण में बताया है कि कर्मचारी वृंद अनुभवहीन है । मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति क्यों नियुक्त किये जाते हैं । जब अभियोजन अथवा अन्य कार्यवाही की सिफारिश की जाती है तब भी प्रबन्धकों द्वारा वे कदम नहीं उठाये जाते । भ्रष्टाचार के मामले भी अनेक होते हैं । ऐसी अवस्था में गैर-सरकारी जांच आयोग का सुझाव अस्वीकार करना उचित नहीं है ।

श्री के० के० वसु (डायमण्ड हार्बर) : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि खदानों के प्रमुख निरीक्षक ने लकड़ी की थूनियों तथा बल्लियों का निरीक्षण किया है अथवा नहीं । उन की संख्या तथा मोटाई देखने से काम नहीं होगा अपितु लकड़ी की किस्म भी परखनी होगी ।

क्या पर्यवेक्षक कर्मचारियों में भारतीयों का परिमाण अपर्याप्त है तथा खास कर क्या बहुत कुछ प्रबन्धक गैर-भारतीय हैं ? इस विशिष्ट रियासत का भारत में प्रवेश होने के पहिले वहां कुछ भारत विरोधी कार्यवाही हुआ करती था इस

[श्री के० के०बसु]

बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि सरकार की उत्पादन नीति में रोड़े अटकाने के उद्देश्य से वहां के कर्मचारी जान बूझ कर यह चेष्टा कर रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस दृष्टिकोण से भी इस मामले की पड़ताल करे तथा सदन को इस विषय में जानकारी दे ।

श्री वी० वी० गिरि : श्रीमान्, इन कुछ रियासतों में जो खदानें हैं वे केवल एक वर्ष से ही भारत सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन आयी हैं । वहां बारंबार दुर्घटानायें होती थीं इसलिए मैं ने खदानों के प्रमुख निरीक्षक को अत्यधिक सावधानी से इस मामले की पड़ताल करने को कहा । उन्होंने जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन भेजा है जिस के आधार पर मैं ने अपना विवरण प्रस्तुत किया है । मैं पहले ही माननीय सदस्य को आश्वासन दे चुका हूं कि यदि खदानों का विद्यमान कर्मचारी वृंद अपना काम कुशलता से करने में अयोग्य साबित हुआ तो उनकी जगह कार्य कुशल कर्मचारी नियुक्त करने को खदान मालिकों से कहा जायेगा ।

अन्य बातों में से बालु ठूसने के विषय में मैं ने सारी परिस्थिति प्रगट की है । मेरे माननीय मित्र ने खदानों के सन्निकट बालु उपलब्ध होने का निर्देश किया । मुझे इस तथ्य की जानकारी नहीं किन्तु मेरे माननीय मित्र को मैं आश्वासन दता हूं कि यह जानकारी प्रमुख निरीक्षक को दी जायेगी तथा उन से कहा जायेगा कि वे मुझे परिस्थिति का सुस्पष्ट परिचय दें । मेरी प्रबल राय है कि प्रमुख निरीक्षक को जो कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं, स्थिति सुधारने का अवसर देना चाहिये । उन्होंने तथा उन के विभाग के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि इस खदान के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के विषय में वे सतर्क रहेंगे तथा मैं चाहता हूं कि सदन मेरे वचन पर पूरा भरोसा रख कि यदि अगले दो तीन महीनों के अन्दर सावधानी के उपायों से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं जांच न्यायालय नियुक्त करने का आदेश अवश्य दूंगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कोलार सुवर्ण क्षेत्र का निर्देश किया था । वस्तुतः कुछ माननीय मित्र मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझ से परिस्थिति की चर्चा की । भारत सरकार जांच न्यायालय की नियुक्ति का आदेश दे चुका है जिस को श्रमिक तथा मालिक संगठनों का एक एक प्रतिनिधि सहायता देगा । अतः मैं समझता हूं कि मैंने सदन को उन विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी दी है जिन में ये दुर्घटनाएं हुईं तथा उन सावधानी के उपायों की भी जो सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये है और मेरे विचार में मैंने सदन के सामने सारी घटनाओं पर संतोषजनक प्रकाश डाला है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): श्रीमान् क्या, मैं सुझाव रख सकता हूं कि बचे हुए अल्प समय में वे विधेयक पुरःस्थापित किये जायें जिन का पुरःस्थापन मंजूर हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं । अभी दूसरा काम बाकी है । श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार यब संयक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

निवारक निरोध (द्वितीय-संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक के विषय में जो संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी उस का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखता हूं।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : श्रीमान्, राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना मुझे देना है :

> "राज्य परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के ९७वें नियम के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्य-परिषद् ने ३० जुलाई १९५२ को अपनी बैठक में पारित किये गये परमावश्यक प्रदाय (अस्थाई अधिकार) संशोधन विधयक, १९५२, की प्रतिलिपि साथ में भेजने का निर्देश दिया है।"

परमावश्यक प्रदाम (अस्थाई अधिकार) संशोधन विधेयक

सचिव : श्रीमान, मैं राज्य परिषद द्वारा पारित परमावश्यक प्रदाय (अस्थाई अधिकार) संशोधन विधेयक, १९५२, को सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया की चर्चा करने में समय खर्च करना नहीं चाहता किन्तु मैं नहीं जानता कि क्या आज विधेयक पुरःस्थापित किये जा सकते हैं क्योंकि लम्बित विधेयक अभी बचे हैं जिनका निबटारा हो जाने पर ही अन्य विधेयक पुरः स्थापित किये जा सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या मैं अनुरोध करूं कि पहले एक बार आप ने इस नियम का निलम्बन किया था ? वह एक विशेष प्रसंग था। आज का प्रसंग भी विशेष माना जा सकता है क्योंकि संसद् अभी अभी प्रारम्भ होने से थोड़े ही विधेयक लम्बित हैं तथा प्राप्त विधेयकों की संख्या भी अधिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पिछले समय हमने प्रथम स्थाई आदेश को लम्बित रखने की कार्यवाही की थी। इस समय माननीय सदस्य देखेंगे कि प्रधान कार्यावली में २२ विधेयक निर्दिष्ट हैं जिन में से ५ निबटाए गये हैं तथा छठा अभी लम्बित है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : श्रीमान, दहेज से सम्बन्ध रखने वाले विधेयकों की पूव सूचना चार या पांच सदस्यों ने दी है इस-लिए वास्तविक संख्या अत्यस्प है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देखें कि इस प्रकार का अभिवेदन मुझे मिला था कि सारे विधेयक एक साथ पुरःस्थापित किये जांय न कि पूर्ववादिता के अनुसार। उस समय मैं ने प्रस्तावित व्यवस्था के फल-स्वरूप पैदा होने वाली असंख्य प्रशासनीय अड़चनों का निर्देश किया था। इसी वजह से वह प्रस्थापना स्वीकार नहीं की गई। किसी असाधारण समय पर, सदन की अनुमति से, हम ने स्थाई आदेश का निलम्बन किया है। मेरी राय में, आज का प्रसंग असाधारण नहीं है। अन्ततोगत्वा यह तो सदन की इच्छा का सवाल है; किन्तु मैं

[अध्यक्ष महोदय]

समझता हूं कि माननीय सदस्य परित्याग का आग्रह न करें तो अच्छा क्योंकि पहले से ही कार्यावली में १४ या १६ विधेयक हैं। पहिले हम इन को निबटाएं और बाद में अन्य विधयकों की बारी आयेगी ही। आखिर, पुरःस्थापन से तो कोई बात बदलती नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस से सम्बन्धित सदस्य को अधिकार मिल जाता है कि वह अपने विधेयक की भी चिट्ठी डलवा दें। किन्तु आप की सलाह के कारण मैं अपनी बात पर जोर नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : अब समय समाप्त होने ही वाला है।

इस के पश्चात सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९५२ के पौने आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।